Our London Office :
11, Aldwych, W. C. 2

THE BHAVISHYA

Our American Office :
50, Church St. New York

सम्पादक :—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०
(जेल में)

स्थानापन्न सम्पादक :—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र,
एम० ए०

वर्ष १, खण्ड ४

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; २३ जुलाई, १९३१

संख्या ७, पूर्ण सं० ४३

स्वर्गीय श्री० दिनेश गुप्त—जिन्हें मि० सिम्पसन की हत्या के अपराध में उस दिन फाँसी पर लटका दिया गया !
(आपका विस्तृत परिचय तथा आपके लिखे हुए पत्रादि अन्दर देखिए)

कौन सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ! जुलाई, १९३१ की विषय-सूची इस प्रकार है :—

जुलाई, १९३१ की विषय-सूची

इसके अतिरिक्त ४ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर) अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

१-पं० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए०
२-पं० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए०
३-मुन्शी नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव
४-श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए० (जेल में)
५-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल्-एल्० बी०
६-कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी (उर्दू-कविता-विभाग)
७-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव (हिन्दी-क०-वि०)
८-श्री० रामरखसिंह सहगल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

स्थानापन्न-सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक--श्री० शङ्करदयाल श्रीवास्तव, एम० ए०

इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की जाती है कि यथाशक्ति 'भविष्य' तथा 'चाँद' और विद्याविनोद-ग्रन्थमाला का प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !!

पाठकों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन विभाग द्वारा जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे एकमात्र भारतीय परिवारों एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !!

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—वृहस्पतिवार ; २३ जुलाई, १६३१ | संख्या ७, पूर्ण संख्या ४३

'भविष्य' और 'चाँद' के दूसरे सम्पादक भी गिरफ़्तार हो गए!

श्री० सान्याल को २ वर्ष तथा त्रिवेणीप्रसाद को ६ मास का कठिन-दण्ड !!

श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० भी अदालत में हथकड़ी पहना कर लाए गए !

महात्मा गाँधी को सहगल जी का तार और महात्मा जी का विवशतापूर्ण उत्तर !

स्थानीय कलक्टर की बेजा धमकियाँ :: संस्था पर फिर पुलीस का धावा :: २५ जून का 'भविष्य' ज़ब्त !!

"सरदार भगतसिंह" नामक अङ्गरेज़ी की पुस्तक छापने के अपराध में स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४-अ के अनुसार जो अभियोग चल रहा था ; गत २०वीं जुलाई को उसका फ़ैसला सुना दिया गया। पुस्तक के लेखक तथा प्रकाशक श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल को २ वर्ष का कठिन कारावास दण्ड प्रदान किया गया और 'भविष्य' तथा 'चाँद' के सम्पादक, श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए० को उनके "भोलेपन" का ख़याल करते हुए केवल १,०००) रु० का जुर्माना अथवा ६ मास के कठिन कारावास का दण्ड मात्र उचित समझा गया। श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी ने जुर्माना न देकर जेल जाना ही उचित समझा।

फ़ैसला सुनाने के समय अन्य अनेक दर्शकों के अतिरिक्त श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल की नव-विवाहिता धर्मपत्नी, उनकी भावज (श्री० शचीन्द्रनाथ सान्याल की धर्मपत्नी, जो काकोरी केस के सम्बन्ध में स्थानीय नैनी जेल में आजीवन कारावास-दण्ड भोग रहे हैं) तथा अन्य स्त्रियाँ भी उपस्थित थीं, जिन्होंने वहाँ दोनों "अभियुक्तों" को फ़ैसला सुनाते ही फूलों के हार पहनाए और बड़ा हर्ष प्रगट किया। प्रेस-रिपोर्टरों ने आपके फ़ोटो भी लिए थे, दोनों अभियुक्तों को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट जेल में बी० क्लास में रक्खा गया है।

२२वीं जुलाई के दोपहर का समाचार है कि जिस बँगले में श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी रहते थे, पुलिस ने धावा किया। पूछने पर मालूम हुआ कि वे जुर्माने में श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी का सामान क़ुर्क़ करने आए थे, किन्तु उन्हें एक लुटिया के सिवा वहाँ और कुछ नहीं मिला। पुलिस उनके घर का पता लगा रही है।

❀ ❀ ❀

१७वीं जुलाई की शाम को संस्था पर पुलिस ने धावा किया। प्रेस तथा कार्यालय की तलाशियाँ हुईं और २५ जून के 'भविष्य' की २६ कापियों को पुलिस ज़ब्त कह कर उठा ले गई। साथ ही भारतीय दण्ड-विधान की १२४-अ धारा (राजविद्रोह) के अभियोग में 'चाँद' तथा 'भविष्य' के दूसरे सम्पादक श्री० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र, एम० ए० "माधव" की गिरफ़्तारी का वारण्ट भी सहगल जी को दिखाया गया। मिश्र जी ने अपनी गिरफ़्तारी का समाचार बड़ी प्रसन्नता से सुना। नाश्ता करने के बाद उन्हें पुलिस अफ़सरों के हवाले कर दिया गया। 'चाँद' तथा 'भविष्य' कार्यालय एवं प्रेस के सारे कर्मचारियों ने एकत्र होकर मिश्र जी को उनकी गिरफ़्तारी पर बधाइयाँ दीं और उन पर पुष्पों की वर्षा की गई—उन्हें हार पहनाए गए।

'चाँद' और 'भविष्य' के दूसरे सम्पादक—श्री० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र 'माधव' एम० ए०, जो १७वीं जुलाई की सन्ध्या को भारतीय दण्ड-विधान की १२४-ए धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए और जिन्हें २० जुलाई को हथकड़ी पहना कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में लाया गया।

पुलीस अफ़सरों से पूछने पर मालूम हुआ कि उन्हें जेल ले जाने के लिए एक टाँगा-मात्र लाया गया है ; इसलिए पुलीस अफ़सरों की रज़ामन्दी से सहगल जी स्वयं पुलीस अफ़सरों सहित मिश्र जी को अपनी मोटर पर डिस्ट्रिक्ट जेल तक पहुँचा आए। दूसरी मोटर पर सहगल जी के घर की महिलाएँ भी जेल तक गई थीं। मिश्र जी को साधारण क़ैदियों की भाँति जेल में रक्खा गया और पहली पेशी २०वीं जुलाई को निश्चित हुई।

२०वीं जुलाई को दो बजे मिश्र जी हथकड़ी पहना कर जेल से लाए गए। श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल तथा श्री० त्रिवेणीप्रसाद का फ़ैसला सुना कर मिश्र जी का मामला शुरू किया गया। सर्व-प्रथम गवाही सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलीस की हुई। सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलीस ने शपथ लेकर गवाही देने से इन्कार तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसका समर्थन किया। इसके बाद उन पुलीस वालों की गवाहियाँ हुईं, जिन्होंने तलाशी ली थी तथा उन्हें गिरफ़्तार किया था।

मिश्र जी की ओर से उनके एडवोकेट श्री० जे० सी० मुकर्जी ने उन्हें ज़मानत पर छोड़ देने की दरख़्वास्त दी, जो तुरन्त नामन्ज़ूर कर दी गई! डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भविष्य में मिश्र जी को हथकड़ी न पहनाए जाने की प्रार्थना की गई, जो यह कह कर अस्वीकार कर दी गई, कि यदि वे भाग गए तो क्या होगा?

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इस मुक़द्दमे की अगली तारीख़ २-३ सप्ताह बाद नियत करने की प्रार्थना की गई, वह भी अस्वीकार कर दी गई। अगली पेशी आगामी सोमवार (२७ जुलाई) को होना निश्चय किया गया।

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ज़मानत न देने के निर्णय के विरुद्ध सेशन्स जज के सामने २१ तारीख़ को दरख़्वास्त दी गई ; जिसकी पेशी आगामी शनिवार को होने की आज्ञा प्रदान की गई। उनसे मिश्र जी के दूसरे एडवोकेट श्री० डी० सान्याल ने बहुत कुछ अनुनय-विनय की, उनसे कहा गया कि चूँकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अगली पेशी सोमवार को निश्चित की है और शनिवार को प्रार्थना-पत्र पर विचार करने से मिश्र जी तब तक जेल में ही रहेंगे और उन्हें अपनी बचत का प्रबन्ध करने के लिए बिलकुल समय नहीं मिलेगा ; पर सारे अनुनय-विनय का कोई भी फल नहीं हुआ। २०वीं जुलाई से मिश्र जी को 'उच्च-श्रेणी के विचाराधीन क़ैदियों की श्रेणी' में रक्खा गया है।

वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आगामी शनिवार को सेशन्स जज की अदालत में ज़मानत की दरख़्वास्त पर

विचार होने की सम्भावना है और सोमवार को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में मामला पुनः पेश किया जायगा।

❀ ❀ ❀

इन आए दिन की तलाशियों एवं गिरफ़्तारियों से खीज कर 'चाँद' तथा 'भविष्य' के अध्यक्ष श्री० सहगल जी ने महात्मा गाँधी की सेवा में १८वीं जुलाई को शिमले के पते से निम्नलिखित आशय का तार भेजा था और इस तार की नक़ल पं० जवाहरलाल नेहरू के पास भी भेजी गई थी :—

'चाँद' तथा 'भविष्य' के दूसरे सम्पादक—पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए० भी दफ़ा १२४-ए के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। पता चला है, कि यह गिरफ़्तारी "गाँधी-इर्विन समझौते का श्राद्ध" शीर्षक अग्रलेख के सम्बन्ध की गई है। मैं आपको हृदय की समस्त सच्चाई से विश्वास दिलाता हूँ, कि यह लेख आपके लेख की अपेक्षा बिलकुल कड़ा नहीं है। वह समय आ गया है, जब कि केवल अमानुषिक अत्याचारों पर प्रकाश डालने के कारण ही हम लोगों पर इतनी सख़्ती की जा रही है—निष्पक्ष सम्पादन-कार्य असम्भव कर दिया गया है। मुझे तो युद्ध की अपेक्षा इस समझौते के युग में कहीं अधिक हानि उठानी पड़ी है! 'भविष्य' और 'चाँद' ने कॉङ्ग्रेस की नीति का प्रतिपादन करने के कारण केवल एक मास के भीतर दो उच्च-कोटि के शिक्षित सम्पादकों को क़ुर्बानियाँ की हैं। पिछले दो वर्षों के भीतर मुझे क़रीब ५०,००० रुपयों की आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। इस हानि ने मुझे एक बार ही विचलित कर दिया है और अब मुझ में हानि उठाने की शक्ति नहीं रह गई है। जिन सम्पादकों को गिरफ़्तार किया जाता है उनके साथ साधारण क़ैदियों की भाँति व्यवहार किया जाता है। वे अदालत में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ कर लाए जाते हैं। कृपया इन मामलों में हस्तक्षेप कीजिए और मुझे मेरा कर्तव्य बतलाइए!

सहगल जी के इस तार के उत्तर में २० जुलाई को महात्मा गाँधी ने उन्हें जो उत्तर देने की कृपा की है, उसका आशय इस प्रकार है :—

मुझे खेद है इस समय इस मामले में हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं है। इस प्रकार के मामलों के विरुद्ध आपको प्रान्तीय आन्दोलन करना (महात्मा जी ने Should agitate locally लिखा है) चाहिए।

* *

२२वीं जुलाई की दोपहर को सहगल जी 'चाँद' तथा 'भविष्य' के नए मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक—श्री० शङ्करदयाल जी श्रीवास्तव, एम० ए० को अपने साथ लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में डिक्लेरेशन देने के अभिप्रायः से गए। उन्हें मालूम हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब इस समय अपने ख़्वाबगाह ("पलङ्ग-कमरे में हैं" वहाँ गया था) में हैं और आज अदालत में तशरीफ़ नहीं लावेंगे; इसलिए सहगल जी ख़ाँ साहब रहमानबख़्श क़ादरी के इजलास में गए ताकि वहीं डिक्लेरेशन दाख़िल कर दिया जाय; (श्री० भुवनेश्वरनाथ जी मिश्र के डिक्लेरेशन देने के समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दौरे पर था और उनकी जगह पर आप ही ने डिक्लेरेशन लिया था) किन्तु उन्होंने उसे लेने से इन्कार कर दिया। बहुत कुछ पूछने पर आपने बतलाया, कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ख़ास हिदायत है कि आपका डिक्लेरेशन हमेशा उन्हीं के सामने पेश किया जाय। कलक्टर के चीफ़-रीडर की सलाह से और लाचार होकर सहगल जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोठी पर गए, उन्हें अकेले भीतर बुलाया गया और साधारण शिष्टाचार के पहिले ही उनसे पूछा गया, कि आपके 'चाँद' प्रेस का मालिक वास्तव में कौन है? सहगल जी ने उन्हें बतलाया कि प्रेस का मालिक मैं हूँ!!

प्र०—जब आप मालिक हैं तो डिक्लेरेशन अपने ही नाम से क्यों नहीं देते?

उ०—आपको यह प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है; मेरी ओर से नियुक्त किया हुआ कोई भी व्यक्ति डिक्लेरेशन दे सकता है।

प्र०—यह आपकी चाल है कि स्वयं तो विष वमन करें और दूसरों को व्यर्थ में जेल भेजते रहें।

उ०—मैं आपके इन शब्दों का विरोध करता हूँ और भविष्य में मैं आप से इस प्रकार की बातें सुनने को तय्यार नहीं हूँ, आपका कर्तव्य है कि जो डिक्लेरेशन आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है, आप उसे स्वीकार करें।

बाँईं ओर से—(१) "सरदार भगतसिंह" के लेखक श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल—जिन्हें २ वर्ष का कठिन कारावास-दण्ड प्रदान किया गया है (२) 'चाँद' और 'भविष्य' के सम्पादक श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, बी० ए०—जिन्हें १,०००) रु० जुर्माना अथवा ६ मास का कठिन कारावास-दण्ड दिया गया है।

प्र०—मैं भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ, आपको भी जेल की हवा खानी पड़े!

उ०—यदि आप में ऐसा करने की क्षमता है तो अवश्य कीजिए। आपके पास पुलिस है, आपके अधीन फ़ौज और बड़ी-बड़ी सुदृढ़ जेलें हैं; आप जो भी करेंगे—इस अभागे देश में जन्म ग्रहण करने के कारण सब कुछ मुझे मन मसोस कर स्वीकार करना ही पड़ेगा।

प्र०—और मैं अवश्य ऐसा करूँगा, यदि आगे से 'भविष्य' में कोई राजविद्रोहात्मक लेख प्रकाशित हुआ तो स्मरण रखिए, आप बच नहीं सकते!

उ०—मैं बचने का प्रयत्न भी नहीं करूँगा।

प्र०—अच्छा, उस अभागे 'डिक्लेरेन्ट' को बुलवाइए जो जेल की हवा खाने को इतना अधिक उत्सुक है!

सहगल जी ने चपरासी को आवाज़ देकर श्रीवास्तव जी को बुलाने की आज्ञा दी। उनके आने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनसे कहा, कि देखिए सहगल साहब ने अपने को प्रेस का स्वामी बतलाया है और कहा है कि "I possess a Press" [इस पर सहगल जी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का विरोध करते हुए उनसे कहा कि मैंने आपके पूछने पर अपने को केवल प्रेस का मालिक (Proprietor) मात्र बतलाया है; पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सहगल जी से थोड़ी देर चुप रहने को कहा] श्रीवास्तव महोदय से आपने कहा कि मैंने सहगल साहब का बयान दर्ज कर लिया है, कि वे प्रेस के वास्तविक स्वामी हैं और आपको केवल आड़ के लिए यहाँ ले आए हैं: इसलिए आप ख़ूब सोच-समझ लीजिए; क़ानून के अनुसार झूठा डिक्लेरेशन देने के अपराध में मैं आपको २ वर्ष का कठिन कारावास दण्ड और ५,०००) रु० जुर्माने तक की सज़ा दे सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हिन्दुस्तानी में कहा "आप देश-सेवा करें, मुल्क की ख़िदमत करें, एडिटर हों, पब्लिशर हों, पर why submit a false Declaration that you are the Keeper of the Press?

सारांश यह कि अपनी ओर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने श्रीवास्तव महोदय को अधिक से अधिक भड़काने का प्रयत्न किया, पर कोई फल नहीं हुआ। डिक्लेरेशन दाख़िल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्रोध के आवेश में उन पर कुछ लिखा भी है और गिरफ़्तार करने की धमकी भी दी है। इसका फल जो भी होगा वह 'भविष्य' के आगामी अङ्क में पाठकों के सामने उपस्थित कर दिया जायगा।

* * *

उच्छृङ्खलता के इस शासन काल में उन पत्रकारों की दशा कितनी दयनीय है—जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करने के पक्षपाती हैं—इसका अन्दाज़ा पाठकगण उपर्युक्त पंक्तियों से लगा सकते हैं। इस विषय में हम 'भविष्य' के आगामी अङ्क में विस्तृत रूप से लिखने की चेष्टा करेंगे।

—सं० 'भविष्य']

श्री० सुखदेवराज की विजय

लाहौर का २० जुलाई का समाचार है कि दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने श्री० सुखदेवराज के जेल में अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के प्रश्न पर अपना फ़ैसला सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने को ग़ैर क़ानूनी बतलाते हुए हुक्म दिया है, कि अभियुक्त सुखदेवराज एकान्त कोठरी से हटा दिया जाय और उसे दूसरे क़ैदियों के साथ रहने की आज्ञा दे दी जाय।

ट्रिब्यूनल ने जेल अधिकारियों से कहा है, कि इस हुक्म के अनुसार जो कार्रवाई हो, उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर इस ट्रिब्यूनल के सामने जेल के अधिकारी पेश करें।

—ढाका का १९ जुलाई का समाचार है कि सुतरापुर पुलिस ने ढाका ज़िले के चुरहन गाँव के निवासी अरविन्द दत्त को नारायनगञ्ज की सशस्त्र डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिया है। कहा जाता है कि नारायनगञ्ज की पुलीस ने इस सम्बन्ध में नारायनगञ्ज के कई मकानों की तलाशियाँ भी ली हैं।

❀ ❀ ❀

—बागेरहाट (बङ्गाल) का ११वीं जुलाई का समाचार है कि, विदेशी कपड़े के स्थानीय व्यापारियों के पास इस आशय के छपे हुए पर्चे भेजे गए थे कि यदि वे विदेशी कपड़े बेंचना बन्द न करेंगे तो उनके साथ बलप्रयोग किया जायगा। इस पर्चे से स्थानीय व्यापारियों में सनसनी सी फैल गई है और शान्ति-रक्षा के लिए अतिरिक्त पुलीस का एक दल बाज़ार में तैनात कर दिया गया है।

—बहराइच के समाचारों से विदित होता है कि वहाँ के किसान धड़ाधड़ गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। दण्ड-विधान की भिन्न-भिन्न धाराओं के अनुसार अब तक ११३ व्यक्ति गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। इन गिरफ़्तार व्यक्तियों में फ़ी सैकड़े ७५ ऐसे व्यक्ति हैं, जो या तो कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कॉङ्ग्रेस के साथ सहानुभूति रखते हैं।

यहाँ के किसान लगान चुकाने में पूर्णतया असमर्थ हैं। यदि वे अपना सब अनाज बेंच भी डालें तो भी शायद पूरा लगान न चुका सकेंगे।

कहा जाता है कि कुछ लोगों के विरुद्ध, जो ५०६वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए हैं, अभी तक अभियोग उपस्थित नहीं किया गया है। ये मामले केवल पुलीस की रिपोर्टों के आधार पर चलाए जा रहे हैं, और बिना विशेष कार्यवाही के दण्ड दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के मामले जेल ही में चल रहे हैं और अभियुक्तों के सम्बन्धियों तक को भी अदालत में आने नहीं दिया जाता है।

—फ़रीदपुर का १३वीं जुलाई का समाचार है, कि आज धारीसार षड्यन्त्र का मामला, जिसमें ६ विद्यार्थियों पर दण्ड-विधान की ३६१ और ४०२ धाराओं के अनुसार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी धाराओं के अनुसार अभियोग उपस्थित किया गया है, आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ। सभी अभियुक्त अभी २० वर्ष से नीचे की अवस्था के हैं। ये २२वीं दिसम्बर को धारीसार में गिरफ़्तार किए गए थे। कहा जाता है कि गिरफ़्तारी के समय इन लोगों के पास पटाख़े और नाईट्रिक एसिड आदि कुछ वस्तुएँ मिली थीं। ७ महीने पुलीस के हिरासत में रक्खे जाने के बाद ये अदालत में पेश किए गए हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने उन लोगों से प्रथम श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी की भाँति व्यवहार किए जाने का आदेश दिया है।

—बम्बई के १५वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि बारडोली और वलोद के अधिकारियों ने लगान वसूल करने के लिए दमन-नीति से काम लेना शुरू कर दिया है। किसानों के अपनी शिकायतों को महात्मा जी के सामने पेश करने पर, महात्मा जी ने कलक्टर को इस बात की सूचना दी। कहा जाता है, सूरत के कलक्टर ने इस बात की जाँच करने का आश्वासन दिया है।

—लाहौर का १५वीं जुलाई का समाचार, कि आज 'पीपुल' के सम्पादक लाला फ़ीरोज़चन्द का मामला अदालत में पेश हुआ। अभियुक्त ने निम्नलिखित व्यक्तियों को गवाही देने के लिए अदालत की ओर से सम्मन जारी किए जाने की दरख़्वास्त दी, जो नामन्ज़ूर कर दी गई :—एच० ई० एम० बी० अज़ीमी, कौन्सल जेनरलफ़ार परसिया—शिमला; परसिया कौन्सल जेनरल बम्बई; श्री० जी० के० नॉरिमन; श्री० बी० जी० हार्निमेन; मि० एस० ए० ब्रेलवी; पञ्जाब-सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी मि० सी० सी० गर्बेट; मि० करमचन्द; मि० कालीनाथ रॉय; मि० प्यारेमोहन; मि० जी० एस० राघवन और मि० के० पी० कबादी।

मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जिस प्रेस में पत्र छपा है, केवल उसके प्रूफ़रीडरों की गवाही ली जायगी।

— नेत्रकोना का १४ वीं जुलाई का समाचार है कि कल स्थानीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की तलाशी ली गई और कुछ काग़ज़-पत्र बरामद किए गए। कहा जाता है कि यह तलाशी मैमनसिंह भैरव बाज़ार रेलवे डकैती के सम्बन्ध में हुई थी। अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया

मुख़बिर का ख़ून !

लाहौर का १६वीं जुलाई का समाचार है कि सरदार कृपालसिंह नामक एक व्यक्ति, जिसने १९१४-१५ के षड्यन्त्र केस में पुलिस के भेदिए का काम किया था, खानेवाल तहसील के एक गाँव में मार डाला गया है! हत्यारों की संख्या ४-५ के लगभग बतलाई जाती है, सभी हत्यारे लापता हैं।

— बन्नू का १५वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट ने १४४वीं धारा के अनुसार निम्नलिखित आज्ञा जारी की है।

"मुझे यह मालूम हुआ है कि बन्नू ज़िले के वज़ीर कोहाट ज़िले की कॉङ्ग्रेस कमिटी द्वारा सङ्गठित सभाओं से जा सकते हैं, और चूँकि ऐसी सभाओं से सार्वजनिक शान्ति भङ्ग होती है, क्योंकि गत वर्ष एक ऐसी ही सभा में दङ्गा हो गया था, जिससे एक आदमी की जान ली गई थी, मैं इस आज्ञा के द्वारा बन्नू ज़िले के वज़ीरों की कोहाट की सीमा में होने वाली कॉङ्ग्रेस की किसी भी सभा में, जिसमें ५ से अधिक मनुष्य उपस्थित हों, जाने के लिए निषेध करता हूँ।"

बन्नू ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी ने कहा है कि यह आज्ञा नाजायज़ है, क्योंकि इसका सम्बन्ध कोहाट ज़िले से है और बन्नू ज़िले के एक अफ़सर द्वारा जारी की गई है। सेक्रेटरी ने इस आज्ञा की एक प्रति कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति के पास सलाह के लिए भेजा है।

—रङ्गून के १५वीं जुलाई के समाचारों से पता चलता है, कि बर्मा में अभी डकैतियाँ जारी हैं, कहा जाता है कि गत दो दिनों में वहाँ ११ डकैतियाँ की गईं, और दो व्यक्तियों की हत्याएँ भी की गई हैं।

बेसीन में कुछ सशस्त्र डाकू एक आबकारी के अफ़सर के घर में घुस गए और उसकी जायदाद लूट कर चलते बने। थाएटमेयो में दो डाके डाले गए और डकैत एक लड़की को बन्धक के तौर पर उठा कर ले गए। पेगू से भी एक व्यक्ति की हत्या की ख़बर आई है। इस सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं। थारावड्डी में भी एक डाका डाला गया है और एक हत्या भी की गई है।

प्रोम से १६ और मनुष्यों के आत्म समर्पण करने की ख़बर आई है।

कहा जाता है कि १३वीं जुलाई को पुलीस के ज़िला-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने थाएटमेयो के दक्षिण-पश्चिम हॉन और वायुट नामक गाँवों को घेर लिया और ६ व्यक्तियों को, जिनमें हॉन ग्राम के मुखिया और उनके पुत्र भी हैं गिरफ़्तार कर लिया। इन लोगों पर पुलीस के भूतपूर्व ज़िला-सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० स्मिथ को घायल करने का सन्देह किया जाता है।

—रङ्गून के १६वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि शान रियासतों में ६२ मनुष्य गिरफ़्तार किए गए हैं। वहाँ अब पूर्ण शान्ति बतलाई जाती है। विद्रोहियों का नेता अपने कुछ अनुयायियों के साथ भाग निकला है और पुलीस उनका पीछा कर रही है।

लूट और हत्याएँ अभी जारी हैं। इस लूट और हत्या के शिकार विशेष कर गाँवों के मुखिए ही होते हैं।

प्रोम से तीन डकैतियाँ होने की ख़बर मिली है। कहा जाता है कि गाँव का मुखिया अपनी स्त्री समेत मार डाला गया है।

—कलकत्ते का १५वीं जुलाई का समाचार है कि, 'हिन्दू पञ्च' प्रेस द्वारा मुद्रित और प्रकाशित 'प्रसिद्ध शहीद' नामक एक पर्चे को, जिसमें श्री० दिनेश गुप्त, श्री० विजय बोस और श्री० सुधीर गुप्त के चित्र थे, विद्रोहात्मक बतला कर ज़ब्त कर लिया गया है।

— पेशावर का १५वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय लालकुर्त्ती दल के नेता स्वयंसेवकों की भर्त्ती कर रहे हैं। हाल ही में वहाँ १४४वीं धारा जारी कर दी गई है जिसके अनुसार ग्राण्डट्रङ्क रोड के समीप सभाएँ करने और जुलूस निकालने की मनाही कर दी गई है। इस कारण इनका कार्यक्षेत्र बहुत सङ्कुचित हो गया है।

—लुधियाना का १५वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय नौजवान भारत सभा ने, माज़ेर जामिल नामक एक सदस्य का नाम इसलिए काट दिया है, कि उसने एक साम्प्रदायिक परिषद में भाग लिया था।

— पेशावर का २४ वीं जुलाई का समाचार है कि अफ़ग़ानिस्तान के सम्राट नादिरशाह ने अपनी पहली पार्लियामेण्ट में भाषण देते हुए कहा है कि मैंने अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूर्व सम्राट अमानुल्ला को सहायता देने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। यह बात मुझे दक्षिणी प्रान्तों में आने पर मालूम हुई थी, क्योंकि वहाँ के लोगों में यह अफ़वाह ज़ोरों से फैली हुई थी, किन्तु मैंने यह साफ़ ज़ाहिर कर दिया था, कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता था, बल्कि जनता की अनुमति से राज्य-शासन की बागडोर हाथ में लेकर, इस गृह-कलह का अन्त करना चाहता था।

उन्होंने बच्चा सक़ा के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार को कुछ राजनीतिक सुविधाएँ देकर उनके बदले सहायता लेने की बात का भी खण्डन किया।

उनके भाषण से यह भी पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार से १,७५,००० पौण्ड का बिना ब्याज का ऋण तथा १०,००० राइफ़ल और ५० लाख गोलियाँ ऋण स्वरूप ली गई हैं। फ्रेञ्च सरकार से १८ हज़ार राइफ़लें तथा एक करोड़ ८० लाख गोलियाँ उधार ली गई हैं। जर्मनी से भी ५ हज़ार राइफ़लें और ५० लाख गोलियाँ उधार ली गई हैं। इन सबों के अतिरिक्त ५ हज़ार राइफ़लें और ५ करोड़ गोलियाँ ब्रिटिश सरकार से नक़द दाम देकर ख़रीदी गई हैं। अन्य सरकारों से भी युद्ध-सम्बन्धी अनेक सामान नक़दी ख़रीदे गए हैं !!

भारत के प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट श्री० एम० एन० रॉय गिरफ़्तार

भारत के प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट श्री० एम० एन० राय, जोकि मास्को इन्टर नेशनल के सदस्य रह चुके हैं, जिनके विरुद्ध भारत की अनेक अदालतों में षड्यन्त्र और राजद्रोह के अभियोग लग चुके हैं और जो जर्मनी से अभी थोड़े ही दिन हुए लौटे थे, परसों २१ जुलाई को सवेरे ५ बजे गिरफ़्तार कर लिए गए।

पुलीस को श्री० एम० एन० राय के जर्मनी से भारत वापस आने की ख़बर पहले ही लग चुकी थी, परन्तु उसको यह पता नहीं था कि आप कहाँ हैं। कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर और दूसरे प्रमुख नगरों की पुलीस कई दिन से आपकी तलाश में थी। बम्बई की स्पेशल ब्रान्च कई दिन ख़ुफ़िया कार्रवाई करने के बाद इस बात का पता लगा सकी कि श्री० एम० एन० राय बिली स्ट्रीट, बाईकुला में मि० ए० जी० पण्डित के घर पर, जोकि स्थानीय म्युनिसिपल कौन्सिलर मि० वाई० जे० पण्डित के भाई हैं, ठहरे हुए हैं।

पता लगते ही पुलीस कमिश्नर मि० बी० एस० विल्सन, डिप्टी कमिश्नर मि० पेटीगरा बहुत से इन्स-पेक्टरों और स्पेशल ब्राञ्च के अफ़सरों के साथ अत्यन्त गुप्त रीति से गिरफ़्तारी का प्रबन्ध करने लगे। लाहौर, दिल्ली और कलकत्ता की पुलीस, यह जानते हुए भी कि श्री० एम० एन० राय इन नगरों में आए हुए हैं, गिरफ़्तार करने में असफल हुई थी। बम्बई पुलीस के अधिकारियों ने पाँच बजे सवेरे ही श्री० राय के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया था। मि० पेटीगरा ने दरवाज़ा खटखटाया। नौकर ने दरवाज़ा खोलते ही पुलीस को देखकर दरवाज़ा बन्द कर देना चाहा, परन्तु पुलीस का दल रिवॉल्वर लिए ज़बरदस्ती अन्दर घुस गया। पुलिस ने देखा बग़ल के एक कमरे में श्री० एम० एन० राय सो रहे थे। श्री० राय गिरफ़्तार कर लिए गए। आप से कुछ प्रश्न किए गए, परन्तु आपने उत्तर देने और अपना नाम बतलाने से इन्कार कर दिया। तलाशी में बहुत से काग़ज़ात मिले जोकि ज़ब्त कर लिए गए। इसके बाद आप पुलीस हेडक्वार्टर में भेज दिए गए।

श्री० एम० एन० राय एक सुन्दर डील डौल के व्यक्ति हैं। आप दफ़ा १२१-ए के अनुसार बादशाह के विरुद्ध युद्ध करने के अपराध में गिरफ़्तार किए गए हैं।

आपके साथ ही आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉङ्ग्रेस के स्थानीय सेक्रेटरी मि० ए० ए० शेख़, डॉ० शेठी, मज़दूर-नेता मि० सुन्दर कबाडी जोकि पिछले साल जुलाई महीने में जर्मनी से भारत आए थे और मि० चार्ल्स मैसकरेनहर भी गिरफ़्तार हुए हैं।

पुलीस ने लेबर कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ० जी० जी० चिटनिस, टोयोपोडर मिल के एकाउन्टैन्ट मि० यू० आर० पुटली, जोकि लैमिङ्गटन रोड गोली-काण्ड में भी गिरफ़्तार कर लिए गए थे और बाद में छोड़ दिए गए थे, बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे यूनियन के मि० जे० एन० शेठी और टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी के मि० एन० एस० शेठी और अब्दुल करीम सराफ़ अली को भी गिरफ़्तार कर लिया है।

राय की कम्यूनिस्ट भारत बनाने की स्कीम

दिसम्बर सन् १९२९ में श्री० एम० एन० राय मास्को की कम्यूनिस्ट इन्टर नेशनल से, दल की नीति से भ्रष्ट हो जाने के कारण निकाल दिए गए थे।

अगस्त सन् १९२८ में भारतीय समाचार-पत्रों में आपकी भारत को कम्यूनिस्ट बनाने की स्कीम प्रकाशित हुई थी। आपने उस स्कीम में कहा था कि भारतीय युद्ध का परिणाम यह अवश्य ही होगा कि पूँजीवाद और साम्राज्यवाद नष्ट हो जायँगे और उनके स्थान साम्यवाद की व्यवस्था होगी। आपने उस स्कीम द्वारा मज़दूरों, किसानों, पढ़े-लिखे बेकारों और शहर के निवासियों में असन्तोष उत्पन्न करने का विचार किया था। इसके लिए आपने गुप्त संस्थाओं के स्थापित करने की सलाह दी थी। आपने अपनी स्कीम में भूमि को राष्ट्र की सम्पत्ति बना देने, ज़मींदारी प्रथा तथा देशी रियासतों को हटा देने, किसानों का क़र्ज़ रद्द कर देने, मज़दूरी का समय प्रति दिन ८ घण्टा कर देने और सबको हथियार रखने का अधिकार दे देने की बात भी कही थी।

२०वीं जुलाई को कचहरी की हवालात में बैठे हुए दफ़ा १२४-ए के तीन शिकार
(कटघरे में) श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए०
(बाईं ओर से बैठे हुए) श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए० तथा श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल।

श्री० राय मास्को इन्टर नेशनल की तरफ़ से भारत में साम्यवाद के प्रचार और सङ्गठन के लिए नियुक्त किए गए थे।

मेरठ षड्यन्त्र केस में आपका नाम कई बार आ चुका है। मैजिस्ट्रेट ने किसी सम्बन्ध में श्री० एम० एन० राय के विषय में कहा था कि आपने कई एक पुस्तकें भी लिखी थीं, जोकि ज़ब्त हैं। आपने मास्को की कम्यूनिस्ट इन्टर नेशनल की अनेक सभाओं में भी भाग लिया है। श्री० एम० एन० राय सन् १९२४ के कानपुर कम्यूनिस्ट षड्यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त रहे हैं। वे अक्सर मास्को जाया करते हैं। सन् १९२८ में मास्को की कम्यूनिस्ट इन्टर नेशनल की विश्व-कॉङ्ग्रेस में भी वे गए थे। वहाँ किसी विषय में झगड़ा हो जाने के कारण अपने कार्य से हटा दिए गए थे।

श्री० एम० एन० राय चीफ़ प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। पुलीस ने ४ अगस्त तक के लिए मोहलत माँगी है। श्री० राय के अतिरिक्त और सब गिरफ़्तार व्यक्ति पाँच-पाँच सौ रुपए की ज़मानत पर छोड़ दिए गए हैं।

* * *

कानपुर की विचित्र पहेली

ता० १८ जुलाई का समाचार है कि वीरभद्र तिवारी पर नारियल बाज़ार की एक गली के मोड़ पर दो बजे दोपहर को किसी ने गोली का वार कर दिया। आक्रमणकारियों ने तीन गोलियाँ चलाईं, परन्तु वीर-भद्र तिवारी एक मकान के ज़ीने में छिप जाने के कारण बच गए। आक्रमणकारी भी भाग गए। एक गोली पास ही खड़ी एक गाय के पैर में लगी, दूसरी उस ज़ीने में लगी जहाँ वह छिप गए थे, तीसरी एक दीवार में लगी। पुलिस तुरन्त ही घटनास्थल पर पहुँच गई और डी० ए० वी० कॉलेज के लॉ के विद्यार्थी श्री० अश्विनीकुमार मिश्र को, जो कि ज़मीन पर के ख़ून के दाग़ देख रहे थे, रोक लिया। गोली चलने पर वीरभद्र तिवारी ने श्री० अश्विनीकुमार मिश्र के घर में छिप कर और अन्दर से दरवाज़ा बन्द करके अपनी जान बचाई थी। कहा जाता है कि अश्विनीकुमार मिश्र ने वीरभद्र तिवारी से मकान के बाहर निकल जाने के लिए कहा था।

पुलिस ने इस सम्बन्ध में एक बुड्ढे 'ज्योतिषी' को भी गिरफ़्तार किया था जो कि बाद में छोड़ दिए गए।

कानपुर की जनता के लिए वीरभद्र तिवारी एक विचित्र पहेली हो रहे हैं। वीरभद्र तिवारी थोड़े ही समय पहले कॉङ्ग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता थे। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में आप जेल भी गए थे। काकोरी षड्यन्त्र में आप भी गिरफ़्तार हुए थे, परन्तु बाद में छोड़ दिए गए। दिल्ली षड्यन्त्र केस में मुख़बिर कैलाशपति ने जो बयान दिया है उसमें भी वीरभद्र तिवारी का नाम कई जगह आया है। मुख़बिर ने बयान किया है कि वीरभद्र तिवारी यू० पी० क्रान्तिकारी दल के प्रान्तीय सङ्गठन-कर्ता और केन्द्रीय कमेटी के सदस्य थे। मुख़बिर ने अपने बयान में यह भी कहा है कि गाडोदिया स्टोर की डकैती में उन्हें सब से अधिक हिस्सा दिया गया था। लोगों ने आप पर षड्यन्त्रकारी होने और साथ ही पुलीस से मिले रहने का सन्देह करके आपको दल से निकाल दिया था। आप दिल्ली षड्यन्त्र में गिरफ़्तार नहीं किए गए, इसलिए मालूम होता है कि आपके साथियों का सन्देह और भी अधिक बढ़ गया है और वे उनके विरुद्ध हो गए हैं। थोड़े समय से स्थानीय यूथलीग ने भी आपका नाम सदस्यों से हटा दिया है। इस रहस्यमय गोली-काण्ड की जाँच हो रही है।

कानपुर का २१ जुलाई का समाचार है कि स्थानीय बेकारी सभा के मन्त्री श्री० रमेशचन्द्र मेहता पर शाम के वक़्त मेस्टन रोड पर किसी ने गोली चला दी। जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए हैं। कहा जाता है कि आक्रमणकारी राजाराम ज़ालिम है, जो कि मेस्टन रोड में वीरभद्र तिवारी के साथ रहता है जिन पर शनि-वार के दिन रिवॉल्वर का आक्रमण हुआ था।

कहा जाता है कि गोली चलाने के समय ज़ालिम साइकिल पर था। श्री० मेहता और श्री० मुनीश्वर प्रसाद अवस्थी किसी सभा से वापस आ रहे थे। ज़ालिम ने गोलियों के चार वार किए, जिनमें से एक मेहता के पीठ में लगी।

आक्रमणकारी के पीछे दौड़ने पर उसने एक गोली और चलाई। इसके बाद साइकिल से नीचे गिर कर वह वीरभद्र तिवारी के मकान में घुस गया। मकान के पास बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। ज़ालिम के सशस्त्र होने के कारण घर के अन्दर जाकर उसे पकड़ने का प्रयत्न नहीं किया गया। बाद में जब कुछ पुलीस अफ़सरों ने, जिनमें मि० नाटवावर भी थे, दो ग़ैर सरकारी आदमियों के साथ मकान की तलाशी ली, तो आक्रमणकारी नहीं मिला। मि० मेहता अस्पताल पहुँचाए गए। एक्सरे द्वारा परीक्षा हुई। हालत ख़तरनाक होने के कारण उनका मरणासन्न बयान ले लिया गया है।

"मरीज़ का टेम्परेचर अभी उतना ही है"

महात्मा जी क्या वास्तव में विलायत जायँगे ?

शिमला का तारीख़ २१ जुलाई का समाचार है कि महात्मा गाँधी और वॉयसरॉय की निष्फल बातचीत होते-होते भोजन का समय तक आ गया।

वॉयसरॉय के भवन से बाहर निकलने पर और एसोसिएटेड प्रेस के विशेष सम्वाददाता के पूछने पर महात्मा गाँधी ने कहा—"बातचीत असमाप्त रही, परन्तु अब अधिक बातचीत के लिए मैं यहाँ ठहरूँगा नहीं। कल मैं बारडोली के लिए रवाना हो जाऊँगा और वहाँ से बोरसद जाऊँगा।"

प्रतिनिधि के यह पूछने पर कि क्या अभी और बातचीत होगी, महात्मा गाँधी ने कहा कि सम्भवतः पत्र-व्यवहार द्वारा बातचीत हो और उसी से शायद बाद में अधिक प्रकाश दीख पड़े। महात्मा गाँधी के शब्दों में इस समय परिस्थिति ज्यों की त्यों है, रोगी का टेम्परेचर अभी उतना ही है।

इङ्गलैण्ड जाने के विषय में पूछने पर महात्मा गाँधी ने कहा कि यह विषय अब भी सन्दिग्ध है। जब तक जहाज़ पर नहीं बैठ जाता, तब तक कोई निश्चय नहीं है।

महात्मा गाँधी ने सन्ध्या का भोजन और अपनी प्रार्थना वॉयसरॉय के भवन में ही की।

राजनीतिक केन्द्रों में जो चर्चा है, उससे मालूम होता है, संयुक्त-प्रान्त की आर्थिक अवस्था की जाँच के सम्बन्ध में सरकारी अफ़सरों से सलाह करने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत पड़ेगी।

हंसराज (उर्फ़ वायर्लेस) की तलाश !

दो संन्यासी गिरफ्तार :: हंसराज जापान पहुँच गए !

जापान सरकार ने उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को सौंपने से इन्कार कर दिया

हंसराज 'रा सूदा' की पार्टी के मंत्री बना दिए गए !

अमृतसर का १७वीं जुलाई का समाचार है कि पुलीस ने दो संन्यासियों को षड्यन्त्रकारी होने के सन्देह में गिरफ़्तार कर लिया था। इन गिरफ़्तारियों का विवरण बहुत मनोरञ्जक है। एक पुलीस के आदमी ने कोतवाली में जाकर ख़बर दी कि मैंने संन्यासी के रूप में (बेतार के तार के विशेषज्ञ) षड्यन्त्रकारी हंसराज को दुर्गियाना मन्दिर के पास देखा है। उसके साथ एक और षड्यन्त्रकारी संन्यासी के रूप में है। यह ख़बर पाकर सी० आई० डी० के अफ़सर तुरन्त उस स्थान पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि दो संन्यासी उस स्थान से जा रहे हैं। इस पर पुलीस के आदमी ने कहा कि वे पुलीस को देख कर भाग रहे हैं। थोड़ी दूर तक पुलीस के आदमी संन्यासियों के पीछे-पीछे चले, बाद में उन्हें गिरफ़्तार करके शहर की कोतवाली में भेज दिया गया। हंसराज की फ़ोटो से संन्यासियों की सूरतें मिलाई गईं, परन्तु वे कोई दूसरे ही निकले !

प्रश्न करने पर एक संन्यासी ने पुलीस-अफ़सर से कहा कि मेरे साथ अमृतसर सात और संन्यासी आए हैं, जोकि दुर्गियाना मन्दिर में ठहरे हुए हैं। इस बात की जाँच करने के लिए संन्यासियों के साथ एक पुलीस का आदमी कर दिया गया। संन्यासियों का कथन सच निकलने पर वह छोड़ दिया गया।

दूसरे संन्यासी ने पुलीस से कहा कि मैं लाहौर ज़िले में बलटोहा पुलीस-चौकी के पास के गाँव का रहने वाला हूँ। उस पर षड्यन्त्रकारी होने का सन्देह किया गया। संन्यासी के गाँव एक पुलीस का आदमी भेजा गया। उसने जाकर वहाँ पुलीस से पता लगाया कि उस व्यक्ति की किसी मामले में ज़रूरत तो नहीं है। उसने आकर बतलाया कि इस व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार वह संन्यासी भी छोड़ दिया गया।

बाद के समाचारों से पता चलता है कि लाहौर षड्यन्त्र केस के फ़रार कहे जाने वाले अभियुक्त श्री० हंसराज उर्फ़ "वायर्लेस" सकुशल जापान पहुँच गए हैं। यह भी पता चला है कि श्री० हंसराज भारत के सुप्रसिद्ध विप्लवकारी नेता श्री० रासबिहारी बोस (रासूदा) के साथ टोकियो में रहने लगे हैं। कहा जाता है कि भारत-सरकार ने जापान-गवर्नमेण्ट से श्री० हंसराज को दे देने की प्रार्थना की थी, जो जापान सरकार ने अस्वीकार कर दी है। यह भी पता चला है कि श्री० रासबिहारी बोस ने श्री० हंसराज को अपनी सुप्रसिद्ध 'इण्डियन नेशनल पार्टी' का मन्त्री नियुक्त किया है। अभी तक सरकार की ओर से इस समाचार का खण्डन नहीं किया गया है।

* * *

पापी पेट के कारण—

जापान कहाँ है ? धोखेबाज़ी की हद !!

इलाहाबाद का १८ जुलाई का समाचार है कि एक कपड़े की दूकान पर कुछ देहाती कपड़ा ख़रीद रहे थे। दूकानदार ने देहातियों को विदेशी वस्त्र दिखलाया। देहातियों के यह पूछने पर कि वस्त्र स्वदेशी है या नहीं, दूकानदार ने कहा कि यह जापानी है। देहातियों ने कहा कि जापान भी तो विदेश है, परन्तु दूकानदार ने तुरन्त उत्तर दिया कि जापान विदेश नहीं है। बल्कि हिन्दुस्तान के एक स्टेशन का नाम है, जोकि कानपुर और टूँडला के बीच में है !!

घोड़े की बग़ावत

पुलीस और फ़रार अभियुक्तों के बीच गोलियों की वर्षा

पुलीस के घोड़े पर 'फ़रार' व्यक्ति ग़ायब हो गया !

लाहौर का १६ जुलाई का समाचार है कि लायलपुर ज़िले में ६४ चक के गाँव के पास पुलीस-दल और कुछ फ़रार अभियुक्तों के बीच गोली चल गई।

फ़रार अभियुक्त एक खेत में छिपे बैठे थे। पुलीस के आदमियों ने उन्हें पहचान कर उनसे उसी स्थान पर बैठे रहने के लिए चिल्ला कर कहा। आवाज़ सुन कर सब भाग निकले। परन्तु एक के पैर में गोली लग गई, इसलिए वह रह गया। इसने भी गोली का जवाब रिवॉल्वर की गोलियों की वर्षा से दिया। जिससे कुछ पुलीस अफ़सर घायल हो गए। एक गोली घोड़े को भी लगी। उसने सवार (पुलीस अफ़सर) को नीचे गिरा दिया और घायल होकर फ़रार की ओर गया। फ़रार अभियुक्त उसी घोड़े पर बैठ कर ग़ायब हो गया।

यह घोड़े की बग़ावत नहीं तो और क्या है ?

बोनस माँगने पर गोलियाँ मिलीं !!

५ अभागे मरे :: १०० घायल !!

बैंगलोर का १६ जुलाई का समाचार है कि बिन्नी मिल के मज़दूरों पर पुलीस ने गोली चला दी। मज़दूर मिल के हाते में एकत्र होकर शान्तिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे। वे न तो अपना काम करने के लिए राज़ी होते थे और न मिल का हाता छोड़ने के लिए ही। इस पर पहले पुलीस ने मज़दूरों पर लाठी-चार्ज किया। इसके बाद गोली चला दी। मज़दूरों ने मिल-मालिकों से बोनस की माँग पेश की थी। मिल-मालिकों ने व्यापारिक शिथिलता के कारण उनकी माँग नामन्ज़ूर कर दी थी।

'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' के अनुसार पुलीस की गोली से ५ व्यक्ति मरे और १०० घायल हुए हैं। सरकारी वक्तव्य के अनुसार गोली चलाना आवश्यक था। २,००० मज़दूरों ने मिल के ऑफ़िस को घेर लिया था और वे चारों तरफ़ बेहिसाब पत्थर फेंक रहे थे। मिल तथा अफ़सरों और पुलीस की रक्षा के लिए गोली चलाना आवश्यक था। घायलों में एक सब-इन्स्पेक्टर और तीन कॉन्स्टेबिल भी हैं, जो कि अस्पताल पहुँचाए गए हैं। परिस्थिति क़ाबू में बतलाई जाती है।

* * *

दफ़ा १४४ के अद्भुत करश्मे

[आठवें पृष्ठ का शेषांश

"मुझे मालूम हुआ है कि बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी एस्प्लेनेड मैदान में हिन्दुस्तानी फ़ौजों की छावनी के निकट अपने वालण्टियरों तथा अन्य मनुष्यों को क़वायद-कसरत और समूह बाँध कर चलना सिखलाती है। मुझे मालूम हुआ है कि कॉङ्ग्रेस-वालण्टियरों तथा अन्य मनुष्यों की क़वायद-कसरत और उनके समूह बाँध कर चलने का जो ढङ्ग है, उससे उत्तेजना और शान्ति भङ्ग होने की आशङ्का पैदा होती है। इसलिए सार्वजनिक शान्ति भङ्ग या दङ्गा-फ़साद को रोकने के लिए मैं आज से दो महीने के लिए क़वायद-कसरत और समूहों में चलने का कार्य बन्द करना आवश्यक समझता हूँ।"

हमें आशा है कि अब इस दफ़ा में ऐसे संशोधन कर दिए जायँगे, जिससे ऐसे बेढङ्गे हुक्म न निकल सकें।

भारत के सरकारी क़र्ज़ की जाँच

कराची कॉङ्ग्रेस ने भारत के सरकारी ऋण की जाँच करने के लिए जो 'सेलेक्ट कमिटी' नियुक्त की थी, उसने अपनी रिपोर्ट कॉङ्ग्रेस के सामने पेश कर दी है।

रिपोर्ट तीन मुख्य भागों में विभाजित है। पहले भाग में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सन् १८५८ तक लिए गए क़र्ज़ पर विचार किया गया है, दूसरे भाग में कम्पनी से ब्रिटिश पार्लामेण्ट के हाथों में शासन-भार चले जाने पर जो क़र्ज़ लिया गया है, उस पर विचार किया गया है। इस भाग के दो हिस्से हैं, एक में ऐसे क़र्ज़ का विवरण है, जिसकी बचत में किसी प्रकार का धन शेष नहीं है, दूसरे में ऐसे क़र्ज़ का विवरण है, जोकि किसी न किसी प्रकार के साम्पत्तिक रूप में मौजूद है। तीसरे भाग में कमिटी ने भारत के सरकारी ऋण पर अपनी सम्मतियाँ पेश की हैं।

कमिटी का कहना है कि जब से ब्रिटिश शासन क़ायम हुआ, तब से आज तक भारत के नाम पर लिया गया कोई भी ऋण भारतवासियों की सम्मति से नहीं लिया गया। इसलिए इस समय ऐसे ऋणों के अनौचित्य के विषय में विचार कर लेना आवश्यक है। कमिटी ने यह भी कहा है कि भारत का 'सरकारी ऋण' 'राष्ट्रीय ऋण' नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके लेने वाले ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतिनिधि रहे हैं। भारत में लोकसत्तात्मक शासन-विधान का नाम-मात्र भी नहीं रहा है। फिर भी कमिटी का मत है कि जो क़र्ज़ न्याय से और भारत के हित के लिए लिए गए हैं, उन्हें भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए।

ईस्ट इण्डिया के शासन-समय में

ईस्ट इण्डिया कम्पनी दो शताब्दियों के अन्दर किस प्रकार एक व्यापारिक संस्था से बदल कर शासक संस्था बन गई, इसका कमिटी ने एक संक्षिप्त इतिहास बतलाया है। चूँकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक और शासन-सम्बन्धी हिसाब-किताब एक-दूसरे से मिले हुए और बहुत गड़बड़ हैं, इसलिए कमिटी अपनी जाँच की कार्रवाई के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा ग़दर के पहले ३० एप्रिल सन् १८५७ तक लिए गए क़र्ज़ की तादाद वही मान लेती है, जो तादाद सर जॉर्ज बैलफ़ोर ने सन् १८८१ में पार्लामेण्ट के सामने इस सम्बन्ध में हिसाब पेश करते हुए अपने प्रस्ताव में बतलाया था। कम्पनी के उस क़र्ज़ की तादाद का साधारण ब्योरा इस प्रकार है :—

बाहरी युद्धों के लिए कम्पनी द्वारा लिए गए क़र्ज़ :—

प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध ...	१५० लाख पौण्ड
दो बर्मा-युद्ध	१४० लाख पौण्ड
चीन, फ़ारस, नेपाल आदि की चढ़ाइयों के लिए लिया गया क़र्ज़	६० लाख पौण्ड
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मूलधन आदि पर दिया गया ब्याज, (सन् १८३३ से लेकर सन् १८५७ तक)..	१५० लाख पौण्ड
	५०० लाख पौण्ड

कम्पनी के बाहरी युद्ध

बाहरी युद्धों के व्यय भारत पर लादना कहाँ तक उचित है, इस सम्बन्ध में सर जॉर्ज विनगेट के निम्न-लिखित विचार महत्व के हैं :—

"साम्राज्य से बाहर के देशों के साथ जो हमारे युद्ध हुए हैं, उनमें से अधिकांश एशियाई युद्ध भारत-सरकार की फ़ौज और उसके धन के द्वारा हुए हैं। यद्यपि इनमें से कुछ युद्धों का उद्देश्य केवल ब्रिटेन का हित-साधन था और बाक़ी युद्धों का भी भारत के हित से बहुत कम सम्बन्ध था। वे युद्ध उस समय की पार्लामेण्ट के ब्रिटिश मन्त्रियों के आदेशानुसार भारत-सरकार द्वारा छेड़े गए थे। उन युद्धों के परिणामों की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी ब्रिटिश राष्ट्र पर है। इन युद्धों में अफ़ग़ान-युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके विषय में यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है, कि वह युद्ध ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने बिना 'कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स' से सलाह लिए और उनकी राय के विरुद्ध छेड़ दिया था। वास्तव में वह युद्ध केवल ब्रिटिश युद्ध था। परन्तु यह होते हुए भी ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल ने उसका सम्पूर्ण व्यय भारत पर लाद दिया। यद्यपि कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टर्स और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने एक स्वर से कहा था, कि इस युद्ध का सम्पूर्ण व्यय भारत पर न लादा जाय। इस अन्याय से भारत के क़र्ज़ में १०० लाख पौण्ड की वृद्धि कर दी गई। फ़ारस से ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल ने जिस नीति से युद्ध छेड़ा था, उससे भारत का कोई भी सम्बन्ध न था, फिर भी उस युद्ध में भारतीय फ़ौजों और भारतीय साधनों से काम लिया गया और बाद में व्यय का केवल आधा ब्रिटेन के ज़िम्मे रक्खा गया। हमारे सभी एशियाई युद्ध भारत के जन और धन से चलाए गए हैं, फिर भी ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, जिसमें भारत को उसकी ऐसी सहायता का उचित पुरस्कार दिया गया हो। हमारी भारतीय नीति कितनी पक्षपातपूर्ण और स्वार्थपूर्ण है, इसका यह अकाट्य प्रमाण है।"

जॉन ब्राइट ने इसके समर्थन में हाउस ऑफ़ कॉमन्स में कहा था :—

"पिछले साल मैंने अफ़ग़ान-युद्ध के अपरिमित व्यय का ज़िक्र किया था। मैंने कहा था कि इस व्यय का भार इङ्गलैण्ड के कर-दाताओं पर पड़ना चाहिए, क्योंकि यह युद्ध अङ्गरेज़ी मन्त्रि-मण्डल ने ब्रिटेन के हित की दृष्टि से छेड़ा था।"

कमिटी की राय है कि ३५० लाख पौण्ड का व्यय ब्रिटेन अपने ऊपर ले।

कम्पनी के मूल-धन की पूर्ति

ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का ६० लाख पौण्ड का स्टॉक सन् १८७४ में १२० लाख पौण्ड देकर पूरा किया गया। १० फ़ी सदी सूद दिया गया। कुल मिला कर ३७० लाख पौण्ड दिया गया, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

ब्याज	१८३३—१८५७	...	१,५१,२०,०००
"	१८५८—१८७४	...	१,००,८०,०००
ल स्टॉक	...	... ...	१,२०,००,०००
			३,७२,००,००० पौण्ड

कमिटी का कहना है कि भारत के ख़ज़ाने से कम्पनी को इतना धन देने से भारत का किसी प्रकार का हित नहीं हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत का व्यापार और अपना अधिकार ब्रिटिश पार्लामेण्ट के हाथों में बेच दिया, परन्तु इसका मूल्य भारत को चुकाना पड़ा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मालिकों और ब्रिटिश पार्लामेण्ट के बीच जो सौदा हुआ था, उसके परिणाम-स्वरूप भारत को यह मूल्य देना पड़ा। इस सौदे में भारतवासियों का किसी प्रकार का हाथ नहीं था, न उसमें उनके किसी हित का विचार किया गया। न्याय और नेकनीयती की दृष्टि से ऐसा कोई भी प्रबन्ध भारतवासियों पर लागू नहीं समझा जा सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और कम्पनी के बीच जो समझौता हुआ था, उससे भारत को किसी प्रकार का भी लाभ नहीं पहुँचा, न तो भारत को कम्पनी का कोई धन ही मिला, जोकि उसने ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को दे दिया, न किसी प्रकार का शासन-सम्बन्धी अधिकार ही मिला और न देश की नौकरियों या देश की सम्पत्ति में ही कोई उचित हिस्सा मिला। कम्पनी के शासन में भारतवासी उपरोक्त सभी अधिकारों से वञ्चित रक्खे गए। परन्तु ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को ईस्ट-इण्डिया कम्पनी से अत्यधिक लाभ पहुँचा।

ग़दर का ख़र्च

सन् १८५७ के ग़दर में ४०० लाख पौण्ड ख़र्च हुए थे। कमिटी का कहना है कि ग़दर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के कुप्रबन्ध और बुरे शासन के कारण हुआ था, जोकि कम्पनी की तरफ़ से कार्य कर रही थी, इसलिए ग़दर में लगा ख़र्च ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के ज़िम्मे पड़ना चाहिए। इस बात के समर्थन में भारत-मन्त्री के ८ अगस्त सन् १८७२ के पत्र का एक अंश उद्धृत किया जा सकता है।

"१८५७ का ग़दर विशाल और असाधारण था। ब्रिटिश भारत के इतिहास में इस अनोखी घटना के अवसर पर ब्रिटेन की साम्राज्य सरकार पूर्व में साम्राज्य-रक्षा के लिए उन प्रयत्नों को करने के लिए बाध्य थी, जोकि कभी-कभी साम्राज्य-शासकों को साम्राज्य-सम्बन्धी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए करने ही पड़ते हैं। जो हो, यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि इसी प्रकार का युद्ध साम्राज्य के किसी अन्य उपनिवेश में करना आवश्यक हो जाता, तो युद्ध तो किया ही जाता, साथ ही उस युद्ध का व्यय भी, सम्पूर्ण नहीं तो अधिकांश, साम्राज्य सरकार को सहन करना होता। परन्तु भारतीय ग़दर के सम्बन्ध में ग़दर के व्यय का कोई भी भार साम्राज्य सरकार पर नहीं पड़ा। उसका सम्पूर्ण देनदार भारतीय कर-दाता बना दिया गया है।"

कमिटी ने उपरोक्त कथन के उदाहरण-स्वरूप बोर-युद्ध का उल्लेख किया है। उस युद्ध में ब्रिटेन ने युद्ध का केवल व्यय ही नहीं स्वीकार किया, बल्कि युद्ध द्वारा नष्ट स्थानों के पुनर्निर्माण के लिए बोर लोगों को ३० लाख पौण्ड सहायतार्थ दिया।

इस प्रकार कम्पनी के समय में भारतवासियों पर १,१२० पौण्ड का क़र्ज़ लादा गया, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध का ख़र्च	... १,५०,००,०००
दो बर्मा-युद्धों का ख़र्च	... १,४०,००,०००
चीन, फ़ारस आदि देशों पर चढ़ाई का ख़र्च ...	... ६०,००,०००
कम्पनी के मूल धन आदि की पूर्ति में ख़र्च ...	... ३,७२,००,०००
ग़दर का ख़र्च ...	... ४,००,००,०००
	११,२२,००,००० पौण्ड

भारत को यह दावा पेश करने का हक़ है कि उसके ऊपर लादा गया उपरोक्त ऋण का बोझ अनुचित है।

ब्रिटिश शासन-समय में भारत

सन् १८५८ से भारत-सरकार द्वारा जो क़र्ज़ लिए गए हैं, वे दो हिस्सों में विभाजित किए जा सकते हैं।

पहले हिस्से में ऐसे क़र्ज़ों की गिनती है, जोकि 'अनुत्पादक' हैं, अर्थात् उनसे किसी प्रकार की स्थायी सम्पत्ति नहीं क़ायम हुई। इनमें 'बाहरी युद्धों' के ख़र्च, अन्य प्रकार के विभिन्न ख़र्च, अकाल-सहायता का ख़र्च, विनिमय दर के परिवर्तन से होने वाले नुक़सानों आदि का ख़र्च शामिल है।

बाहरी युद्ध

एबीसीनिया की चढ़ाई, दूसरे अफ़ग़ान-युद्ध, बर्मा-युद्ध ईजिप्ट और सीमा-प्रान्त के फ़ौजी प्रबन्धों में जो ३७ करोड़ पौण्ड से ऊपर ख़र्च हुआ था, वह भारत के ऊपर लादना अनुचित है, क्योंकि उपरोक्त सम्पूर्ण कार्रवाइयाँ साम्राज्य-हित अर्थात् ब्रिटेन के हित के उद्देश्य से की गई थीं, भारत का उनसे कोई सम्बन्ध न था। इस बात के समर्थन में कमिटी ने लॉर्ड सैलिसबरी, लॉर्ड नार्थब्रुक, भारत-मन्त्री सर चार्ल्स ट्रेवीलियन, लॉर्ड लिटन, मि० फ्राकेट, मि० ग्लैडस्टन, मि० गोखले, सर डी० ई० वाचा और अन्य व्यक्तियों के कथनों के उदाहरण पेश किए हैं।

यूरोपीय युद्ध के सम्बन्ध में दो प्रकार के दावे पेश किए गए हैं—(१) युद्ध में भारत-सरकार ने ब्रिटेन को जो रुपया दान-स्वरूप दिया है वह और (२) युद्ध के व्यय का हिस्सा लौटा दिया जाय। पहले दावे के अनुसार ब्रिटेन को १८९ करोड़ लौटा देना चाहिए। यह दावा दो कारणों से पेश किया जाता है :—

(१) जिस क़ानून द्वारा भारत-सरकार की रचना हुई है, उसके अनुसार भारत-सरकार को इस बात का कोई हक़ नहीं है कि वह भारत के ख़ज़ाने से ब्रिटेन को किसी प्रकार का दान दे सके। यूरोपीय युद्ध में जो धन दान में उसने ब्रिटेन को दिया है, वह ग़ैरक़ानूनी है, इसलिए उसे लौटा देना चाहिए।

(२) उतना धन दान-रूप में देना भारतवासियों की आर्थिक स्थिति के बाहर है। दूसरे भारत ने युद्ध में मनुष्यों और युद्ध-सामग्रियों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी उपनिवेश से कहीं अधिक सहायता पहुँचाई है।

दूसरा दावा, जोकि युद्ध के व्यय के हिस्से के लिए है, १७१ करोड़ का है। इसका हिसाब सन् १९१४-१५ के फ़ौजी ख़र्च के माध्यम के अनुसार लगाया गया है। १९१५-१६ से लेकर सन् १९२०-२१ तक उपरोक्त सन् १९१४-१५ के माध्यम से जो ऊपर ख़र्च हुआ है, उस पर भारत का हक़ है।

इस प्रकार बाहरी युद्धों के सम्बन्ध में भारत का दावा ३९७ करोड़ के ऊपर है।

विभिन्न ख़र्च

इण्डिया ऑफ़िस, अदन, फ़ारस और चीन के दूतों का ख़र्च, धार्मिक ख़र्च आदि साम्राज्य सम्बन्धी ख़र्च हैं। इनमें २०० लाख पौण्ड ख़र्च होते हैं। उनका भार भारत पर नहीं, बल्कि साम्राज्य-सरकार पर पड़ना चाहिए। इस दावे के समर्थन में कमिटी ने मेजर जनरल कॉलेन, मि० स्टेफ़िन जैकब सी० एस० आई०, ब्रेल्वी कमीशन आदि के कथनों को उद्धृत किया है।

बर्मा

सन् १८८६ से बर्मा के बजट में जो कमी पड़ती रही है, उसके हिसाब में १५ करोड़ और उसका ब्याज और रेलवे-विभाग के घण्टे का २२ करोड़ और भारत की रक्षा में जो ख़र्च होता है, उसमें १ करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से सन् १८८६ से अब तक का ४५ करोड़ भारत को मिलना चाहिए। कमिटी के एक सदस्य की राय है कि बर्मा-बजट की कमी के सम्बन्ध में तभी दावा पेश करना चाहिए, जब बर्मा भारत से पृथक हो।

अकाल की सहायता में ख़र्च

अकाल की सहायता में जो ख़र्च हुआ, उसका बोझ भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे इस विषय में कितना ही अपव्यय क्यों न हुआ हो।

विनिमय दर के परिवर्तन से हानि

कमिटी का कहना है कि गवर्नमेण्ट की करेन्सी और विनिमय नीति से इस देश के व्यापार और देश की चाँदी की सम्पत्ति में जैसी हानि हुई है, उसका अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फिर भी इस सम्बन्ध में कमिटी भारत को कोई दावा पेश करने की सलाह नहीं देती। इस हानि के द्वारा भारत ने शासकों के साम्पत्तिक विषयों के ज्ञान की अयोग्यता और उनके कुप्रबन्ध का मूल्य चुकाया है।

रिवर्स कौन्सिल

कमेटी ने शासकों की इस कार्रवाई को अत्यन्त खेदजनक बतलाया है। इस नीति से भारत को ३५ करोड़ की हानि हुई है। ब्रिटेन को भारत के इस दावे को भी पूर्ण करना चाहिए।

रेल

रेलवे-निर्माण में गवर्नमेण्ट ने कम्पनियों के डूबे हुए मूल-धन पर ब्याज देने की गारण्टी करके अत्यधिक अपव्यय किया है। इस प्रकार गारण्टी देकर जो रेल बनी हैं, उनमें प्रति मील के हिसाब से सरकार-द्वारा बनी रेलों की तुलना में दूना व्यय हुआ है। कमिटी ने इस अपव्यय की कड़ी आलोचना की है।

अधिकांश रेलवे लाइनें सैनिक विचार से बनाई गई हैं। ये रेलवे लाइनें अभी थोड़े ही समय से अपना ख़र्च अपने आप चलाने के योग्य हो सकी हैं। रेलवे लाइनों पर अधिकांश में 'रेलवे की उन्नति' के नाम पर जो व्यय हुआ है, वह फ़ौजी ख़र्च में शामिल करने योग्य है। जो हो, कमिटी की सिफ़ारिश है कि ब्रिटेन को उन रेलवे लाइनों के बनाने का ख़र्च भारत को दे देना चाहिए, जोकि उसने केवल सैनिक विचार से बनाई हैं। ऐसी रेलवे लाइनों में कमिटी ने पश्चिमोत्तर सीमावाली रेलवे लाइन और अदन की रेलवे लाइन की गणना की है, जिनमें ३३ करोड़ ख़र्च हुआ है।

सरकार ने कम्पनियों से ऐसी परिस्थिति में रेलवे लाइनें ख़रीदीं, कि जनता पर व्यय का बोझ बढ़ गया। कम्पनियों को ठेके की शर्त के अनुसार प्रचलित बाज़ार-दर के हिसाब से ही मूल्य पाने का हक़ था। गारण्टी-नीति से ब्याज देने के कारण कम्पनियों के स्टॉक और हिस्सों के मूल्य उस समय बहुत अधिक बढ़ गए, जब सरकार उन रेलवे लाइनों को ख़रीदने लगी। इस प्रकार कम्पनियों को उनके मूल-धन या आमदनी के हिसाब से जितना मिलना चाहिए था, उससे कहीं अधिक मूल्य मिल गया। इस प्रकार से भारतवासियों पर ५० करोड़ का बोझ लादा जाना अनुचित है।

इसी सिलसिले में कमिटी ने कहा है, कि रेलवे कम्पनियों के साथ जो शर्तें हुई थीं, उनमें हिसाब के लिए विनिमय की एक निश्चित दर नियत हो गई थी। इस निश्चित दर की शर्त से भारत को अपरिमित हानि सहनी पड़ी है। हानि का ठीक-ठीक अन्दाज़ा लगाना मुश्किल है। रेलवे-सम्बन्धी क़र्ज़ को स्वीकार करने के पहले भारत को उस क़र्ज़ से उपरोक्त हानि को अलग कर देने का हक़ है।

कमिटी ने 'उत्पादक' अर्थात् ऐसे क़र्ज़ों के लिए, जिनका धन किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति के रूप में अब भी मौजूद है, कोई भी दावा पेश करने की सलाह नहीं दी। यद्यपि कमिटी ने दिल्ली में नई राजधानी बनाने के अपव्यय की कड़ी आलोचना की है और बम्बई के बैक-बे के पुनर्निर्माण की निन्दा की है।

सब मिला कर भारत का दावा इस प्रकार है :—

	करोड़
कम्पनी के शासन में	
बाहरी युद्ध	३५
मूल-धन और ब्याज	३७
ग़दर का ख़र्च	४०
	११२
ब्रिटिश शासन में	
बाहरी युद्ध	३७
यूरोपीय युद्ध "दान"	१८९
,, ख़र्च	१७१
	३९७
विभिन्न ख़र्च	२०
बर्मा के सम्बन्ध का ख़र्च	८२
रिवर्स कौन्सिल बिल से हानि	३५
रेलवे	८३
	कुल रु० ७२९ करोड़

(विनिमय दर २) सन् १९०० तक और १।) सन् १९०० से अब तक)

कमिटी की सिफ़ारिशें

भारत का वर्तमान क़र्ज़ १,१०० करोड़ के ऊपर है। भारत को क़ब्ज़े में करके ब्रिटेन ने जो आर्थिक और राजनीतिक लाभ उठाए हैं, और भारतीय उद्योग-धन्धों और कौशल को जो उसने दबाया है, उनको देखते हुए कमिटी की सिफ़ारिश है कि ब्रिटेन इस क़र्ज़ के मामले में भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसा कि उसने आयर्लैण्ड के साथ उसको स्वाधीनता देते हुए उसके क़र्ज़ को माफ़ करके किया था। यदि भारत में राष्ट्रीय और स्वराज्य शासन का नवयुग प्रारम्भ होने वाला है, तो न्याय के प्रत्येक सिद्धान्त के अनुसार यह आवश्यक है कि यह तमाम प्रकार के बोझों से बिल्कुल स्वतन्त्र कर दिया जाय। बिना इसके किसी प्रकार की उन्नति होना असम्भव है। हिन्दुस्तान इन बोझों के लिए किसी प्रकार का कर देने में असमर्थ है। इसलिए भारत की उन्नति के लिए जो उपाय सम्भव हैं, वे यही हैं कि राष्ट्र की आमदनी राष्ट्र के कार्यों में ख़र्च हो, सिविल और फ़ौजी शासन के ख़र्च देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाए जायँ और कम किए जायँ और भारत को उन क़र्ज़ों से स्वतन्त्र कर दिया जाय, जोकि उसके लाभ के लिए नहीं हैं।

रिपोर्ट से कमिटी के सब सदस्य सहमत हैं। मि० जे० सी० कुमारप्पा ने अपने दो नोट उसके साथ संयुक्त किए हैं।

पहले नोट में कहा गया है कि वार्षिक फ़ौजी ख़र्च के उस हिस्से के लिए भारत को दावा पेश करने का हक़ है, जो हिस्सा भारत-रक्षा के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य-हित की दृष्टि से फ़ौज पर ख़र्च किया जाता है। भारत-रक्षा की आवश्यकता के बाहर जो ख़र्च होता है, उसे ब्रिटेन को देना चाहिए। हिसाब लगा कर आपने अपने नोट में बतलाया है कि इस विषय के कुल २,१२८ करोड़ के ख़र्च में से ब्रिटेन को क़रीब ५४० करोड़ लौटाना चाहिए।

दूसरे नोट में भारत को ब्रिटेन से जितना पाने का हक़ है, उसका ब्याज देने को कहा गया है। रिपोर्ट में जहाँ-जहाँ जितना भारत को पाने का दावा पेश किया गया है, उन सबके साथ ब्याज देने की भी सिफ़ारिश इस नोट में की गई है। इसका हिसाब ५२६ करोड़ है।

यदि मि० कुमारप्पा के ये दोनों दावे मान लिए जायँ, तो वे दोनों अकेले सम्पूर्ण क़र्ज़ को अदा कर देने के लिए काफ़ी हैं।

मि० शाह ने अपने विवरणात्मक लेख में, जोकि रिपोर्ट के साथ संयुक्त है, भारतीय क़र्ज़ के कुछ पहलुओं पर क़ानून और साधारण नीति की दृष्टि से विचार किया है।

दफ़ा १४४ के अद्भुत करश्मे

राजनीतिक आन्दोलन को रोकने के लिए दफ़ा १४४ का प्रयोग किस-किस प्रकार से किया गया है, इसका प्रारम्भ से लेकर अब तक का सविस्तार वर्णन "बॉम्बे लॉ जर्नल" में प्रकाशित हुआ है।

ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १४४ में "ख़तरे की आशङ्का या किसी प्रकार के उत्पात के अत्यन्त आवश्यक मौक़े के लिए" अस्थायी हुक्म निकालने की व्यवस्था की गई है। परन्तु इस देश के मैजिस्ट्रेटों ने इस क़ानून का जैसा बुरी तरह से दुरुपयोग किया है, वैसा शायद किसी भी सभ्य देश के न्याय-विभाग में न हुआ होगा।

—सं० 'भविष्य'

इस दफ़ा की प्रथम उपधारा इस प्रकार है :—

"यदि किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट, सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट या थर्ड क्लास के अतिरिक्त दूसरे किसी मैजिस्ट्रेट को, जिसको इस दफ़ा के मुताबिक़ कार्य करने के लिए प्रान्तीय गवर्नमेण्ट, चीफ़ प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से अधिकार मिल चुका हो, समझ पड़े कि किसी बात को तुरन्त रोकना या उसका तुरन्त उपाय करना आवश्यक है और उसके लिए इस दफ़ा के अनुसार यथेष्ट कारण उपस्थित हैं, तो ऐसी दशा में उपरोक्त किसी भी मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वह, एक लिखित आज्ञा निकाल कर, जिसमें कि उस मामले की, जिसके लिए आज्ञा निकाली जा रही है, मुख्य-मुख्य बातें दर्ज हों, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक दे, या किसी व्यक्ति को उसके क़ब्ज़े या उसके प्रबन्ध की किसी जायदाद के सम्बन्ध में ऐसी हिदायतें कर दे, जो कि किसी प्रकार की बाधा, उत्पात, जान, माल, स्वास्थ्य और दूसरी किसी तरह की हानि, शान्ति-भङ्ग या दङ्गा-फ़साद रोकने के लिए आवश्यक है।"

इस दफ़ा का प्रयोग मैजिस्ट्रेटों ने किस प्रकार से किया है, इसके कुछ मनोरञ्जक उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :—

"वन्देमातरम्" पर १४४

सन् १९०६ में पूर्वीय बारीसाल कॉन्फ़्रेन्स हो रही थी। डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑफ़ पुलीस, मि० केम्प पण्डाल में घुस आए और कॉन्फ़्रेन्स के मञ्च के पास आकर सभापति से कहा कि या तो कॉन्फ़्रेन्स भङ्ग कर दीजिए या इस बात की गारण्टी दीजिए कि कॉन्फ़्रेन्स समाप्त होने पर उपस्थित प्रतिनिधिगण यहाँ से जाते समय सड़कों पर "वन्देमातरम्" के नारे न लगाएँगे। सभापति ने उपस्थित प्रतिनिधियों से इस विषय में परामर्श करके, गारण्टी देने से इन्कार कर दिया। इस पर मि० केम्प ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १४४ के अनुसार कॉन्फ़्रेन्स भङ्ग करने का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का हुक्म पढ़ कर सुना दिया।

चम्पारन में १४४

दूसरी घटना, जब कि दफ़ा १४४ का दुरुपयोग किया गया था, सन् १९१० की है जब कि महात्मा गाँधी चम्पारन ज़िले के रैयतों पर होने वाले नील की खेती करने वालों के दुर्व्यवहारों की जाँच करने के लिए मुज़फ़्फ़रपुर गए थे। पहले आप नील की खेती करने वालों के एसोसिएशन के मन्त्री तथा डिवीज़न के कमिश्नर से मिले, इसके बाद चम्पारन के लिए रवाना हुए। चम्पारन पहुँचने पर आप पर दफ़ा १४४ लगा दी गई। इस सम्बन्ध में चम्पारन के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो आपको नोटिस दी थी वह इस प्रकार है :—

"डिवीज़न के कमिश्नर ने मेरे पास जो पत्र भेजा है और जिसकी नक़ल इसी नोटिस के साथ संयुक्त उससे मुझे मालूम हुआ है कि इस ज़िले के किसी भी भाग में आपकी उपस्थिति से सार्वजनिक शान्ति के भङ्ग होने की आशङ्का है और सम्भव है कि भयानक उपद्रव उठ खड़ा हो और मनुष्यों की जानों का नुक़सान हो। तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता समझ कर मैं इस नोटिस द्वारा आपको इस ज़िले में न ठहरने और सब से पहली ट्रेन से ज़िलों को छोड़ देने का हुक्म देता हूँ।"

यह नोटिस केवल डिवीज़न के कमिश्नर के कहने से जारी कर दी गई थी।

डिवीज़न के कमिश्नर का मैजिस्ट्रेट के नाम लिखा हुआ पत्र, जिसमें १३ अप्रैल सन् १९१७ की तारीख़ पड़ी हुई है, इस प्रकार है :—

"मि० गाँधी यहाँ आए हुए हैं। उनका कहना है कि आप जनता के लगातार आग्रह करने पर उन हिन्दुस्तानियों की हालत की जाँच करने के लिए आए हैं जो कि नील की खेती में काम करते हैं। वे इस सम्बन्ध में स्थानीय सरकारी अधिकारियों की सहायता चाहते । आज सुबह वे मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैंने उनसे समझा दिया कि नील की खेती करने वालों और रैयतों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में सरकार का ध्यान बहुत पहले से है। चम्पारन के विषय में तो उसका इस समय विशेष ध्यान है। परन्तु इन मामलों में किसी दूसरे अजनबी शख़्स का पड़ना कहाँ तक ठीक होगा, इसमें मुझे सन्देह है। मैंने उन्हें चम्पारन के उत्पातों की मूल बातें बतला दीं। मैंने उनसे जनता द्वारा जाँच के लिए जो लगातार अनुरोध हुए हैं, उनका प्रमाण-पत्र दिखलाने के लिए कहा। मैंने कहा कि शायद जाँच की आज्ञा देने के सम्बन्ध में मुझे गवर्नमेण्ट से पूछना होगा। मुझे आशा है कि मि० गाँधी चम्पारन जाने के पहले एक बार फिर मुझसे इस विषय में बातचीत कर लेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि उनका चम्पारन जाने का उद्देश्य, उतना वहाँ की असली हालत जानने का नहीं है जितना कि आन्दोलन करने का है। सम्भव है कि वे मुझसे इस विषय में कुछ बातचीत किए बिना ही चम्पारन चले जायँ। मेरा ख़्याल है कि आपके ज़िले में उनके जाने से सार्वजनिक शान्ति में विघ्न पड़ने की सम्भावना है। इसलिए इस पत्र के द्वारा आपसे प्रार्थना है कि आप उनके वहाँ पहुँचते ही दफ़ा १४४ का प्रयोग करके उन्हें तुरन्त ज़िला छोड़ देने का हुक्म जारी कर दें।"

गाँधी टोपी पर १४४

मद्रास में एक मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १४४ का हुक्म निकाल कर सम्पूर्ण जनता को गाँधी टोपियाँ पहनना ग़ैर-क़ानूनी ठहरा दिया था। इस हुक्म की रक्षा के लिए जनता पर अनेकों बार आक्रमण हुए थे और जेल-यातनाएँ तक दी गई थीं। बाद में हाईकोर्ट के कहने से हुक्म वापस ले लिया गया।

राष्ट्रीय झण्डे पर १४४

एक दूसरे मैजिस्ट्रेट ने इस दफ़ा के अनुसार हुक्म निकाल दिया कि लोग अपने-अपने मकानों में राष्ट्रीय झण्डे न फहराएँ। बाद में यह हुक्म भी हाईकोर्ट के कहने से वापस ले लिया गया।

पिकेटिङ्ग और जुलूसों पर १४४

खद्दर-प्रचार के उद्देश्य से शान्तिमय जुलूसों पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी की १४४ दफ़ा लगाई जा चुकी है।

व्याख्यान पर १४४

सन् १९२१ और १९२२ में मौलवी मोहम्मद शफ़ी १४४ दफ़ा के अनुसार हाजीपुर की एक सभा में व्याख्यान देने से रोक दिए गए। इसी प्रकार मि० अनुग्रह नारायणसिंह, जो कि बाद में भारत की राज्य-परिषद् के सदस्य हो गए थे, डुमका में भाषण करने से रोक दिए गए। उस समय सब डिविज़नल अफ़सर के पास बिना नाम की अनेक १४४ दफ़ा की नोटिसें छपी हुई मौजूद थीं। डुमका में किसी भी ऐसे व्यक्ति के आते ही, जिसे अधिकारी नापसन्द करते थे, उन्हीं तैयार नोटिसों में से एक नोटिस निकाल दी जाती थी। उसमें सिर्फ़ नाम भरने की ज़रूरत पड़ती थी। किसी से जगह छोड़ देने के लिए और किसी से कोई भाषण न देने के लिए कह दिया जाता था।

गाने पर १४४

मुज़फ़्फ़रपुर के सब डिविज़नल में सीतामढ़ी नाम का एक स्थान है, वहाँ एक प्रचलित हिन्दी गाना दफ़ा १४४ लगा कर रोक दिया गया। नोटिस में कहा गया था कि—"इस गाने का ढङ्ग ऐसा है कि जनता में ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के विरुद्ध घृणा और द्वेष उत्तेजित होता है। वह गाना स्वयं ज़ब्त न था, परन्तु गाने के ढङ्ग पर १४४ लगा दी गई। इसी दफ़ा के अनुसार सीतामढ़ी में एक दूसरी नोटिस निकाली गई, जिसमें सभा करने का निषेध किया गया था। नोटिस में लिखा था कि सभा होने से ज़मीन के गन्दे तथा अस्वास्थ्यकर हो जाने की सम्भावना है। मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में हुरदी नाम की एक जगह है जहाँ हर साल मेला होता है और सैकड़ों मवेशी बिकने के लिए आते हैं। उस मेला को देखने के लिए दो-तीन यूरोपियन गए हुए थे। किसी ने 'महात्मा गाँधी की जय' की ध्वनि की। परिणाम यह हुआ कि दफ़ा १४४ की नोटिस निकाल दी गई। मेले में लाठी लेकर चलना और मेले के आसपास कुछ हद तक सभा करना जुर्म क़रार दे दिया गया।

विद्यार्थियों पर १४४

सन् १९२१ में स्वर्गीय सी० आर० दास मैमनसिंह जाने से रोक दिए गए, क्योंकि उस समय वहाँ कोई स्कूल-परीक्षा हो रही थी। अधिकारियों ने समझा कि उनके वहाँ जाने से कुछ विद्यार्थी परीक्षा से बाहर हो जायँगे।

अभी थोड़े समय की बात है, बम्बई के कॉङ्ग्रेस वालों पर दफ़ा १४४ का नोटिस जारी किया गया था। उसके शब्द इस प्रकार हैं :—

(शेष मैटर ५वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

२३ जुलाई, सन् १९३१

हमारा राष्ट्रीय ऋण

लगभग दो सौ वर्ष पहले, जबकि भारत का ब्रिटेन से कोई सम्बन्ध न था, यह अभागा देश संसार का सब से सम्पन्न देश था और आज लगभग १५० वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत संसार का सबसे दरिद्र देश है ! इस दरिद्रता का ताण्डव यहाँ तक पहुँच गया है कि आज पेट की ज्वाला से विदग्ध हो, तथा अपने बच्चों की क्षुधा-पीड़ा का असह्य कष्ट न देख सकने के कारण, माताएँ अपने छोटे-छोटे, कोमल बच्चों के साथ कुएँ में कूदते हुए देखी गई हैं। इस अभागे देश में ऐसे दृष्टान्तों की भी कमी नहीं है, जिनमें अपने प्राण-प्रिय पुत्रों को भूखे मरते हुए देख, उन्हें उस भयानक मृत्यु से बचाने के निमित्त प्रेमातिरेक में पिताओं ने पहले उनकी हत्या कर पीछे अपनी हत्या कर ली है ! बेकारी से ऊब कर आत्म-हत्या कर लेना तो एक मामूली सी बात और इस देश की एक अत्यन्त साधारण सी घटना है। यदि भारत के पिछले दस वर्षों के समाचार-पत्रों की ही फ़ाइलें उलटी जायँ तो हमारे इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जायगी। अभी 'भविष्य' के गत ९वीं जुलाई वाले अङ्क में ही इस देश की भयानक दरिद्रता के सम्बन्ध में हमने एक महीने के भीतर होने वाली आत्म-हत्याओं की चर्चा करते हुए लिखा था :—

"एक ओर पेट की ज्वाला से उनकी जीवन-शक्ति का ह्रास होता जा रहा है, दूसरी ओर अपने वर्तमान कष्टों को सहन न कर सकने के कारण वे अपने जीवन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे हैं। उन अभागों को मृत्यु की शीतल गोद में सब से अधिक विश्राम और शान्ति मिलती है। पेट की ज्वाला से विवश होकर आत्म-हत्या करने वाले ऐसे लोगों के समाचार चारों ओर से आ रहे हैं। कुछ दिन हुए लाहौर के एक सिक्ख रेलवे गार्ड ने इसलिए आत्म-हत्या कर ली कि रेलवे नौकरियों की काट-छाँट में उस बेचारे की भी नौकरी छूट गई। दो महीने पूर्व ही उस अभागे का विवाह हुआ था। अभी कुछ ही दिन हुए, डूँगरवाली (बम्बई) में रहने वाले किसी शेख़ ग़ुलाम हुसैन की आत्म-हत्या की भी ख़बर आई थी। अब बम्बई के अनन्तराव नामक तथा बङ्गाल के सुशीलकुमार दत्त नामक व्यक्तियों की आत्म-हत्याओं के समाचार आए हैं। कहते हैं, अनन्तराव एक साल से बेकार था और कोई रोज़गार न मिलने के कारण परेशान हो गया था। सुशीलकुमार की आत्म-हत्या के सम्बन्ध में पुलीस की जाँच से यह मालूम हुआ कि वह एक सौदागर के यहाँ बहुत थोड़े वेतन पर नौकर था तथा उसका भाई बिल्कुल बेकार था और भरपूर प्रयत्न करने पर भी उसे कहीं नौकरी न मिल सकी। इस दारुण परिस्थिति में अपने परिवार वालों का कष्ट उससे न देखा गया और उसने नाइट्रिक एसिड खाकर आत्म-हत्या कर ली।"

देश की बेकारी और भीषण दरिद्रता के कारण विवश होकर की जाने वाली इन उपरोक्त आत्म-हत्याओं की चर्चा आज एक साधारण सी घटना के रूप में देश के सामने उपस्थित है। अभी उसी दिन गत २री जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में देश की दरिद्रता के दुखान्त-परिणामों से सम्बन्ध रखने वाला एक अत्यन्त मर्मस्पर्शी और रोमाञ्चकारी मुक़दमा पेश किया गया था ; जिसमें अबलनाथ बनर्जी नामक एक अभागे पुरुष पर हत्या और भयानक चोट पहुँचाने का अभियोग लगाया गया था।

श्री० जस्टिस लॉर्ट-विलियम्स के इजलास में, जहाँ अभागे अबलनाथ बनर्जी का मुक़दमा था, अभियुक्त की पत्नी ने अपने बयान में कहा कि गत १३वीं फ़रवरी, सन् १९३१ को अभियुक्त ने कालीचरण नामक अपने एक मात्र पुत्र की छाती में कटार घुसेड़ कर मार डाला। कालीचरण की अवस्था बीस वर्ष की थी और वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की बी० ए० श्रेणी का छात्र था। पत्नी के कथनानुसार पुत्र की हत्या कर अभियुक्त ने पत्नी पर आक्रमण किया और उसका गला काटते हुए कहने लगा—कालीचरण को मैंने मार डाला है; और तुम्हारी हत्या कर मैं स्वयं अपनी भी हत्या कर लूँगा, जिससे हम तीनों ही एक साथ इस संसार से विदा हों।

एक ओर देश की दरिद्रता का जहाँ यह नग्न-चित्र है, वहाँ दूसरी ओर हमारे शासक यह कहते हुए नहीं थकते कि प्रतिदिन भारत अन्न-धन में समृद्धिशाली हो रहा है तथा ब्रिटिश राज्य भारत को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ले जा रहा है। इस उन्नति (?) का प्रत्यक्ष प्रमाण (!) यह है कि इस दरिद्रतावस्था में भी ब्रिटेन का भारत पर ११ अरब रुपयों का भयानक सार्वजनिक ऋण है। भारत-जैसे दरिद्र देश पर ब्रिटेन का यह सार्वजनिक ऋण केवल कौतूहल का ही कारण हो, यह बात नहीं, इस ऋण की आर्थिक एवं राजनीतिक विवेचना तथा उस विवेचना का इतिहास जितना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मनोरञ्जक भी। गत कराची कॉङ्ग्रेस ने इस 'सार्वजनिक ऋण' की जाँच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की थी। उस कमिटी के अधीन यह कार्य सौंपा गया था कि वह यह बात बतलाए कि उक्त सार्वजनिक ऋण का कितना भाग भारत दे तथा कितना भाग स्वयं ब्रिटेन के सिर रहे। कमिटी के सदस्य डॉक्टर जे० सी० कुमारप्पा, प्रोफ़ेसर के० टी० शाह, श्री० बालूभाई जे० देसाई और श्री० डी० एन० बहादुरजी थे। कहना नहीं होगा कि उपरोक्त विद्वानों की जाँच-रिपोर्ट, जिसका संक्षिप्त वर्णन हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं, अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण एवं सारगर्भित है।

इस स्थान पर यह कहना अनुचित न होगा कि कॉङ्ग्रेस ने अपने गया वाले अधिवेशन में सर्वप्रथम इस सार्वजनिक ऋण का प्रश्न उठाया था। तब से अब तक अर्थात् पिछले आठ-नौ वर्षों में कॉङ्ग्रेस ने कई बार अपनी नीति स्पष्ट की, कि हम भारतीय ऋण को एकदम अस्वीकार नहीं करते, परन्तु इसका सारा उत्तरदायित्व हम भारत के भावी सरकार पर डालने के पक्ष में भी नहीं हैं। कॉङ्ग्रेस का कहना है कि किसी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा भारत पर क़र्ज़ का जो भाग डाला जायगा, वह उसी रक़म को चुकता करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। शेष रक़म के लिए उसकी कोई भी ज़िम्मेवारी न होगी।

कॉङ्ग्रेस के द्वारा इस नीति की स्पष्ट घोषणा के बाद यह बात अत्यन्त आवश्यक थी कि वह अपनी एक ऐसी जाँच-कमिटी नियुक्त करे, जो पूर्ण अनुसन्धान एवं अध्ययन के बाद इस निर्णय पर पहुँचे कि उपरोक्त ११ अरब रुपयों के भारतीय सार्वजनिक ऋण में कितनी रक़म भारतवासियों के हित के लिए तथा कितनी रक़म ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार एवं उसे दृढ़ करने के निमित्त ख़र्च की गई है। और इस स्थान पर यह कहना आवश्यक जान पड़ता है कि कमिटी ने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या पर जिस विद्वत्ता के साथ प्रकाश डाला है, उसे ब्रिटेन के अधिक से अधिक भारत-विरोधी राजनीतिज्ञ भी अस्वीकार नहीं कर सकते। कमिटी का कहना है कि हम भारत के उस सार्वजनिक ऋण को देने से अस्वीकार नहीं करते, वरन् हम उस ऋण को देने के लिए तैयार हैं, जिसे सर जॉर्ज विङ्गेट जैसे विद्वान अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञ ने भी कहा था—"× × × has really been incurred by the government of this country (England)." अर्थात्—"वास्तव में इङ्गलैण्ड की सरकार के द्वारा लिया गया है।" सर विङ्गेट ने अपने उसी वक्तव्य में यह भी कहा था कि न्याय एवं सचाई इस बात के लिए इङ्गलैण्ड को विवश करती है कि वह साम्राज्य के निमित्त लिए गए क़र्ज़ को स्वयं चुकता करे। साथ ही ब्रिटिश जनता को सावधान करते हुए सर विङ्गेट ने यह भी कहा था कि आज ब्रिटिश जनता इस समस्या से अपनी दृष्टि भले ही फेर ले; परन्तु एक ऐसा दिन आएगा, जब कि इस रुपए का हिसाब किया जायगा। सर विङ्गेट की बात सत्य ही निकली; कारण आज वह दिन आ गया है, जबकि कॉङ्ग्रेस इस बात को संसार के सम्मुख स्पष्टतया घोषित करने वाली है कि भारत ब्रिटेन को सार्वजनिक ऋण के नाम पर वह घृणित रक़म नहीं देगा, जो उसने (ब्रिटेन ने) भारत को ग़ुलाम बनाने के लिए ख़र्च किया था। संसार के इतिहास में न्याय एवं सत्य के नाम पर किसी विजित राष्ट्र ने विजेता राष्ट्र को अपने पर विजय प्राप्त करने तथा अपने को ग़ुलाम बनाने का व्यय नहीं दिया। भारत भी ऐसा नहीं कर सकता। उसका ऐसा करना केवल न्याय एवं सत्य के ही विरुद्ध नहीं होगा, वरन् वह स्वतन्त्रता के पवित्र सिद्धान्तों का घातक भी होगा। अस्तु—

जिसे आज ब्रिटेन भारत के सार्वजनिक ऋण के नाम से पुकारता है और जिसके सूद की एक बहुत बड़ी रक़म से प्रति वर्ष ब्रिटेन की थैली भरी जाती है, उसका एक

बहुत बड़ा भाग भारत को पराधीन बनाने के लिए व्यय किया गया था ! कहना नहीं होगा कि इस सार्वजनिक ऋण का सूत्रपात ही हमारी पराधीनता से हुआ। सन् १८५७ ई० के भारतीय स्वतन्त्रता के युद्ध —जो सिपाही-विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है—के बाद से अर्थात् सन् १८५८ ई० में जब महारानी विक्टोरिया की सरकार ने भारत का शासन ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के हाथ से अपने हाथ में लिया, उस समय सूद सहित कम्पनी का मूल-धन, कम्पनी के द्वारा साम्राज्य-विस्तार के निमित्त ख़र्च किया गया तथा कम्पनी का सारा क़र्ज़ चुका देने का भार साम्राज्ञी की सरकार ने अपने ऊपर लिया; परन्तु यह भार ब्रिटिश कोष से नहीं, वरन् भारतीय कर से चुकता किए जाने का निश्चय किया गया। इस प्रकार ईस्ट-इण्डिया कम्पनी से लेकर आज तक भारत में ब्रिटिश अधिकार का इतिहास ब्रिटिश सरकार की उस आर्थिक प्रचुरता एवं उन्नति का इतिहास है, जिसका उद्गम-स्थान भारतीय-कर है। सन् १८५७ ई० के पहले ईस्ट-इण्डिया का सारा क़र्ज़ तथा उसके मूल-धन का ब्याज ही केवल ५१ करोड़ रुपया है। कम्पनी ने यह क़र्ज़ अफ़ग़ानिस्तान और बर्मा-युद्ध तथा चीन, फ़ारस और नेपाल में सेना भेजने के व्यय के निमित्त लिया था। इस व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :—

(१)	प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध के लिए...	१५० लाख पाउण्ड
(२)	बर्मा की दो लड़ाइयों के लिए	१४० ,, ,,
(३)	चीन, फ़ारस, नेपाल आदि स्थानों में सेना भेजने के लिए	६० ,, ,,
(४)	ईस्ट-इण्डियाकम्पनी के मूल-धन का सन् १८३३—५७ ई० तक का ब्याज	१५० ,, ,,
	कुल जोड़	५१० लाख पाउण्ड

इस स्थान पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि विदेशों की लड़ाइयों के लिए तथा विदेशों में सेना भेजने का ख़र्च भारत क्योंकर दे? विशेषकर उस अवस्था में, जबकि इन युद्धों से तथा विदेशों में सेना भेजने से भारत का कोई हित नहीं सधा था; बल्कि इन युद्धों से तो एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था एवं उसकी नींव दृढ़ हुई थी। उक्त अफ़ग़ान-युद्ध की चर्चा करते हुए हाउस ऑफ़ कॉमन्स में श्रीयुत जॉन ब्राइट ने कहा था :—

"× × × the real burden ought to be thrown on the taxation of the people of England, because it was recommended by the British cabinet for objects supposed to be English."

अर्थात्—"× × × इस युद्ध का असल भार ब्रिटिश जनता के कर से वसूल किया जाना चाहिए, कारण इस युद्ध की सिफ़ारिश ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल के द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुई, जो इङ्गलैण्ड के हित के लिए समझा जाता है।" इतना ही नहीं, कम्पनी के उपरोक्त विदेशी युद्धों का सारा ऋण भारत पर डालने के अनुचित कार्य पर आलोचना करते हुए, सर जॉर्ज विङ्गेट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Our Financial Relations with India' में लिखा है :—

"Most of our Asiatic Wars with countries beyond the limits of our Empire have been carried on by means of the military and monetary resources of the Government of India though the objects of these wars were in some instances, purely British, and in others but remotely connected with the interests of India. They were undertaken by the Government of India in obedience to instruction received by the British Ministers of the time acting through the Presidents of the Board of Control; and for all consequences they were involved the British Nation is clearly responsible. The Afghan War was one of the most notable of these and it is now well understood that this war was undertaken by the British Government without consulting the Court of Directors and in opposition to their views. It was, in fact, a purely British war, but notwithstanding this and in defiance of a solemn expression of unanimous opinion on the part of the Court of Directors, and of a resolution of the Court of Proprietors of the East India Company that the whole cost of war should not be thrown upon the Indian finances, the ministry required this to be done. By this injustice, ten millions were added to the debt of India. The late Persian War was proclaimed by the British Ministry in pursuance of a policy with which India had no real concern. But the war not the less, was carried on by the troops and resources of India, and one half only of the total cost was subsequently settled to be borne by the revenues of this country. India, in fact, has been required to furnish men and means for carrying on all our Asiatic Wars and has never, in any instance, been paid a full equivalent for the assistance thus rendered which furnishes irrefragable proof of the one-sided and selfish character of our Indian Policy."

तात्पर्य यह है कि हमारे अधिकांश एशियाई युद्ध, जो साम्राज्य की सीमा से बाहर हुए, भारत-सरकार की सेना और धन से किए गए, यद्यपि इन युद्धों का उद्देश्य ब्रिटेन का हित-साधन था और कुछ अंशों में परोक्ष-रूप से भारत का थोड़ा हित सम्भव था। ये युद्ध भारत-सरकार ने ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल की आज्ञा से किए, इस कारण इनके परिणाम के लिए ब्रिटिश राष्ट्र ही ज़िम्मेदार है। इन युद्धों में अफ़ग़ान-युद्ध सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके सम्बन्ध में यह बात अच्छी तरह से मालूम हो गई है कि यह युद्ध ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी के कोर्ट-ऑफ़-डाइरेक्टर्स से बिना राय लिए और उसके मत के विरुद्ध आरम्भ किया था। वास्तव में यह युद्ध ब्रिटिश युद्ध था, फिर भी मन्त्री-मण्डल ने इसका सारा ख़र्च भारत-सरकार से लिया; यद्यपि कम्पनी के कोर्ट-ऑफ़-डाइरेक्टर्स ने सर्व-सम्मति से इसका विरोध किया था और कोर्ट-आफ़-प्रोप्राइटर्स ने यह प्रस्ताव पास किया था कि युद्ध का सारा ख़र्च भारत पर न लादा जाय। इस अन्याय से भारत के ऋण में सौ लाख पाउण्ड की वृद्धि हुई। फ़ारस का युद्ध ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल ने उस नीति के अनुसार छेड़ा था, जिससे भारत का कोई सम्बन्ध न था; पर युद्ध भारत की सेना और धन के द्वारा किया गया और बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसमें से केवल आधा ख़र्च दिया। हमारे सभी एशियाई युद्धों के लिए भारत को सेना और धन देना पड़ा है और इस प्रकार की दी गई सहायता के लिए भारत को कभी पूरा मुआवज़ा नहीं दिया गया है। यह इस बात का दृढ़ प्रमाण है कि हमारी भारतीय नीति एकपक्षीय और स्वार्थपूर्ण है।

कम्पनी के इन युद्धों के अतिरिक्त दूसरा प्रश्न कम्पनी के मूल-धन की चुकती का है। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के साठ लाख पाउण्ड का मूल स्टॉक सन् १८७४ ई० में १२० लाख पाउण्ड देकर चुकता किया गया। इस पर १०½ प्रति सैकड़े ब्याज भी लिया जाता था! तात्पर्य यह है कि कम्पनी के मूल-धन में ३९० लाख पाउण्ड इस प्रकार दिए गए :—

कम्पनी के मूल-धन का ...	१२० लाख पाउण्ड
सन् १८३३-५७ तक का सूद ...	१५० ,, ,,
सन् १८५७-७४ तक का सूद ...	१२० ,,

सन् १८५७ ई० के 'सिपाही-विद्रोह' में ४०० लाख पाउण्ड ख़र्च हुआ। यह ख़र्च भी भारत के सिर पर ही मढ़ा गया। कमिटी के सदस्यों का कहना है कि इस ख़र्च की आवश्यकता शासकों के कुप्रबन्ध और कुशासन के द्वारा पड़ी। इस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन कर रही थी, इसलिए इस विद्रोह के सम्बन्ध में किया गया व्यय निश्चय ही ब्रिटिश सरकार के सिर पर मढ़ा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्वयं एक भारत-मन्त्री की राय का उल्लेख करना अनुचित न होगा। सन् १८७८ ई० के ८वीं अगस्त को भारत-मन्त्री ने अपने एक पत्र में लिखा था :—

"In regard to the Indian Mutiny, no part of the cost of suppressing it was allowed to fall on the Imperial Exchequer the whole of it was or now being defrayed by the Indian tax-payers."

तात्पर्य यह कि भारतीय विद्रोह दबाने का व्यय साम्राज्य के ख़ज़ाने को नहीं देना पड़ा, वरन् वह सारा व्यय भारतीय कर-दाताओं ने उठाया अथवा आज उठा रहे हैं। तात्पर्य यह कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा भारत-सरकार के शासन-काल में निम्न-लिखित मद में इस प्रकार व्यय किया गया :—

कम्पनी के शासन-काल में—

बाहरी युद्ध (प्रथम अफ़ग़ान-युद्ध, दो बर्मा-युद्ध, चीन, फ़ारस, नैपाल में सेना भेजने के लिए) ...	३५ करोड़ रुपए
कम्पनी का मूल-धन और ब्याज	३७ करोड़ रुपए
सन् १८५७ ई० के ग़दर के सम्बन्ध में	४० करोड़ रुपए

भारत-सरकार के शासन-काल में—

बाहरी युद्ध (द्वितीय अफ़ग़ान-युद्ध, तीसरा बर्मा-युद्ध, अबीसीनिया, सुडान, मिश्र आदि के धावे में) ...	३७ करोड़ रुपए
यूरोपीय महायुद्ध की भेंट ...	१८९ ,, ,,
महायुद्ध के सम्बन्ध में अतिरिक्त फ़ौजी ख़र्च	१७१ ,, ,,
भिन्न-भिन्न	२० करोड़ रुपए
बर्मा के सम्बन्ध में ...	८२ ,, ,,
रिवर्स कौन्सिलर (विनिमय सम्बन्धी)	३५ ,, ,,
रेलवे	८३ ,, ,,
कुल जोड़	७२९ करोड़ रुपए

कहना नहीं होगा कि उपरोक्त मदों में ख़र्च की गई इस धन-राशि का सारा लाभ ब्रिटेन को ही था। इसमें भारत का कोई भी हित सम्मिलित न था। इस दशा में भारत पर उपरोक्त क़र्ज़ लादना भारत की दरिद्र जनता के साथ अन्याय करना है। इस स्थान पर विस्तार-भय से हम प्रत्येक मद के व्यय के सम्बन्ध में आलोचना नहीं कर सकते; फिर भी इतना अवश्य कहेंगे, कि गत

यूरोपीय युद्ध के व्यय के लिए भारत के नाम पर १८६ करोड़ की भेंट लेना ब्रिटेन का भारत के साथ अत्यन्त घृणित, दायित्वहीन एवं ग़ैर-क़ानूनी आचरण है। भारत-सरकार को कोई भी क़ानूनी अधिकार न था कि वह गत यूरोपीय समर में भारत की दरिद्र प्रजा की ओर से ब्रिटेन को उसका साम्राज्य अनन्त काल तक दृढ़ करने के लिए इतनी बड़ी रक़म दे दे। अन्य उपनिवेशों के द्वारा ब्रिटेन को दी गई भेंट की दृष्टि से देखने से भी भारत पर अनुपात से अधिक बोझ लादा गया था। यहाँ यह बात पूर्णतः स्मरण रखने योग्य है कि अन्य उपनिवेशों के द्वारा ब्रिटेन को दी जाने वाली भेंट के कारण भी भारत पर इस बात की न तो कोई नैतिक और न कोई क़ानूनी ही ज़िम्मेदारी आती है कि वह ब्रिटेन को युद्ध-ख़र्च के लिए कुछ भेंट करे, कारण; भारत अन्य उपनिवेशों की भाँति उत्तरदाई शासन का अधिकारी नहीं है। अतएव कोई भी निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय इस बात से अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारत पर लादा गया सारा क़र्ज़ एक ऐसे शासन का है, जिसमें भारत-सन्तानों का कोई अधिकार न था तथा जिसका उद्देश्य भारत की पराधीनता पर ब्रिटेन को उत्तरोत्तर अधिक बलशाली एवं सम्पन्न बनाना था।

अन्त में हम कॉङ्ग्रेस जाँच-कमिटी के विद्वान सदस्यों को उनके इस अतुल परिश्रम पर धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकते। उनका कहना है कि १,१०० करोड़ रुपए के सार्वजनिक ऋण में भारत किसी भी अवस्था में ब्रिटेन का ७२६ करोड़ रुपयों का देनदार नहीं है। हम इस बात में कॉङ्ग्रेस जाँच-कमिटी के सदस्यों से थोड़ा मतभेद रखते हैं। भारतीय सेना पर सन् १८५७ ई० से आज तक २१ अरब, २८ करोड़ रुपए का ख़र्च हुआ है। इसमें ५ अरब, ४० करोड़ रुपए बिल्कुल ही ब्रिटिश हित के लिए ख़र्च किया गया है। इसके अतिरिक्त क़र्ज़ की रक़मों पर जो आज तक साढ़े दस अरब रुपए ब्याज में दिए गए हैं, उनमें ५ अरब, ३६ करोड़ रुपया उस रक़म का ब्याज है, जो इङ्गलैण्ड को देना चाहिए। इस दशा में भारत ब्रिटेन का नहीं, वरन् ब्रिटेन ही भारत का क़र्ज़दार है!

* * *

काश्मीर

इधर कुछ दिनों से काश्मीर का वायुमण्डल भी साम्प्रदायिक घृणा और द्वेष से गर्म है। प्रत्यक्ष रूप में साम्प्रदायिक मनोमालिन्य का सूत्रपात जम्मू में लाभाराम नामक एक हिन्दू हेड कॉन्स्टेबल और फ़ज़लदाद नामक एक कॉन्स्टेबल के पारस्परिक मनोमालिन्य के रूप में हुआ था। कहते हैं कि फ़ज़लदाद जब क़ुरान-शरीफ़ पढ़ रहा था, तब लाभाराम से उसकी कुछ बातें हो गईं। इन साधारण व्यक्तिगत बातों का वृहद रूप देकर साम्प्रदायिक दुर्भाव उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया गया। परिणाम-स्वरूप मस्जिदों में सभाएँ होने लगीं और "काफ़िरों" के विरुद्ध आग उगली जाने लगी। जब महाराज काश्मीर को इस बात की सूचना मिली, उन्होंने गत ८वीं जून को राज्य के राजनीतिक मन्त्री (Political Minister) को जम्मू भेजा, जिन्होंने जम्मू के अन्जुमन से चुने गए दो मुसलमान-प्रतिनिधियों के साथ इस मामले की जाँच की। जिस प्रकार जाँच की गई, उससे उक्त दोनों मुसलमान सज्जन सन्तुष्ट थे। जाँच के द्वारा लाभाराम और फ़ज़लदाद दोनों ही दोषी ठहराए गए। लाभाराम का दोष यह था कि उसने आपे से बाहर होकर ऐसा आचरण किया जो उसकी भाँति तीस वर्ष की नौकरी करने वाले अफ़सर के अनुपयुक्त था। इस दोष के लिए उसे त्याग-पत्र देने को विवश किया गया। फ़ज़लदाद का दोष यह था कि उसने जान-बूझ कर घटना का इस प्रकार झूठा वर्णन किया, जिससे साम्प्रदायिक अशान्ति हो गई और इस बात की आशङ्का हो गई कि कहीं साम्प्रदायिक दङ्गे न हो जायँ। इस दोष के लिए वह नौकरी से अलग कर दिया गया।

कहते हैं कि राज्य की ओर से इस न्यायोचित निर्णय पर भी हमारे उन कठमुल्लाओं और शौकत-पन्थियों को सन्तोष न हुआ, जो किसी बाहरी प्रलोभनों के कारण अरसे से काश्मीर राज्य में साम्प्रदायिक मनोमालिन्य पैदा करने में व्यस्त थे। घटना-चक्र के रूप में इधर एक नई बात उत्पन्न हुई। वह यह कि अब्दुल क़ादिर नामक एक गुण्डा मस्जिदों में हिन्दुओं के विरुद्ध आग उगलने लगा। राज्य के अधिकारियों ने, इस बात का पूरा निश्चय कर, कि अब्दुल क़ादिर को इस प्रकार स्वतन्त्र रहने देना राज्य-क़ानून और शान्ति के लिए भयप्रद होगा, उसे जातिगत वैमनस्य फैलाने के अपराध में गिरफ़्तार कर, उचित न्याय के लिए जेल में रक्खा। इधर मुसलमानों ने बहुत बड़ी गुप्त तैयारी के साथ अब्दुल क़ादिर को छुड़ाने के लिए गत १३ वीं जुलाई को काश्मीर जेल पर आक्रमण किया। जेल से महाराजा साहब के महल तथा पुलीस लाइन के टेलीफ़ोन का तार बलवाइयों ने पहले से ही काट दिया था। कहते हैं कि इस प्रकार सात हज़ार मुसलमानों की भीड़ ने श्रीनगर जेल पर अचानक आक्रमण किया और जेल की दीवारें तोड़ दीं तथा मकान को बहुत नुक़सान पहुँचाया। जाँच के बाद यह मालूम हुआ है कि पाँच क़ैदी हथकड़ी पहने हुए ही जेल से भाग गए। जेल के अधिकारियों को, जिनकी संख्या बहुत ही न्यून थी, विवश होकर गोलियाँ चलानी पड़ीं। फल-स्वरूप दस आदमी मरे और कुछ अधिक घायल हुए। इसके बाद मुसलमानों ने शहर में बहुत उपद्रव किया। सैकड़ों हिन्दू घायल किए गए और दुकानें लूटी तथा जलाई गईं। उस समय तो अवस्था और भी भीषण हो गई, जब कि दङ्गे के बाद मुसलमान लोग दस मृतक मनुष्यों की लाशें एक मस्जिद में ले गए; जहाँ सैकड़ों मुसलमान जमा हो गए थे। वहाँ बड़े ही उत्तेजक भाषण दिए गए। ठीक इसी अवसर पर पाँच सौ सैनिक मैशीनगन के साथ पहुँच गए, अन्यथा अवस्था बहुत ही भीषण हो जाती। इस सम्बन्ध में सबसे मनोरञ्जक बात यह है कि अब्दुल क़ादिर पहले पेशावर के एक अङ्गरेज़ सैनिक अफ़सर का बावर्ची मात्र था!!

कहना नहीं होगा कि काश्मीर के महाराज हरीसिंह ने इस अवसर पर प्रत्येक आवश्यक एवं उचित व्यवस्था की। गत १५वीं जुलाई से जाँच-कमीशन आरम्भ हो गया है। कमीशन के सदस्य हाईकोर्ट के प्रधान विचारपति, दो अन्य विचारपति एवं एक ग़ैर-सरकारी हिन्दू और एक ग़ैर-सरकारी मुसलमान हैं। इधर नई ख़बर यह है कि गत १६वीं जुलाई को सेना और बलवाइयों में फिर मुठभेड़ हो गई। बलवाइयों ने सेना की बन्दूकें छीनने की चेष्टा की। इस पर विवश होकर सेना ने गोली चलाई, जिससे एक बलवाई मरा और दो घायल हुए।

तात्पर्य यह कि काश्मीर से साम्प्रदायिक दङ्गे के जो भीषण और उत्तेजक समाचार आ रहे हैं, उनकी जड़ हाल में ही उत्पन्न हुई हो, सो बात नहीं है। जब पहले-पहल समाचार-पत्रों में लाभाराम और फ़ज़लदाद की ख़बरें प्रकाशित हुईं तथा उसके बाद ही मुसलमानों के द्वारा एक ब्राह्मण-बालिका की हत्या का समाचार मिला, उसी समय हमारे हृदय में इस बात का विश्वास हो गया था कि इस छोटी घटना की आड़ में कोई दूसरा हाथ और तीसरी शक्ति काम कर रही है। हमारा यह विश्वास निराधार नहीं है। कारण काश्मीर-नरेश की नीति सदा से पक्षपातहीन रही है। उनमें कुछ भी अन्य दोष भले ही हों, पर कोई व्यक्ति उन पर इस बात के लिए दोषारोपण नहीं कर सकता कि उनकी शासन-नीति में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक भेद-भाव रहा है। उन्होंने अपनी इस नीति की कई बार और विशेषकर हाल में ही स्पष्ट घोषणा भी कर दी है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि मृतक गुण्डे बलवाइयों की क़ब्रों के लिए सरकार की ओर से ज़मीनें ख़रीदी गई हैं; यद्यपि महाराजा हरीसिंह का यह कार्य पूर्णतः उचित नहीं कहा जा सकता। कारण राज्य-कोष सार्वजनिक कार्यों के लिए ही है, न कि किसी जाति अथवा सम्प्रदाय-विशेष की विशेष आवश्यकताओं के लिए। अस्तु—

महाराजा हरीसिंह की ही यह निष्पक्ष नीति रही हो, सो बात नहीं। महारानी साहिबा ने भी हाल में ही मृतक गुण्डों के परिवार के लिए अपने पास से तीन हज़ार रुपए चन्दे में दिया है। ये घटनाएँ चाहे बहुत साधारण ही क्यों न हों, पर वास्तव में प्रजावर्ग के प्रति काश्मीर के राज्य-परिवार की शुभकामना, न्याय एवं सहानुभूति की द्योतक हैं। इस परिस्थिति में इस बात से अनायास ही सन्देह होने लगता है कि क्या काश्मीर राज्य के इस "मुल्लापन" वातावरण की आड़ में कोई तीसरी शक्ति काम कर रही है? इस बात की पुष्टि के प्रमाण में कहा जाता है कि इधर दो-एक वर्ष से शौकत-पन्थियों को काश्मीर भ्रमण करने का बहुत शौक़ हो गया था, और जब शौकत-पन्थियों को इस प्रकार घूमने का शौक़ होता है तो यह बात भी छिपी नहीं है कि अल्ला-मियाँ अपने फ़ज़ल और करम से फ़िरिश्तों के ज़रिए उन्हें रुपए भिजवा ही देता है।

किन्तु यदि बात शौकत-पन्थियों तक ही सीमित रहती, तो कोई विशेष चिन्ता का कारण न था। परन्तु काश्मीर के इस साम्प्रदायिक दङ्गे पर टिप्पणी करते हुए बम्बई के अर्द्ध-सरकारी सहयोगी "टाइम्स-ऑफ़-इण्डिया" के निम्नलिखित वाक्य पढ़ कर सहज ही यह सन्देह होने लगता है कि क्या काश्मीर-राज्य ख़तरे में है? सहयोगी "टाइम्स-ऑफ़-इण्डिया" की यह आलोचना हमारे सन्देह को पुष्ट करने में सहायक होती है:—

"But it is evident that an affair of this kind can not be isolated, no matter how anxious H. H. the Maharaja may be that no outsider should meddle in the affairs of his State. The Government of India, for example can not regard such a state of affairs with equanimity. When one remembers the serious view that Lord Reading's Government took not, of a communal outbreak, but of a mere threat of fracas in Udaipur, one can well realize the difficulties raised by such a situation as that which has developed in Kashmir."

अर्थात्—"यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की बातें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखी जा सकतीं, चाहे हिज़ हाईनेस काश्मीर इस बात के लिए जितना भी चिन्तित क्यों न हों कि उनके राजकीय मामलों में किसी बाहरी के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। दृष्टान्त-स्वरूप भारत सरकार इस मामले को सम-भाव से नहीं देख सकती। जब कोई यह बात स्मरण करता है कि लॉर्ड रीडिङ्ग की सरकार ने उदयपुर के वास्तविक दङ्गे नहीं, वरन् दङ्गे की धमकी तक को कितने गम्भीर रूप में देखा था, उस समय काश्मीर में उत्पन्न परिस्थिति की कठिनाइयाँ भली-भाँति स्पष्ट हो जाती हैं!"

हमें सहयोगी "टाइम्स-ऑफ़-इण्डिया" की इस दूषित मनोवृत्ति तथा भारत-सरकार को इस प्रकार की घृणित सलाह देने पर आश्चर्य नहीं है। परन्तु साथ ही न्याय की दृष्टि से भारत-सरकार काश्मीर राज्य के मामले में केवल इसीलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि वहाँ एक बहुत बड़ा साम्प्रदायिक दङ्गा हो गया है। यदि भारत-सरकार काश्मीर राज्य के इस मामले में हस्तक्षेप भी करना चाहे तो उसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ब्रिटिश-भारत में होने वाले साम्प्रदायिक दङ्गे श्रीनगर के साम्प्रदायिक दङ्गों से कहीं अधिक भयानक होते हैं। उदाहरण के लिए हाल में ही होने वाले कानपुर के दङ्गों का ही प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है। हथियारबन्द पुलीस और सेना की नाक पर हत्याएँ हो रही थीं, घर जलाए जाते थे, मन्दिर और मस्जिदें तोड़ी जाती थीं और पुलीस तथा सेना चुपचाप तमाशा देखती रहती थी। कानपुर के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, कोहाट, बन्नू, आगरा, मुल्तान आदि के भीषण दङ्गों का प्रमाण सहज ही दिया जा सकता है। तात्पर्य यह कि यदि साम्प्रदायिक दङ्गा होना ही शासन की अयोग्यता का प्रमाण है तो इस दृष्टि से भारत सरकार का शासन-प्रबन्ध काश्मीर राज्य के शासन-प्रबन्ध से कहीं अधिक बुरा है और सहयोगी 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' को काश्मीर के शासन-प्रबन्ध से अधिक चिन्ता भारत-सरकार के शासन-प्रबन्ध के लिए होनी चाहिए। विशेष कर इस अवस्था में, जब कि यह एक खुला रहस्य है कि इधर अरसे से काश्मीर राज्य के बाहर की शक्तियाँ राज्य के भीतर साम्प्रदायिक भेद-भाव फैलाने में पूर्णतः प्रयत्नशील थीं।

हम इस स्थान पर काश्मीर नरेश की शासन-योग्यता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। हम साथ ही इस विषय में भारत-सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि वह स्थिति पर पूर्ण विवेक के साथ विचार करे और 'टाइम्स-ऑफ़-इण्डिया' की दूषित राय को काम में न लाए।

❁ ❁

शाही कमीशन की रिपोर्ट

सन् १९२९ के जुलाई मास में भारत-सम्राट की ओर से मि० जे० एच० ह्विटले की अध्यक्षता में एक कमीशन क़ायम किया गया था, जिसके सदस्य श्री० श्रीनिवास शास्त्री, सर इब्राहिम रहमतुल्ला, श्री० घनश्यामदास बिड़ला, दीवान चमनलाल, मि० एन० एम० जोशी आदि प्रमुख बारह व्यक्ति थे, जिनके चित्र तथा विस्तृत नामावली पाठकों को अन्यत्र मिलेगी। इस कमीशन में दो महिलाएँ भी सम्मिलित थीं। इन सदस्यों के अर्थ-शास्त्र के व्यावहारिक ज्ञान का देश क़ायल है। उन्हीं के शब्दों में कमीशन का कर्तव्य था—

"To enquire into and report on the existing conditions of labour and industrial undertakings and plantations in British India on the health, efficiency and standard of living of the workers and on the relations between employers and employed and to make recommendations."

अर्थात्—"ब्रिटिश भारत के उद्योग-धन्धों और चाय के खेत में काम करने वाले मज़दूरों की वर्तमान हालत, उनका स्वास्थ्य, कार्य-कुशलता और रहन-सहन तथा मज़दूरों और मालिक का पारस्परिक व्यवहार आदि विषयों की जाँच करके रिपोर्ट देना और आवश्यकीय सुधार की योजना पेश करना था।" कमीशन ने भारत भर में भ्रमण कर, जगह-जगह आम सभाएँ कर, सैकड़ों गवाहियाँ ले, और कई बार कारख़ानों एवं चाय के खेतों का निरीक्षण कर पिछली २री जुलाई को ५८० पृष्ठों की एक बड़ी गम्भीर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में हिन्दुस्तान के कल-कारख़ानों तथा चाय के खेत के मज़दूरों के सम्बन्ध में उनकी जीवन-प्रणाली (Standard of life) आदि भिन्न-भिन्न विषयों पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है। कमीशन के भ्रमण, जाँच आदि में केवल (!) साढ़े दस लाख रुपए का ख़र्च हुआ है।

कमीशन की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उससे मज़दूरों की वास्तविक दशा का सन्तोषजनक परिज्ञान नहीं होता। कमिटी ने जो सिफ़ारिशें पेश की हैं वे बहुत मामूली, सारहीन और अधूरी हैं। मज़दूरों की जीवन-प्रणाली का ही प्रश्न सब से महत्वपूर्ण है, परन्तु इस सम्बन्ध में कमीशन ने किस प्रकार सरसरी नज़र दौड़ाई है—यह देख कर आश्चर्य होता है। इस सम्बन्ध में, हमें खेद है, रिपोर्ट में कोई विस्तृत तालिका नहीं दी गई है। केवल बम्बई, अहमदाबाद और शोलापुर के सूती मिलों और कारख़ानों का हवाला देते हुए कमीशन की रिपोर्ट है कि "The striking feature of the budget (expenditure) of these people is the large proportion extended on the primary necessities of life." अर्थात्—"इन मज़दूरों के ख़र्च की सब से आश्चर्यजनक बात यह है कि जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं में ही इनकी कमाई का अधिक अंश लग जाता है। प्रमाण-स्वरूप कमीशन ने यह दिखलाया है कि इन मज़दूरों की आय का ८८ प्रतिशत भोजन, ईंधन, रोशनी, वस्त्र और घर के किराए में ख़र्च हो जाता है। यह तो केवल शोलापुर की हालत है, बम्बई और अहमदाबाद की दशा तो और भी गिरी हुई है। इस भयानक दरिद्रता का वर्णन करते हुए कमीशन के शब्दों में हम यही कहते हैं—"These facts are best left to speak for themselves and it is unnecessary to emphasize the general poverty they disclose." अर्थात्—ये बातें स्वयं वास्तुस्थिति पर प्रकाश डालेंगी, इस कारण उन (मज़दूरों) की ग़रीबी पर ज़ोर डालना अनावश्यक है। ये मज़दूर अपनी कुल आय का ९ प्रतिशत शराब आदि में ख़र्च कर देते हैं। ९७फ़ी सदी मज़दूरों का एक ही कमरे के घर में और उस एक कमरे में भी छः-छः से नौ-नौ तक मज़दूरों का रहना कितना भयावह तथा नारकीय है, इसका अन्दाज़ा लगाना कठिन है। न तो उनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध है और न रोशनी का। सूखी रोटी और सूखे साग तक का भी प्रबन्ध नहीं है, ज़रा सा खुला स्थान, जहाँ रोशनी आती हो, उन्हें नहीं मिलता। संसार में इस अन्याय और अपमान का भी कभी अन्त होगा? अस्तु—

कमीशन ने जो ख़ास रियायतें देने के लिए सिफ़ारिश की है, उनमें प्रमुख बात यह है कि जवान मज़दूरों से दिन भर में दस घण्टे और सप्ताह में ५४ घण्टे; तथा १२ से १९ साल तक के बच्चों से रोज़ ५ घण्टे काम लिया जाय। यहाँ पर जान लेना आवश्यक है कि कमीशन के दो प्रभावशाली सदस्य श्री० दीवान चमनलाल और श्री० एन० एम० जोशी ने युवकों के लिए केवल ४८ घण्टे सप्ताह के हिसाब से काम लेने की राय दी थी, परन्तु कमीशन ने इस राय को स्वीकृत नहीं किया! यूरोप के खानों में काम करने वाले मज़दूरों का ७½ घण्टे का दिन होता है, परन्तु भारतवर्ष में १० घण्टे दिन की मज़दूरी होती है!

वर्तमान समय के कल और कारख़ानों में यह भी प्रथा है कि माँ-बाप अपने बच्चों को अपने महाजन के हाथ सौंप देते हैं और मालिक उनके माँ-बाप को दिए गए क़र्ज़ की वसूली में उन गिरवी रक्खे हुए बच्चों से मनमाना काम लेते हैं। कमीशन ने इस प्रथा को अत्यन्त भयानक बतलाते हुए इसे शीघ्र हटाने की सिफ़ारिश सरकार से की है। मज़दूरों के स्वास्थ्य एवं निवास-स्थान आदि का निरीक्षण करने के लिए एक "बोर्ड ऑफ़ हेल्थ" (स्वास्थ्य-निरीक्षक समिति) क़ायम करने की भी अनुमति दी गई है।

रेलवे कर्मचारियों के सुधार-रूप में "Trade Union" (मज़दूर-सङ्घ) के सङ्गठित करने और उसमें हर प्रकार की सहायता की राय देते हुए कमीशन ने यह निश्चय किया है कि ये मज़दूर-सङ्घ ही मज़दूरों और मालिकों के बीच, समय आने पर समझौता का प्रबन्ध करेंगे। इसके साथ-साथ "Industrial Councils" (औद्योगिक सभाएँ) मज़दूरों की हर प्रकार की सहायता के लिए रहें। मज़दूर स्त्रियों के खानों में काम करने के सम्बन्ध में कमीशन ने घोर विरोध किया है और सरकार से सिफ़ारिश की है कि यह प्रथा शीघ्र ही बन्द कर दी जाय।

कमीशन ने और भी कई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें पेश की हैं और यद्यपि इससे मज़दूरों की दारुण एवं अत्यन्त दयनीय दशा में पूर्णतः परिवर्तन नहीं होता, फिर भी यदि भारत-सरकार इसके अनुसार काम करे, तो मज़दूरों का बहुत बड़ा कल्याण हो। देखना यह है कि इन सुधारों को सरकार किस अंश तक कार्य-रूप में परिणत करती है!

पुदुकोट्टा में भीषण दङ्गा !!

जेल पर धावा :: क़ैदी मुक्त कर दिए गए!

बम्बई के १६वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि पुदुकोट्टा रियासत में भीषण दङ्गे हो गए हैं।

इस रियासत के राजा साहब अभी नाबालिग़ हैं, और एक शासन-समिति राज्य-कार्य देखती है। कहा जाता है कि हाल ही में म्युनिसिपल टैक्स बढ़ा देने का विचार किया जा रहा था। जनता की ओर से इस विचार के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र शासन-समिति के अध्यक्ष के पास भेजा गया, जिसे नामञ्ज़ूर कर दिया गया। कहा जाता है कि इस अस्वीकृति से लोगों में बहुत असन्तोष फैल गया और शासन-समिति के अध्यक्ष के बँगले के सामने अध्यक्ष को मारने के उद्देश्य से एक भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, और लोग ऑफ़िसरों पर आक्रमण करने लगे। कहा जाता है कि पुलीस ने फ़ायर किया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। किन्तु भीड़ ने पुलीस और मिलिटरी को क़ाबू में कर लिया। फिर उन लोगों ने अध्यक्ष के बँगले को लूटा, अदालत के काग़ज़ात तथा बार लाइब्रेरी में आग लगा दी, जेल के दरवाज़े को तोड़ कर जेलर को घायल किया और सभी क़ैदियों को मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उन लोगों ने पुलीस कमिश्नर को भी घायल किया है और सरकारी अफ़सरों को चलने-फिरने में भी बाधा पहुँचाया। ९ बजे सुबह से १ बजे दोपहर तक दङ्गाई बिना किसी विघ्न-बाधा के उपद्रव मचाते रहे। इसके बाद भी परिस्थिति क़ाबू में न आ सकी।

बाद के समाचारों से पता चलता है कि परिस्थिति को क़ाबू में लाने के लिए एक पञ्जाबी सेना भेजी गई है और परिस्थिति भी कुछ शान्त हो चली है। बाद के समाचारों से पता चलता है कि जनता की माँगें अक्षरशः स्वीकार कर ली गई हैं।

❁ ❁ ❁

'भविष्य' की व्यङ्ग-चित्रावली का एक पृष्ठ

गोलमेज़ का सर्कस

प्लेटफ़ॉर्म पर स्नान

सेठ जो—महाराज ! जल्दी करो, गाड़ी ने सीटी दे दी...

अङ्गरेज़ दर्शक—कैसा गधा आदमी है—क्या यही इन लोगों का पर्दा है ?

गेंद खेलने वाला देखो, गेंद उठाने वाला देख !
एक जाति के ये दोनों थे, इसको भी लो मन में लेख !!

जो ईसाई बन जाता है, उस अछूत का देखो रङ्ग !
जो हिन्दू है उसके जूता सीने का भी देखो ढङ्ग !!

प्राणों का मूल्य

[श्री० शिवनाथ मिश्र शर्मा]

रिद्र के जीवन में केवल दुख ही नहीं, कुछ सुख का भी अंश होता है। वह दुख में भी सुख का अनुभव किया करता है। रूखे-सूखे भोजन में ही उसे राजप्रासाद के व्यञ्जनों का स्वाद मिलता है। टूटी-फूटी झोंपड़ी ही उसके लिए राजमहल है। सन्तोष का सम्बल उसे सदा प्रसन्न रखता है।

काली दरिद्र था। समस्त सुख की लालसाएँ उसके लिए निर्मूल थीं। उसका जीवन कष्टकर नहीं तो नीरस अवश्य था। परन्तु प्रसन्नता उसकी चिर-सहचरी थी।

सघन-वन की छटा निराली थी। हरे-भरे निकुञ्जों में पत्ती गा रहे थे। भाँति-भाँति के फूलों के मधुर सुवास से भौंरे मस्त हो रहे थे। थोड़ी दूर पर एक पतली धार वाली कल-निनादिनी भी किलकारियाँ भरती चली जा रही थी। उसके पास ही नाना प्रकार के घनीभूत छाया वाले वृत्तों से घिरी एक छोटी सी पर्ण-कुटी थी। यही था, दरिद्र काली का राजमहल। दिन भर का थका-माँदा काली रूखा-सूखा खाने पर यहीं पैर फैला कर सो जाता था।

काली कभी वन-फल संग्रह करता, कभी लकड़ी तोड़ कर बेच लाता और कभी कुछ मेहनत-मजूरी करने चला जाता और कभी नदी के किनारे बैठ कर कुछ गुन-गुनाया करता।

उसके जीवन का सहारा—आँखों की पुतली—थी उसकी एकमात्र कन्या विभा। उसे देख कर वह प्रसन्न हो जाता और थोड़ी देर के लिए उसकी दरिद्रता इस अस्थायी सुख के आवरण में छिप जाती।

विभा को वह प्यार-भरे शब्दों में 'बिटिया' कह कर पुकारा करता। शायद उसके सन्तप्त हृदय को इन तीन अत्तरों से कुछ शान्ति मिलती। वह कभी-कभी विभा के साथ बैठ कर घण्टों गोटी खेला करता। वह उस समय अपने को भूल जाता। विभा उसके दरिद्र हृदय की सम्पदा थी—प्राणों की प्यारी थी।

विभा नन्दन कानन की कुसुम-कलिका थी। उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुन्दर और सुडौल थे। भँवर-पंक्ति की भाँति उसके केश थे और पङ्कज सी आँखें। स्वर्ण सा प्रोज्ज्वल उसका ललाट था और कीर सी नाक। मधुर मुस्कुराहट तो उसके होठों में लगी ही रहती थी।

काली अपनी दरिद्रता की सम्पदा, प्यारी कन्या को उसी निर्जन वन में छोड़ कर दिन भर फेरी लगाता। विभा कुटी के द्वार पर बैठी अनिमेष नयनों से पिता की राह ताका करती। सन्ध्या को काली भाँति-भाँति के अन्नों की छोटी सी पोटली बाँधे आता। विभा हर्षोन्मत्त होकर दौड़ पड़ती। काली के शरीर में प्रसन्नता दौड़ जाती। उसका रोम-रोम पुलकित हो उठता। वाह रे वात्सल्य स्नेह, तू धन्य है। तू संसार को जितना मधुर बना देता है, उतना कोई शक्ति नहीं बना सकती।

× × ×

यौवन किसी की अपेक्षा नहीं करता। धनी, दरिद्र, दुखी और सुखी, सभी को वह एक ही दृष्टि से देखता है। वह जलधारा की भाँति सब जगह बरस जाता है—उर्वर में और ऊसर में, खेत में और नदी में। वह कार्ल-मार्क्स और लेनिन से भी बढ़ कर साम्यवादी है।

क्यों तुले रहते हैं सब मेरी बुराई के लिए ?

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

रङ्ग यह उनका है, तरज़े बेवफ़ाई के लिए,
माँगते हैं ख़ूने-दिल, दस्ते-हिनाई[1] के लिए !
तीर जब उनका चला, उनकी कमाँ को छोड़ कर,
दिल मेरा पहलू से निकला, पेशवाई[2] के लिए,
आप ही कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए !
दिल कुदूरत[3] के लिए है या सफ़ाई के लिए ?
ख़ल्क़[4] में पैदा हुए, आफ़ाक़[5] में ज़ाहिर हुए
हम वफ़ा के वास्ते, तुम बेवफ़ाई के लिए !
और तो सब छुट गए सय्याद असीराने[6] क़फ़स,
हुक्म क्यों देता नहीं, मेरी रिहाई के लिए !
इसका गाहक है ज़माना, इसका ख़्वाहाँ[7] है जहाँ,
दिल खिलौना बन गया सारी ख़ुदाई के लिए।
मैं तो ऐ 'बिस्मिल' किसी को भी बुरा कहता नहीं
क्यों तुले रहते हैं सब मेरी बुराई के लिए ??

१—मेहँदी लगा हुआ हाथ, २—स्वागत, ३—मैल, ४—दुनिया, ५—संसार, ६—क़ैदी, ७—चाह करने वाला।

* * *

समय जाते देर नहीं लगती। देखते-देखते विभा की कमनीय बाटिका में भी बसन्त का प्रादुर्भाव हुआ। यौवन आया और सज-धज कर आया। प्रकृति ने समय की मदमाती पिचकारी में सौन्दर्य का रङ्ग भर कर विभा के गुलाब सदृश कपोल पर बेधड़क मारा। उन्माद की होली जली ! यह पूर्ण युवती हुई। लड़कपन की चपलता का स्थान गम्भीरता ने छीन लिया।

आकाश में चन्द्रदेव चमके और सघन वन में विभा का यौवन। बसन्त का नव-रस फैला। पपीहा ने पी-पी की धुन लगाई और वृत्तों की डालियों पर बैठ कर कोयल ने कू-कू रव से वनस्थली को विकम्पित और मुखरित कर दिया। हाय री जवानी ! तू पगली है, उन्मादिनी है।

काली ने इस परिवर्तन को लक्ष्य किया। कुछ चिन्तित हुआ। विभा का भावी वियोग और प्राणोपम कन्या को किसी सुपात्र के हाथों में सौंपने की चिन्ता ने काली को व्याकुल कर दिया। आज उसे संसार दुख-मय, वियोगमय और व्यथामय प्रतीत हुआ। आज ही उसने पहले-पहल दरिद्रता का अनुभव किया—आज ही उसने अपने को सम्बलहीन, अत्तम और भिखारी समझा। उसे बार-बार यही चिन्ता होने लगी कि दरिद्र की कन्या को कौन ग्रहण करेगा !

× × ×

ग्रीष्म की कड़ी एवं लम्बी दुपहरिया थी। सविता की उत्तप्त किरण-माला भयङ्कर दावानल की सृष्टि कर रही थी। धरित्री विरही की भाँति जल रही थी। नदी का हृदय-स्रोत सूख गया था। पत्ती पानी बिना व्याकुल थे।

विभा अपनी कुटी के द्वार पर बैठी प्रतित्ताकुल नयनों से पिता के आने की बाट जोह रही थी। आज-कल काली सवेरे ही बाहर निकल जाता और दोपहर को चला आता था। उसके आने का समय हो गया था। सहसा एक आखेट-विलासी युवक जलता-झुलसता विभा के सामने आकर खड़ा हो गया। वह सहमी-सकुची। युवक व्याकुलता से बोला—देवि ! थोड़ा जल ! बड़ी प्यास लगी है !

विभा ने दौड़ कर मुट्ठी भर भूने हुए चने तथा एक लोटा जल लाकर युवक के सामने रख दिया।

युवक ने कहा—केवल जल। भूखा नहीं, केवल प्यासा हूँ।

विभा बोली—खाली पानी पीना ठीक नहीं। इसे खा लीजिए। खाली पानी नुक़सान कर सकता है।

युवक इस तुच्छ आग्रह को टाल न सका। चने खाकर एक ही साँस में सारा जल पी गया। वह प्यासा था—व्याकुल था। उसने तृप्त दृष्टि से एक बार विभा की ओर देखा। उसकी चितवन में कृतज्ञता थी और व्याकुलता भी।

युवक को शान्ति न मिली। उस थोड़े से जल में मादकता थी—प्रेम का एक अजीब आकर्षण था। वह उन्मत्त हो उठा। उसका हृदय विभा की तरफ़ खिचने सा लगा।

संसार में स्त्री और ऐश्वर्य वासना के दो प्रमुख मार्ग हैं। परन्तु प्रथम से द्वितीय में अन्तर है। स्त्री की एक सरल-चितवन पर मनुष्य अपने आपको समर्पण कर देता है। उसकी एक मधुर मुस्कान पर त्रैलोक के वैभव को लुटा देता है। स्त्री में बड़ी मादकता है, बड़ी आकर्षण है।

युवक मोहित हुआ। वह अपने हृदय को धरोहर रूप में वहीं रख कर चलता बना। विभा अवाक् सी खड़ी अपलक नयनों से उसे देखती रह गई।

अहा ! कितना सुन्दर, कितना सुडौल, कितना सुश्रीवान उसका शरीर था। अङ्ग-अङ्ग से वीर-रस

टपका पड़ता था। विभा के हृदय में उथल-पुथल सा मच गया।

नित्य-प्रति विभा अपनी कुटी के द्वार पर बैठ कर आशा-भरी दृष्टि से किसी की राह देखा करती। युवक कभी न कभी आता और पास की नदी के तट पर बैठ कर दोनों प्रेमालाप किया करते। दोनों की बातें कभी समाप्त न होतीं। दोनों के हृदय में एक-दूसरे को देख कर आनन्द-मन्दाकिनी बह चलती। सघन वन में बासन्ती बयार झूम-झूम कर नाचने लगती, सामने के वृक्षों से कोयल "कू-कू" कर उठती, कमलिनी हँस देती, मोर नाच उठते, विभा मुस्कुरा देती और युवक इस मधुर मुस्कान पर हज़ार जान से निछावर हो जाता।

काली से कोई बात छिपी न रही। विभा ने कुछ बताया तो नहीं, परन्तु कुछ छिपाया भी नहीं। काली को भी रोक-टोक की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। परन्तु वह कभी प्रसन्न होता और कभी दुखी हो जाता, क्योंकि विभा एक दरिद्र की कन्या थी और वह किसी बड़े आदमी का पुत्र। काली को यह विषमता कुछ खलती। प्यारी 'बिटिया' की भविष्य की चिन्ता उसे कुछ विचलित कर देती। परन्तु अब उपाय ही क्या था?

× × ×

शरद की पूर्णिमा थी। चन्द्र-मण्डल से निःसृत होकर चन्द्रिका समस्त धरातल पर सुधा-धारा की भाँति फैल गई। प्रकृति मूक थी, चतुर्दिक सन्नाटा था। एक छोटे, पर सुसज्जित कमरे में बैठा हुआ युवक किसी गहन चिन्ता में निमग्न था। सहसा एक करुण-क्रन्दन ध्वनि उसे सुन पड़ी। चिन्ता भङ्ग हुई। उसने बाहर झाँक कर देखा, सामने के पथ से दो गढ़ाखडील मनुष्य एक अति दीन-हीन व्यक्ति को मारते-पीटते तथा घसीटते लिए जा रहे हैं। उसके हृदय में दया का सञ्चार हुआ। उसने पास जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि बेगार न देने के कारण शासक के पास लिए जा रहे हैं। युवक का हृदय व्यथा से व्याकुल हो उठा। क्रोध और उदासी ने एक साथ ही उसे विचलित कर दिया।

ओफ़! इतना अत्याचार! इतना अन्याय! क्या शासक का यही धर्म, यही कर्तव्य है? ऐसे शासन की छत्रछाया में एक क्षण भी जीवन धारण करना पाप है—अधर्म है। इस निरंकुश शासन को बदलने की चेष्टा ही प्राणी मात्र का कर्तव्य है। पर पहले एक बार सचेत कर देना उचित है। शायद वह मान जाय।

युवक ने शासक से अनुनय-विनय करके उसे रास्ते पर लाने का विचार किया। किन्तु अत्याचारी के हृदय पर चेतावनी का प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक उस पर कुछ दबाव न पड़े। युवक की आशा विफल हुई। शान्ति के बदले वह अशान्ति की दारुण यातना लेकर लौटा।

× × ×

युवक ने शासन-तन्त्र को बदल डालने का विचार किया। गाँवों में घूम-घूम कर लोगों में जागृति का सञ्चार किया। कर्तव्य-पथ दर्शाया, मनुष्यत्व का तत्व जनता को बताया। सारा देश, जो निर्जीव-सा पड़ा था, युवक के कठिन परिश्रम से सजीव हुआ। जन-समाज में नव उत्साह फैला। नवीन परिवर्तन हुआ। सङ्गठन की मधुर वंशी बजी। विद्वेष-भाव मिटा। धनी-ग़रीब, छूत-अछूत एक रङ्ग में रँगे गए। गाँव-गाँव में सभाएँ हुईं। पञ्चायतें क़ायम हुईं। सेवा-दल स्थापित हुआ। नव-युवक-गण धड़ाधड़ नाम लिखाने लगे। ग्राम-ग्राम में आश्रम बने। सारे देश में अन्यायी एवं क्रूर शासन के विरुद्ध अविराम गति से कार्य होने लगे। सारी प्रजा-मण्डली ने युवक के शब्दों पर अपने आपको समर्पण कर दिया। वह सबका नायक बना।

शासक घबराया, देश की ऐसी परिस्थिति उसे असह्य हो उठी। युवक उसकी आँखों की किरकिरी हो गया। वह अवसर ढूँढने लगा।

धारो एक छोटा सा गाँव था। यहाँ के अधिवासी अधिकांश में अछूत थे। युवक ने यहीं अपना आश्रम या केन्द्र बनाया। युवक आश्रम में कम्बल बिछाए पड़ा था। उसके हृदय में चिन्ता की भीषण ज्वाला धधक रही थी। वह सोच रहा था, किस प्रकार यह देश शान्तिमय होगा? कैसे यह शासन बदला जाएगा? कब धनी, ग़रीब, छूत-अछूत और छोटे-बड़े शान्तिमय नागरिक जीवन का अनुभव करेंगे?

रात गम्भीर हो आई। चन्द्रमा खिलखिलाया। अन्तरिक्ष पर तारे चमके। पर युवक की चिन्ता दूर न हुई। सहसा धरो-पकड़ो की कठोर ध्वनि सुन पड़ी। वह बाहर आया। सशस्त्र सेना आश्रम घेरे खड़ी थी। युवक पकड़ा गया। वह बन्दी हुआ। लोगों में अधीरता छा गई।

× × ×

सवेरा हुआ! लजावती तारिकाएँ लम्बे घूँघट से अपना सुन्दर मुख छिपाने लगीं। कमल श्रीसम्पन्न हुए। सौन्दर्यवती कुमुदिनी विरह-व्यथा से मुरझाने लगी। पक्षियों ने आनन्द-गान गाया।

एक-एक कर जन-समूह न्यायालय में एकत्रित होने लगा। आज युवक का विचार-दिवस था। दस बजते-बजते सारा न्यायालय ठसाठस भर गया। युवक बन्दी-वेश में लाया गया। तुमुल जय-ध्वनि से विचारालय थर्रा उठा। उसके मुख पर शान्ति थी, देश-सेवा की प्रोज्ज्वल ज्योति थी।

निर्णायक ने निर्णय सुनाया—युवक राजद्रोही है, क्रान्तिकारी और षड्यन्त्रकारी है। इसने क़ानून द्वारा प्रतिष्ठित शासन-तन्त्र को उलट देने की चेष्टा की है। इसलिए इसे सरे-मैदान गोली मार दी जाय।

न्यायाधीश का यह अद्भुत आदेश सुन कर लोगों में सन्नाटा छा गया। यह न्याय है? लोगों का हृदय काँप गया! परन्तु चारों ओर शान्ति थी।

इसके बाद अदालत बरख़ास्त हुई। जनता रोती-बिलखती अपने घर चली गई और युवक कारागार में भेज दिया गया।

× × ×

न्यायाधीश के आदेशानुसार आज युवक को गोली मार दी जाने वाली थी। नगर के बाहर एक विस्तृत मैदान में यह भीषण अभिनय होने वाला था। दर्शकों की अपार भीड़ थी। जल्लादों ने एक ऊँचे टीले पर लाकर युवक को खड़ा कर दिया। उसके हाथों में हथ-कड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और मुँह पर मुस्कराहट थी।

जल्लादों ने उसे दो खम्भों के बीच लाकर खड़ा किया और उसके शरीर को मज़बूत रस्सी द्वारा दोनों खम्भों में अच्छी तरह बाँध दिया।

जल्लाद थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया। वह एक बार युवक की ओर देख कर कर्कश स्वर में बोला—अपराधी, सचेत हो जा!

युवक ने हँस कर कहा—मैं ख़ूब सचेत हूँ; तू अपना काम कर।

इसके बाद जल्लाद का हाथ उठा। गोली दग़ी। जनता चीख़ उठी। परन्तु यह क्या? युवक के चरणों के पास यह स्त्री कौन-सी लोट रही है। नर-नारी, युवा-युवती और वृद्ध-बालक सभी आश्चर्य-चकित दृष्टि से यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। युवक स्थिर भाव से खड़ा था। वह दर्द-भरी आवाज़ से बोला—आह विभा! तुम!

जल्लाद ने दूसरी गोली दाग़ी और वह युवक के सीने को छेदती हुई, उस पार निकल गई!

इसी समय लोगों ने देखा, एक पागल भिखारी दौड़ता हुआ—'हाय विभा, मेरी बिटिया' कहता हुआ आया और युवती के निर्जीव शरीर पर गिर पड़ा! उसके अभ्यन्तर से एक दर्दनाक आह निकली और वह भी वहीं सदा के लिए शान्त हो गया।

जन-समूह में से एक आदमी बोल उठा—अरे, यह तो वही काली है, जो लकड़ा नदी के किनारे, धारो के वन में झोंपड़ी डाल कर रहा करता था।

* * *

तूफ़ाने-ज़राफ़त

[महाकवि "अकबर" इलाहाबादी]

ग़ैर की हसरत निकलने दीजिए,
ख़ैर मेरे दिल को जलने दीजिए!
"पार्क" में क्या जाऊँ, है वक़्ते नमाज़,
बाबू साहब को टहलने दीजिए!

× × ×

शौक़ है पुन का, न ताक़त पाप की,
सब हैं बस बढ़ती मनाते आपकी!
हो चुके "हुगली" के "लेक्चर", अब हमें,
फ़िक्र है गङ्गा किनारे जाए की!
क़ुत्र[1] जो कुछ है मुहीत[2] एक इश्क़ है,
धूम है उनकी कमर की नाप की!
शेख़ जी क़ाने[3] के घर में लो जनम,
वरना अब मिटती है हस्ती आपकी!

१—किसी चीज़ का किनारा, २—घेरा करने वाला, ३—सन्तोषी,

* * *

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

सोज़े[4] ग़म से काम चलने दीजिए,
जल रहा हूँ, मुझको जलने दीजिए!
हज़रते "बिस्मिल" हमारी हल्क़ पर,
चलती है तलवार, चलने दीजिए!

× × ×

पुन से नफ़रत, और हसरत पाप की,
ख़ैर "पब्लिक" क्या मनाए आप की!
जाऊँ क्या गङ्गा का साहिल[5] छोड़ कर,
लह पैदा हो गई है जाप की!
अब के लड़के कुछ समझते ही नहीं,
आबरू जाती रही माँ-बाप की!
हज़रते "बिस्मिल" हुए मशहूरे ख़ल्क़[6],
हर ग़ज़ल "नोटिस" थी गोया आपकी!

४—दुख का जलन, ५—किनारा, ६—संसार।

* * *

स्वीट्ज़रलैण्ड का स्वाधीनता-संग्राम

[मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

ध्य यूरोप में स्वीट्ज़रलैण्ड नाम का एक छोटा सा किन्तु विख्यात देश है। यहाँ की घड़ियाँ सारे संसार में विख्यात हैं। इसके सिवा यहाँ रेशम और ग़ल्ले की पैदावार भी अच्छी होती है। इस लेहाज़ से स्वीट्ज़रलैण्ड को कृषि-प्रधान देश भी कह सकते हैं। इस देश का क्षेत्रफल १५,९९० वर्गमील और जन-संख्या ३८,८०,३२० है। इस देश के निवासियों को स्वीस कहते हैं। ये बड़े परिश्रमी, बुद्धिमान और उन्नतिशील होते हैं! स्वीट्ज़रलैण्ड में पहाड़ और जङ्गल बहुत हैं।

परन्तु आज से बहुत दिन पहले स्वीट्ज़रलैण्ड नाम का कोई एक देश न था और न वर्तमान स्वीस जाति ही थी। जिस समय का ज़िक्र हम कर रहे हैं, उस समय अल्पस् पर्वत के आस-पास बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिनमें कुछ फ़्रान्सीसियों के, कुछ ऑस्ट्रियनों के, कुछ रोमनों के और कुछ अन्यान्य तत्कालीन बलवान राष्ट्रों के अधिकार में थे। प्रत्येक राज्य की अलग-अलग जाति, अलग-अलग रीति-रिवाज और स्वतन्त्र भाषा थी।

कुछ दिनों के बाद ही इन छोटे-छोटे शक्तिहीन राज्यों में स्वतन्त्रता की आकांक्षा बलवती हो उठी और वे एक-एक करके स्वतन्त्र हो गए। फलतः इन्हीं छोटे-छोटे राज्यों की समष्टि का वर्तमान नाम स्वीट्ज़रलैण्ड है, इन्हीं स्वाधीनता-प्रिय लोगों को लेकर वर्तमान स्वीस जाति बनी है और इन्हीं की स्वाधीनता का इतिहास स्वीट्ज़रलैण्ड का इतिहास है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय संसार इतना उन्नत न था। विज्ञान का तो कोई नाम भी नहीं जानता था। उस समय न तो कहीं कोई सामरिक महाविद्यालय था और न शस्त्रास्त्र तैयार करने वाली वर्तमान युग की तरह बड़ी-बड़ी फ़ैक्टरियाँ और मेशिनें थीं। इसलिए स्वीट्ज़रलैण्ड के तत्कालीन स्वतन्त्रता-प्रिय विद्रोही नेता भी युद्ध-कला-विहीन, खेतिहर और मज़दूर थे। इनके पास तोप, बन्दूक़, गोला-गोली और रणपोत तथा हवाई जहाज़ आदि कुछ भी न था। परन्तु उनमें स्वतन्त्रता प्राप्त करने की अदम्य लालसा की कमी न थी और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि साधारण लोग भी अपनी सम्मिलित शक्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं।

सब से पहले स्वीट्ज़रलैण्ड के यूरी, स्कुाइज़ और आल्टर वेलवेन प्रदेशों में स्वतन्त्रता प्राप्त करने की चेष्टा प्रारम्भ हुई। ये तीनों प्रदेश उस समय ऑस्ट्रियनों के अधिकार में थे। गेस्लर और लैण्डेनबर्ग नाम के दो ऑस्ट्रियन इन प्रदेशों के शासनकर्ता या भाग्य-विधाता थे। इनके शब्दकोष में राज्य-शासन का अर्थ प्रजा को चूसना और उस पर तरह-तरह के अत्याचार करना था। प्रजा इनके अत्याचारों से घबरा उठी थी और उनसे किसी तरह परित्राण पा जाने की तदबीर सोचने लगी।

वाल्डेन प्रदेश का ऑरनोल्ड एक तेजस्वी किसान युवक था। वह बहुधा अत्यन्त उत्तेजित भाव से अधिकारियों के अत्याचारों की चर्चा किया करता था। वह विदेशी शासकों का प्रबल विरोधी था और चाहता था कि किसी उपाय से इन्हें इस देश से निकाल दिया जावे तो बड़ा अच्छा हो। इन्हें क्या अधिकार है, हमारे ऊपर शासन करने का? ये कौन होते हैं, जो हमारे प्रभु बने बैठे हैं?

एक दिन ऑरनोल्ड अपना खेत जोत रहा था। उसके दोनों बैल बड़े सुन्दर, बलिष्ठ और मूल्यवान थे। उसे अपने बैलों से बड़ा प्रेम था। इसलिए वह उनकी सेवा भी ख़ूब करता था। फलतः हल खींचने के समय जब उसके दोनों बैल गर्दन उठाए और झूमते हुए आगे बढ़ते थे, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी।

एक दिन ऑरनोल्ड अपने खेत जोत रहा था। इतने में लैण्डेनबर्ग के कुछ आदमी वहाँ आ पहुँचे और कहने लगे—ऑरनोल्ड, तुम्हारे बैल तो बड़े अच्छे हैं।

ऑरनोल्ड ने उत्तर दिया—हाँ, हैं तो!

"तो तुमने, एक मामूली किसान होकर, इतने मूल्यवान बैल क्यों रक्खे हैं? इन्हें हमारे प्रभु लैण्डनवर्ग के लिए छोड़ दो।"

ऑरनोल्ड ने भृकुटी चढ़ा कर उत्तर दिया—मैं अपने बैल लैण्डनवर्ग को क्यों दे दूँ?

"देना ही होगा। तुम इतने अच्छे बैल नहीं रख सकते।"

ऑरनोल्ड ने उत्तेजित होकर कहा—मैं कदापि अपने बैल किसी को न दूँगा।

बात बढ़ गई। लैण्डनवर्ग के आदमियों ने बलपूर्वक बैल छीन लेना चाहा। हाथापाई की नौबत आ गई। युवक ऑरनोल्ड अत्यन्त उत्तेजित हो उठा। उसने लाठी उठा ली और लैण्डनवर्ग के आदमियों को मार भगाया। इसकी ख़बर लैण्डनवर्ग को मिली तो वह अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा। एक साधारण किसान की यह स्पर्द्धा कि मेरे आदमियों को मार दे! उसने अपने अन्यान्य अनुचरों को बुला कर आज्ञा दी कि अभी, फ़ौरन जाकर ऑरनोल्ड को पकड़ लाओ। उसने बड़ी भारी गुस्ताख़ी की है। मैं उसे कड़ा दण्ड देना चाहता हूँ।

ऑरनोल्ड उस समय भी अपने खेत में ही था। परन्तु वह जानता था कि लैण्डनवर्ग चुपचाप नहीं रहेगा। ख़ैर, देखा जायगा, यह सोच कर ऑरनोल्ड निश्चिन्ततापूर्वक खेत जोतने लगा। इतने में लैण्डनवर्ग के बहुत से आदमी उसे पकड़ने के लिए आ पहुँचे। परन्तु ऑरनोल्ड को पकड़ लेना कोई हँसी-खेल न था। उसने लाठी उठाई और उसे घुमाता हुआ, एक ओर निकल गया। लैण्डनवर्ग के अनुचरों में से किसी का साहस न हुआ जो उसे पकड़ ले। ऑरनोल्ड साफ़ निकल गया।

लैण्डनवर्ग के अनुचरों ने पुत्र के बदले उसके वृद्ध पिता को गिरफ़्तार किया। नृशंस लैण्डनवर्ग ने बेचारे वृद्ध की दोनों आँखें निकलवा लीं और उसकी सारी सम्पत्ति छीन कर उसे रास्ते का भिखारी बना दिया!

ऑरनोल्ड को यह ख़बर मिली तो वह क्रोध से पागल सा हो उठा। परन्तु परिस्थिति उसके अनुकूल न थी। इसलिए उसने स्वाधीनता-संग्राम का आयोजन करने का विचार किया, और देश के नवयुवकों को संग्रहीत कर सदा के लिए इस बला को टाल देने की तैयारी में लग गया।

यूरी और स्वित प्रदेशों का शासक गेस्लर था और प्रजा पर अत्याचार करने में यह लैण्डनवर्ग से भी दो क़दम आगे बढ़ा हुआ था। स्वित प्रदेश के स्टेफ़चर नाम के एक किसान ने एक छोटा सा, परन्तु सुन्दर मकान बनवाया। गेस्लर को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। एक साधारण किसान—झोंपड़ियों का रहने वाला ऐसे सुन्दर मकान में रहेगा? उसने स्टेफ़चर को बुला कर डाँटा और आज्ञा दी कि अभी मकान ख़ाली करके चला जाए, नहीं तो बलपूर्वक निकाल दिया जाएगा।

गेस्लर का यह बेहूदा आदेश सुन कर स्टेफ़चर का ख़ून उबल उठा। परन्तु वह बुद्धिमान आदमी था। उसने वृथा वाद-विवाद में न पड़ कर कहा—हुज़ूर की जैसी इच्छा! मैं अवश्य ही वह मकान ख़ाली कर दूँगा। परन्तु मेहरबानी करके कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए, ताकि घर का आवश्यक सामान रखने और बाल-बच्चों के रहने के लिए कहीं कोई झोंपड़ी तैयार कर लूँ।

गेस्लर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। स्टेफ़चर घर आया और देश के इस महान कण्टक को उखाड़ फेंकने की तदबीर सोचने लगा।

यूरी प्रदेश का वाल्टर फ़ॉर्स्ट स्टेफ़चर का परम मित्र था। वह बड़ा साहसी और वीर पुरुष था। स्टेफ़चर ने उससे मिल कर सारा क़िस्सा सुनाया और पूछा कि क्या करना चाहिए? संयोगवश ऑरनोल्ड भी उस समय वहीं था। उसने कहा, इन नृशंसों के अत्याचार से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि इन्हें इस देश से निकाल बाहर किया जाए या इसी प्रयत्न में प्राण विसर्जन कर दिया जाए। क्योंकि ग़ुलाम बन कर जीने की अपेक्षा मर जाना बेहतर है।

अत्याचारियों को देश से निकाल बाहर करने की सलाह पक्की हो गई। ऑरनोल्ड ने तो सङ्गठन का कार्य आरम्भ कर ही दिया था। उसके अन्य साथियों ने भी उसकी सहायता करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी समय स्वर्ण में सुगन्ध की तरह विलियम टेल नाम का एक अत्यन्त उत्साही और देशभक्त युवक भी इन लोगों में आ मिला। विलियम टेल स्टेफ़चर का दामाद था। उन दिनों उसकी वीरता और सत्साहस की चारों ओर धाक थी। टेल एक नामी तीरन्दाज़ और सुयोग्य नाविक भी था। उसे लोग अपने फ़न का उस्ताद समझते थे। उसके तीर कभी लक्ष्य-भ्रष्ट नहीं होते थे। वह बड़ी दूर से निशाना लगा सकता था और भादों की बढ़ी हुई नदी में, ठीक तूफ़ान के समय भी एक छोटी सी डोंगी लेकर उतर पड़ता था। इस हुनर में उसे कमाल हासिल था।

टेल के आ जाने से इन लोगों का उत्साह और भी बढ़ गया। सबने तलवार उठा कर शपथ की कि देश की स्वाधीनता के लिए जीवन उत्सर्ग कर देंगे। जब तक शरीर में ख़ून की एक बूँद भी बाक़ी रहेगी, तब तक स्वातन्त्र्य-संग्राम जारी रहेगा। हमारी यह प्रतिज्ञा अटल है। हम अपने देश के साथ कदापि विश्वासघातकता नहीं करेंगे।

इसके बाद बड़े उत्साह और बड़ी तत्परता से कार्यारम्भ हुआ। इसी समय एक और मज़ेदार घटना हो गई। एक दिन टेल अपने छोटे बच्चे को लेकर अपनी ससुराल की ओर जा रहा था। तीरों का तरकश और धनुष वह सदा अपने पास रखता था। रास्ते में एक ऑस्ट्रियन सेना मिल गई। टेल रास्ता छोड़ कर बग़ल में खड़ा हो गया। इतने में एक सिपाही उसके पास आया और कहने लगा—तुमने ऑस्ट्रिया-सम्राट के प्रतिनिधि गेस्लर की टोपी का अभिवादन नहीं किया? टेल के शरीर में मानो आग सी लग गई। उसने कहा—मैं किसी की टोपी और कुर्ते का अभिवादन नहीं कर सकता। मेरा मस्तक इस तरह जहाँ-तहाँ नहीं झुका करता।

सैनिक-वेष में गेस्लर भी पास ही खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ कर कहा—टेल, मैंने तुम्हारी तीरन्दाज़ी की बड़ी तारीफ़ सुनी है, परन्तु कभी देखी नहीं। आज ज़रा अपना कौशल दिखाओ तो सही। मैं तुम्हारे लड़के के सिर पर एक सेब रख देता हूँ, तुम दूर खड़े होकर अपने तीर द्वारा उसे दो टुकड़े कर दो। क्यों, तैयार हो?

टेल ने कहा—नहीं, बच्चे के जीवन को सङ्कटापन्न करके मैं तुम्हें अपनी तीरन्दाज़ी नहीं दिखा सकता।

"तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।"

"टेल मरने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है। तुम्हारी जो इच्छा हो, कर सकते हो।"

गेस्लर ने कहा—अच्छी बात है, परन्तु मैं पहले तुम्हारे लड़के को मार कर तब तुम्हें मारूँगा।

बेचारा टेल यह सुन कर स्तम्भित हो गया। कुछ सोच कर उसने कहा—अच्छा, मैं अपनी तीरन्दाज़ी दिखाने के लिए तैयार हूँ।

नर-पिशाच गेस्लर ने लड़के को एक पेड़ से बाँध दिया! इसके बाद उसके सिर पर एक छोटा सा सेब रक्खा गया। टेल उसके निर्दिष्ट किए हुए स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। एक बार उसने सतीक्ष्ण नेत्रों से अपने बच्चे की ओर देखा। फिर तरकश से दो तीक्ष्ण तीर निकाले और उन्हें भी अच्छी तरह देख लिया। इसके बाद उसने धनुष पर तीर रक्खा और निशाना ठीक करके उसे छोड़ दिया। सेब दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। परन्तु बच्चे को ज़रा रेप भी न लगी। गेस्लर टेल की हस्तलाघवता देख कर आश्चर्य में पड़ गया। वह इसी बहाने सलाम न करने का उसे दण्ड देना चाहता था, परन्तु उसकी मनोकामना पूरी न हुई। उसने टेल की निशानेबाज़ी की प्रशंसा करते हुए पूछा—परन्तु तुमने दो तीर क्यों निकाले थे?

टेल ने उत्तर दिया—इसलिए कि अगर निशाना चूक जाता और मेरे लड़के को चोट लग जाती तो इस दूसरे तीर द्वारा तुम्हारे निष्ठुर हृदय को छेद डालता।

टेल का यह निर्भीकतापूर्ण उत्तर सुन कर गेस्लर क्रोध से आग-बबूला हो गया। उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, पकड़ लो इस कमबख़्त गुस्ताख़ को। टेल पकड़ लिया गया।

परन्तु टेल को पकड़ कर बन्दी बना लेना हँसी-खेल न था। क्योंकि वह जनता का प्रिय-पात्र था। उसके आदेश पर प्राण विसर्जन करने वालों की संख्या काफ़ी थी। इसलिए गेस्लर ने उसे किसी दूसरे द्वीप में ले जाकर रखने का विचार किया। उसके सैनिकों का जहाज़ तैयार था। उसने टेल को उसी पर चढ़ाया और दल-बल सहित वहाँ से चल दिया।

'उरी' नाम की एक विशाल झील को पार करते ही भयानक तूफ़ान आरम्भ हो गया। जहाज़ हवा के थपेड़े खा-खाकर बारम्बार करवट बदलने की तैयारी करने लगा। ऑस्ट्रियन नाविक घबरा उठे। गेस्लर के चेहरे पर हवाइयाँ उठने लगीं। टेल ने इस सुयोग से लाभ उठाने का विचार किया। उसने कहा कि अगर मुझे छोड़ दो तो मैं जहाज़ की रक्षा कर सकता हूँ। गेस्लर जानता था कि टेल एक होशियार नाविक है। इसलिए वह उसकी बातों में आ गया और उसे मुक्त कर देने की आज्ञा दे दी।

परन्तु मुक्त होते ही टेल पानी में कूद पड़ा और बड़े परिश्रम से तैरता हुआ किनारे पहुँचा। उसे विश्वास था कि नाव डूब जाने पर अगर प्राण बच गया तो गेस्लर भी इसी रास्ते से आएगा। इसलिए वह एक झाड़ी में छिप कर उसकी राह देखने लगा। टेल का अनुमान ठीक निकला। थोड़ी देर के बाद ही अपने कई साथियों के साथ गेस्लर भी बच गया और उसी रास्ते से होकर जाने लगा। उस समय वह क्रोध के मारे पागल सा हो रहा था। और साथियों से कह रहा था कि राजधानी पहुँचने पर सब से पहले बदमाश टेल की ख़बर लूँगा। इसी समय एक तीर सनसनाता हुआ आकर गेस्लर की छाती में लगा और वह वहीं गिर पड़ा। उसके साथी उसे छोड़ कर भाग गए।

गेस्लर की मृत्यु का समाचार सुन कर यूरी और सित प्रदेशों के अधिवासियों ने बड़ी ख़ुशी मनाई। सबने आकर टेल को बधाई दी। आज उनका बड़ा भारी कण्टक दूर हो गया था। टेल को भी अपनी सफलता के लिए प्रसन्नता थी। वह बहुत दिनों से इस शुभ अवसर की तलाश में था। उसने अपने प्रशंसकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा—भाइयो, अभी हमारा केवल एक कण्टक दूर हुआ है। अभी वाल्डेन प्रदेश का ऑस्ट्रियन शासक लैण्डनवर्ग जीवित है। इसलिए हमें निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए।

ख़ैर, लैण्डनवर्ग के लिए किसी को विशेष चिन्ता नहीं करनी पड़ी और जिस तरह टेल ने अकेले ही गेस्लर का काम तमाम कर दिया था, उसी तरह एक दिन अपूर्व कौशल द्वारा ऑरनोल्ड ने लैण्डनवर्ग को भी अपने देश से भगा दिया।

नए वर्ष का शुभ अवसर था। लैण्डनवर्ग गिरजा में जाने की तैयारी कर रहा था। पार्श्ववर्त्ती उत्सव-आनन्द में निमग्न थे। इतने में द्वारपाल ने आकर ख़बर दी कि नए वर्ष के उपलक्ष में श्रीमान को भेंट देने और दर्शन करने के लिए प्रजा-मण्डली द्वार पर खड़ी है। लैण्डनवर्ग ने खिड़की से झाँक कर देखा, बहुत से आदमी मक्खन, अण्डे, पनीर, धान, गेहूँ और माँस लिए हुए दरवाज़े पर खड़े हैं। उसने पार्श्ववर्त्तियों और द्वार-रक्षकों से कहा—"इन्हें समादर-पूर्वक अन्दर ले जाकर बैठाओ। मैं गिरजा से लौट कर इनका उपहार ग्रहण करूँगा।" यह कह कर लैण्डनवर्ग गिरजा चला गया और नागरिक दल उपहार-सामग्री लेकर क़िले के अन्दर गया।

वास्तव में ये सभी ऑरनोल्ड-दल के उत्साही और देशभक्त नवयुवक थे। किसी प्रकार क़िले में घुस जाना ही इनका उद्देश्य था। बस, क़िले के अन्दर पहुँचते ही इन्होंने मक्खन और मांस की टोकरियाँ दूर फेंकीं और तलवार निकाल कर दुर्ग-रक्षकों की ख़बर लेने लगे। थोड़ी देर के बाद ही क़िला इनके अधिकार में आ गया। लैण्डनवर्ग के सारे सिपाही तलवार के घाट उतार दिए गए। इसलिए उपायान्तर न देख कर वह भी जान बचा कर भाग गया और गेस्लर की तरह यह दूसरा कण्टक भी दूर हो गया।

परन्तु लैण्डनवर्ग कोई साधारण आदमी न था। ऑस्ट्रिया आकर वह तुरन्त ही वाल्डेन पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। उसने ऑस्ट्रियन सम्राट की सहायता से बीस हज़ार सैनिक इकट्ठे किए और बड़े समारोह से वाल्डेन पर चढ़ाई कर दी।

इधर टेल, ऑरनोल्ड और स्टेफ़चर आदि भी तैयार थे। उन्हें पहले से ही मालूम था कि लैण्डनवर्ग फिर आएगा। इसीलिए उसके भागते ही उन्होंने भी तैयारी आरम्भ कर दी। परन्तु उनकी सैन्य संख्या तेरह सौ से आगे नहीं पहुँच सकी। इसलिए इन्होंने कौशल से काम लेने का विचार किया और कुछ आगे बढ़ कर एक पहाड़ी के पास मोरचाबन्दी करके खड़े हो गए। इसी पहाड़ी के रास्ते लैण्डनवर्ग की सेना के आने की सम्भावना थी। एक ओर उच्च पर्वत-शिखर और दूसरी ओर गहरी झील थी। इसी सङ्कीर्ण पथ से सेना को आगे बढ़ना था। फलतः ज्योंही लैण्डनवर्ग की सेना घाटी के सङ्कीर्ण पथ से एक-एक करके बढ़ी, स्वीस वीरों ने उन पर हमला कर दिया। हज़ारों सैनिक काम आए और बाक़ी प्राण लेकर भाग खड़े हुए। लैण्डनवर्ग अपना सा मुँह लेकर ऑस्ट्रिया लौट गए और उसी दिन स्वीट्ज़रलैण्ड में स्वाधीनता की नींव पड़ी।

इस असाधारण विजय का ऐसा विचित्र प्रभाव पड़ा कि बाक़ी प्रदेश, जो आज तक पराधीनता की विषम ज़ञ्जीर में आबद्ध थे, वे भी सगबगा उठे। स्वीट्ज़रलैण्ड के सारे प्रदेशों में स्वाधीनता की एक लहर सी फैल गई। देश का बच्चा-बच्चा स्वाधीन होने के लिए तड़फड़ा उठा। जगह-जगह विदेशी शासकों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हो गए। देखते ही देखते सित, यूरी और वाल्डेन की तरह और भी कई प्रदेश स्वतन्त्र होकर राष्ट्र-सङ्घ में आ मिले। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में राष्ट्र-सङ्घ महान बलशाली हो उठा। यहाँ तक कि अन्त में पच्चीस प्रदेशों का एक राष्ट्र-सङ्घ बन गया।

इसके लिए स्वीस वीरों ने रक्त बहाने में ज़रा भी कोताही न की। कई लड़ाइयाँ उन्हें लड़नी पड़ी थीं। इन छोटे-छोटे प्रदेशों का स्वाधीनता-देवी की बलिवेदी पर आत्मोत्सर्ग करने की कहानी बड़ी ही मनोरञ्जक और हृदयग्राही है। इन युद्धों का इतिहास पढ़ने से मालूम होता है कि स्वीसों ने किस कष्ट से अपनी मातृभूमि को शृङ्खल-मुक्त किया था।

स्वीट्ज़रलैण्ड का बर्न प्रदेश फ़्रान्स वालों के अधिकार में था। फ़्रान्सीसी शासक उसे अपनी बपौती समझे बैठा था और प्रजा पर मनमाने अत्याचार कर उसे तबाह कर रहा था। उस समय रुदोल्फ़ नाम का एक वीर पुरुष था। उसने प्रतिज्ञा की कि जिस तरह होगा, देश को विदेशियों के शृङ्खल से मुक्त करूँगा। उसने बड़ी चेष्टा से स्वाधीनता-प्रेमी बर्नवासियों का छोटा सा दल गठित किया और एक दिन एकाएक स्वाधीनता की घोषणा कर दी। यह सुनते ही फ़्रान्सीसियों ने घोर दमन आरम्भ कर दिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने भी इस शुभ-कार्य में उनका हाथ बटाया। बर्न के मुट्ठी भर स्वदेश-प्रेमियों पर एक साथ ही तीन बलवान राष्ट्रों ने चढ़ाई की, परन्तु वीरवर रुदोल्फ़ इससे हतोत्साह नहीं हुए। उन्होंने उनकी चढ़ाई के पहले ही अपनी चढ़ाई कर दी। परन्तु अन्त में उन्हें हार जाना पड़ा। शत्रुओं ने सारे बर्न प्रान्त की भूमि को रक्त-रञ्जित कर दिया। छः सौ वीर स्वदेश-सेवक बन्दी हुए और बहुत से मार डाले गए!

[अगले अङ्क में समाप्त]

* * *

एशिया की जागृति

[इस लेख के सुयोग्य लेखक श्री० वासुदेव बी० मेहता हैं। आपने इस लेख में एशियाई राष्ट्रों के सङ्गठन का क्रम-विकास दिखलाया है। एशियाई सङ्गठन के लिए आज तक कौन-कौन से प्रयत्न हुए हैं और इस वक्त हो रहे हैं, इनका आपने एशियाई कॉन्फ्रेन्सों, पारस्परिक सन्धियों और अनेक प्रकार की संस्थाओं का हवाला देते हुए बहुत ही सुन्दर और रोचक वर्णन किया है। रूस और एशिया के वर्तमान सम्बन्ध पर भी आपने अच्छा प्रकाश डाला है। एशियाई सङ्गठन की प्रगति की जानकारी के लिए यह लेख सहयोगी "बॉम्बे क्रॉनिकल" से उद्धृत किया जाता है।

—सं० "भविष्य"]

जैसा यूरोप को अपनी यूरोपीय एकता का ज्ञान है, वैसा एशिया को अपनी एकता का ज्ञान पहले कभी नहीं था। एशियाई राष्ट्र अपने-अपने निजी ढङ्ग से जीवन बसर करते थे; अपनी-अपनी राष्ट्रीय सभ्यताओं और संस्कृतियों के लिए गौरव अनुभव करते थे, परन्तु वे एक-दूसरे को जानते बहुत कम थे। फिर भी ईसा की सातवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच वे अपने व्यक्तित्व के दायरे से बाहर होने लगे थे और एक प्रकार की सामूहिक एकता का अनुभव करने लगे थे। मुहम्मद के धर्म ने सार्वभौमिक भावना की उत्पत्ति की। प्रसिद्ध मूर-यात्री इब्न बतूता अपने आपको काकेशस, फ़ारस और भारत में वैसा ही घरेलू अनुभव करता था, जैसा कि स्वयं अपनी मातृभूमि मोरक्को में। उस समय हिन्दू और बौद्ध राष्ट्रों में भी एक प्रकार की एकता का भाव निर्मित हो रहा था। जापान इस दल के प्रमुख राष्ट्रों में जापान, चीन और भारत की गणना करता था और इन राष्ट्रों का सामूहिक नाम 'सैन गोकू' रक्खा था।

एशिया में जिस तरह पाश्चात्य एकता का भाव नहीं था, उसी प्रकार एशियाइयों में यूरोपियनों की तरह युद्धों के सम्बन्ध में एशियाईपन का भी भाव नहीं था। यूनान वाले ट्रोजन-विजय को एशिया पर यूरोप की विजय समझते थे। एलेक्ज़ेण्डर यूरोप से पूर्व-विजय की अभिलाषा लेकर एशिया की तरफ़ चला था। परन्तु डेरियस या जरक्सीज़ के मन में यूनान देश पर हमला करते हुए यह बात कभी नहीं उत्पन्न हुई कि वे यूरोप पर हमला कर रहे हैं। फ़ारस वालों ने रोम वालों को युद्ध-क्षेत्र में बार-बार परास्त किया, परन्तु किसी बार भी उनके मन में यह ख़्याल नहीं पैदा हुआ कि वे रोम वालों को परास्त करने में यूरोप वालों को परास्त कर रहे हैं, और न स्पेन वालों तथा यूरोप के पूर्वीय राष्ट्रों को परास्त करते समय अरबों या तुर्कों के ही मन में कभी यह भाव पैदा हुआ कि वे यूरोप पर विजय प्राप्त करने वाले एशियाई विजेता हैं। वे संसार को पूर्व और पश्चिम, दो भागों में विभाजित नहीं समझते थे, बल्कि उसे मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम भागों में विभाजित समझते थे। उनके लिए इङ्गेरियनों, हिन्दुओं, पारसियों या यूनानियों को हराना एक ही बात थी। उनके लिए वे केवल ग़ैर-मुस्लिम थे, यूरोपीय या एशियाई नहीं।

यूरोप के पुनरुज्जीवन-युग के बाद पश्चिम और पूर्व के सम्पर्क से पूर्वीय राष्ट्रों में एशियाईपन का भाव उत्पन्न हुआ था। पुर्तगाल वालों को छोड़ कर, पूर्व पर विजय पाने वाले पश्चिमीय विजेताओं ने इस विषय पर धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं विचार किया, वे इस विषय पर सभ्यता, भेद और रङ्ग-भेद की दृष्टि से विचार किया करते थे। उनकी दृष्टि में, जो गौराङ्ग न था और जिसके विचार यूरोपीय सभ्यता के ढङ्ग के न थे, वह उनसे नीच था और उसके साथ उनका व्यवहार भी वैसा ही रहा करता था। परन्तु इस व्यवहार का अनुभव प्रत्येक एशियाई राष्ट्र अलग-अलग करता था। इस विषय में कोई किसी से सहानुभूति नहीं दिखलाता था। पश्चिम के लेखक एशिया को सदैव एक भूखण्ड मानते आए हैं। परन्तु एशिया को एक भूखण्ड मानने वाला सब से पहला एशियाई व्यक्ति, जहाँ तक मुझे मालूम है, प्रसिद्ध जापानी लेखक और कलाविद काकुज़ो ओका-

क्षत्राणी

[कुमारी प्रभातेश्वरी देवी]

इन लाड़िली लटों से होगा अब लपटों का आविर्भाव ;
और मदिर इस मुस्काहट से प्रगटेंगे मिटने के भाव !
आँखों में मत प्यार तलाशो ये बरसावेंगी अङ्गार ;
आज उँगलियाँ गूँथेंगी अलबेले मृत्यु-कुसुम के हार !

चली आज सुलझाने मैं जीवन की विकट पहेली !
मेरे इस उत्सर्ग-मार्ग की होगी कौन सहेली ?

* * *

कुरा था। उसकी पुस्तक "पूर्व के आदर्श" में, जोकि इस सदी के प्रारम्भ में प्रकाशित हुई थी, इस प्रकार लिखा हुआ है :—

"एशिया एक है। हिमालय पर्वत एशिया की दो महान सभ्यताओं को अलग करके उन्हें अधिक स्पष्ट करके दिखलाने में सहायक है। एक ओर कनफ़्यूशियस की कम्यूनिज़्म वाली चीनी सभ्यता है और दूसरी ओर वेदों की व्यक्तिवाद वाली भारतीय सभ्यता है। उच्च हिमालय पर्वत एशिया की विश्व-भावना या उसके विश्व-प्रेम की व्यापकता में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करता। विश्व-भावना और विश्व-प्रेम प्रत्येक एशियाई जाति का परम्परा से प्राप्त मौलिक गुण है। इसी गुण ने एशिया को संसार के सभी महान धर्मों के उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान की है। इसी गुण के कारण एशिया वालों और भूमध्य-सागर तथा बाल्टिक सागर के समुद्री-जीवन व्यतीत करने वालों में भेद है। वे लोग साधनों की खोज में निमग्न रहते हैं, परन्तु जीवन के लक्ष्य की खोज नहीं करते। एशियाई जातियाँ परस्पर एक विशाल जाल में गुँथी हुई हैं। अरबों के शौर्य, फ़ारस वालों की कविता, चीन की नीतिमत्ता और भारतवासियों की विचारशीलता, सबसे एक ही प्रकार की एशियाई शान्ति की ध्वनि निकलती है। एशियाइयों की जीवन-प्रणाली मूल में समान है, भौगोलिक भेदों के कारण चाहे भिन्न-भिन्न एशियाई राष्ट्र की जीवन-प्रणाली में उसके स्वरूप का भेद भले ही हो। परन्तु उनके अनेक स्वरूपों में कोई मज़बूत विभाजक रेखा न दिखलाई पड़ेगी।"

श्री० ओकाकुरा की पुस्तक का उपरोक्त अंश एशिया भर में प्रचलित हो गया है। एशियाई राष्ट्रों के सङ्गठन के विकास में उपरोक्त विचारों का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है।

रूस और जापान का युद्ध

श्री० ओकाकुरा की पुस्तक प्रकाशित होने के तीन साल बाद रूस और जापान का युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में जापान की विजय पर सम्पूर्ण एशियाई राष्ट्रों ने हर्ष मनाया था। उन्होंने उस विजय को पश्चिम पर पूर्व की विजय समझी थी। इस प्रकार उस युद्ध से एशियाई सङ्गठन का भाव उत्पन्न हो गया। उस युद्ध के समाप्त होते ही एशियाई राष्ट्र-नायक जापान की ही तरह अपने-अपने देशों को भी आधुनिक साधनों से सम्पन्न कर देने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा कि पश्चिमीय राष्ट्रों से सम्मानपूर्ण व्यवहार पाने का यह एक आवश्यक उपाय है। परिणाम-स्वरूप फ़ारस, टर्की और चीन में वैध प्रकार की शासन-प्रणाली प्रचलित करने के लिए क्रान्तियाँ हुईं।

जापान अपने आपको एशिया का नेता समझने लगा। उसने भिन्न-भिन्न प्रकार के मङ्गोलियन जाति के लोगों को एक सूत्र में सङ्गठित करने के लिए एक भाषा सम्बन्धी समाज की रचना की। इसी प्रकार उसने हिन्दुस्तान और जापान के लोगों में मैत्री भाव बढ़ाने के लिए एक "इण्डो जापानीज़ एसोसिएशन" (भारत-जापान सभा) तथा समस्त एशियाई राष्ट्रों में पारस्परिक सम्बन्ध का भाव पैदा करने के लिए "एशियाटिक एसोसिएशन" नाम की संस्थाओं को जन्म दिया।

"एशिया एशियाइयों के लिए है," इस सिद्धान्त के प्रचार करने के लिए उसने भिन्न-भिन्न एशियाई देशों में अध्यापक और पत्रकार भेजे। उसके विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले चीनी, हिन्दुस्तानी, श्यामी तथा अन्य पूर्व देशीय विद्यार्थियों को भी इसी आदर्श की शिक्षा दी जाती थी। एशियाई सङ्गठन के आन्दोलन का यह प्रारम्भिक अध्याय था।

द्वितीय अध्याय

प्रथम अध्याय यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के समय समाप्त हो जाता है। उस युद्ध के समय, एशियाई राष्ट्र अपने पारस्परिक सम्बन्ध की बात भूलते हुए नज़र आने लगे, क्योंकि अरब और हिन्दुस्तान वाले ब्रिटेन के साथ होकर तुर्कों के विरुद्ध लड़े। परन्तु युद्ध समाप्त हो जाते ही एशियाई सङ्गठन के आन्दोलन का द्वितीय अध्याय प्रारम्भ हो गया। जापानियों ने वर्सेल-सन्धि कॉन्फ़्रेन्स में प्रत्येक जाति की बराबरी का एक प्रस्ताव उपस्थित किया था, परन्तु वह पास नहीं हुआ। यूनान वालों से धमकाए जाने पर टर्की ने अपनी

स्वाधीनता की रक्षा के लिए यूनान वालों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसके प्रति समस्त एशियाई राष्ट्रों ने सहानुभूति प्रकट की। सन् १९२१ की ऐङ्ग्लो अफ़ग़ान सन्धि के अनुसार अफ़ग़ानिस्तान को जो स्वाधीनता प्राप्त हुई, उसके प्रति सुएज़ नहर के पूर्व के समस्त देशों ने ख़ुशी मनाई। इसी प्रकार फ़ारस का नेतृत्व रिज़ा ख़ाँ सरीखे सुदृढ़ व्यक्ति के हाथों में चले जाने पर भी एशियाइयों में उत्साह प्रकट हुआ था। स्वतन्त्र होने के लिए मिश्र और मोरक्को के अब्दुल करीम के युद्धों, भारत के असहयोग-आन्दोलन और दक्षिण अफ़्रिका की जातीय बराबरी के अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई की ओर समस्त एशिया-निवासियों का ध्यान लगा हुआ था।

सन्धियाँ

धीरे-धीरे पूर्वीय देशों में परस्पर सन्धियाँ भी होने लगीं। सन् १९२१ में टर्की और अफ़ग़ानिस्तान की सन्धि हुई, जिसमें अन्य शर्तों के साथ एशियाई राष्ट्रों की स्वाधीनता के लिए लड़ने की भी शर्त स्वीकृत हुई थी। बाद में टर्की और फ़ारस, टर्की और यमान, फ़ारस और अफ़ग़ानिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और चीन के बीच भी सन्धियाँ हुईं। सन् १९२६ में अङ्गोरा में टर्की के वैदेशिक मन्त्री, अफ़ग़ानिस्तान के राजदूत, फ़ारस के वैदेशिक मन्त्री और वाशिङ्गटन में रहने वाले चीनी राजदूत की एक सभा हुई। उस सभा में पूर्वीय देशों के राष्ट्र-सङ्घ बनाने की बात पर विचार हुआ। जापान और टर्की में पहले-पहल एक-दूसरे के राजदूत रहने लगे। जापान ने मिश्र और फ़ारस से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। सन् १९२६ में जापान-सरकार ने टर्की के क़ुस्तुन्तुनिया में एक व्यापारिक प्रदर्शिनी की और टर्की सरकार से, अनाटोलिया में जापान उपनिवेश क़ायम करने के सम्बन्ध में बातचीत की। जापान-सरकार ने शान्टुङ्ग ख़ाली करने के बाद जापानी पार्लामेण्ट में चीन में कला-कौशल सिखलाने के स्कूल क़ायम करने का एक प्रस्ताव पास किया। साथ ही जापान के प्रोफ़ेसरों को चीन में और चीन के प्रोफ़ेसरों को जापान में भेजने की प्रथा भी शुरू की गई। जापान ने श्याम में एक डेपूटेशन भेज कर उससे व्यापारिक सन्धि कर ली।

एशियाई राष्ट्रों का सङ्घ

पेकिङ्ग में एशियाई राष्ट्रों का सङ्घ क़ायम हो चुका है। अब तक उसके दो एशियाई अधिवेशन हो चुके हैं। पहला अधिवेशन सन् १९२६ में नागासाकी में और दूसरा उसके बाद शङ्घाई में हुआ था। इन अधिवेशनों में इस्लाम, बौद्ध तथा भारत देश के प्रतिनिधि भेजे गए थे। इस्लामी देशों तथा बौद्ध धर्मों के भी अधिवेशन हो चुके हैं। एशियाई मज़दूर कॉन्फ़्रेंस शीघ्र ही होने वाली है। इस प्रकार पूर्वीय देशों की जातियाँ, उनके मज़दूर और उनके धर्म एक-दूसरे से निकट होते जा रहे हैं।

एशियाई सङ्गठन का आन्दोलन केवल राजनीतिक और आर्थिक आदर्शों से प्रेरित होकर नहीं चलाया गया, वरन् संस्कृतियों के आदर्शों से भी प्रेरित होकर चलाया गया है। पश्चिमीय सभ्यता की तड़क-भड़क और उसकी नवीन विधि ने पूर्वीय देश वालों को ऐसा चकाचौंध कर दिया कि वे अपनी-अपनी सभ्यताओं को क़रीब-क़रीब हर मामले में घृणा की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने पश्चिमीय विज्ञान और औद्योगिक उपायों की नक़ल तो की ही, साथ ही पश्चिमीय चाल-चलन, रीति-नीति, कला, साहित्य और दर्शन की भी नक़ल की। अब रवीन्द्रनाथ ठाकुर सरीखे बहुत से प्रसिद्ध पूर्वीय देश वालों ने पश्चिमीय सभ्यता की टीका करने के साथ-साथ अपनी पूर्वीय सभ्यताओं के महत्वों को दिखलाना प्रारम्भ कर दिया है। इन लोगों का विचार है कि पश्चिम वालों के हस्तक्षेप से अपनी रक्षा करने के लिए पूर्व को, पश्चिमीय विज्ञान और आधुनिक औद्योगिक उपायों को तो ग्रहण कर लेना चाहिए, परन्तु पश्चिमी चाल-चलन, रीति-नीति, कला या दर्शन का अनुकरण न करना चाहिए।

धार्मिक बन्धन

एशियाइयों के धार्मिक बन्धन, जो कि कुछ हद तक पहले एक-दूसरे के सङ्गठन में बाधक थे, अब ढीले होते जा रहे हैं। टर्की ने ख़लीफ़ा और शेख़-उल-इस्लाम के पद को हटा कर और क़ुरान के क़ानून की जगह प्रचलित सिविल क़ानून जारी करके मुस्लिम-संसार को यह बात दिखला दी है कि धर्म के वाह्य स्वरूपों और चिह्नों का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार एशिया के सभी धर्म अपने मूल आधारों को व्यापक बनाते जा रहे हैं। बीस साल पहले किसी मुसलमान का हिन्दू-मन्दिर में प्रवेश करना असम्भव था। परन्तु इधर पिछले दस वर्षों में हिन्दुओं ने उन्हें ऐसा करने के लिए अक्सर निमन्त्रित किया है। मिश्र में काप्ट और मुसलमान राष्ट्रीय कार्यों के लिए परस्पर मिल गए हैं।

....के प्रति—

[श्री० सत्यव्रत जी शर्मा 'सुजन']

टपक पड़ें जब अन्तरिक्ष से,
मुरझा कर मृदु तारक-फूल !
हो तुषार सी रवि-किरणें,
जाएँ जब तिमिर-जाल में भूल !!
रुके विश्व-गति अनियन्त्रित हो,
जल का सूझे ओर न छोर !
पागल सी चल पड़े भूमती,
मुँह बाए जब प्रलय-हिलोर !!

❋

धीरे से तब आ प्रियतम !
तुम मेरी बाँह पकड़ लेना !
खेकर नाथ ! तनिक सी मेरी,
नैया पार लगा देना !!

❋ ❋ ❋

फ़ारस में ईसाई, यहूदी, पारसी और बहाई लोगों के साथ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सहिष्णुता का बर्ताव किया जाता है।

दो प्रभाव

एशियाई सङ्गठन के आन्दोलन को बढ़ाने में दो प्रकार के प्रभावों ने सहायता की है। बोल्शेविक रूस और भारतीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर। बोल्शेविक रूस के नेता रूस को वास्तव में एक एशियाई देश समझते हैं। उनका विचार है कि रूस के बादशाह पिटर दि ग्रेट ने रूस पर यूरोपीय सभ्यता का बोझ लाद कर बड़ी भारी ग़लती की थी। अत्यन्त दूरदर्शी बोल्शेविक नेता लेनिन ने सन् १९१९ में मास्को में वैदेशिक मामलों के लिए कमसरियट का एक एशियाई-विभाग क़ायम किया था। उसी साल मध्य एशिया के इस्लामी देशों के सङ्गठन के उद्देश्य से ताशकन्द में तुर्की कम्यूनिस्टों की संरक्षता में एक कॉन्फ़्रेंस हुई थी। उसके अगले वर्ष उसी उद्देश्य से एक दूसरी कॉन्फ़्रेन्स समरकन्द में की गई, जिसमें इस्लामी जगत के सब भागों से प्रतिनिधि आए थे। इस कॉन्फ़्रेन्स ने पूर्वीय देशों को स्वतन्त्र करने वाले एक यूनियन अर्थात् सङ्घ की रचना की। यह यूनियन तब से बराबर पूर्वीय देशों में यूरोपियन विरोधी आन्दोलनों की सहायता करता रहा है। उसी साल बाकू में प्रसिद्ध एशियाई कॉन्फ़्रेन्स हुई, जिसमें ३७ देशों के दो हज़ार प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कॉन्फ़्रेन्स ने कार्य और प्रचार के लिए एक सोविएट अर्थात कौन्सिल की स्थापना की। इस कौन्सिल के प्रचार-विभाग की ओर से "दि पीपुल ऑफ़ दि ईस्ट" नाम का एक समाचार-पत्र निकलता है, जिसमें एशियाई सङ्गठन के पक्ष में और यूरोपियनों के विपक्ष में लेख निकलते हैं। सन् १९२३ में एक फ़ौजी स्कूल और उसके अगले साल ताशकन्द में केन्द्रीय एशियाई विश्वविद्यालय खोला गया, जहाँ रूस के प्रोफ़ेसर एशियाई भाषाओं में एशियाई सङ्गठन पर भाषण देते हैं। रूस, साइबेरिया में ओमस्क स्थान के निकट एक नई राजधानी बनाने के विचार में है, जिससे रूस को पूर्वीय देशों के कार्य करने में सुविधा हो।

बोलशेविज़्म और एशिया

यद्यपि जब तब एशियाई राष्ट्रों में साधारण झगड़े हो जाते हैं, परन्तु यह बात माननी पड़ेगी कि एशियाई राष्ट्र बोलशेविक रूस को पसन्द करते हैं। वे बोलशेविक रूस को उसके बोलशेवी आदर्शों के कारण नहीं पसन्द करते, बल्कि इसलिए पसन्द करते हैं कि वह उनके साथ समानता का व्यवहार करता है और उन्हें स्वतन्त्र होने में या आधुनिक प्रकार का राष्ट्र बनने में उनकी सहायता करता है। उसने टर्की को यूनान के विरुद्ध लड़ने में धन और शस्त्रों से सहायता दी थी। उसने चीन और फ़ारस में, विदेशियों के लिए जो कुछ अतिरिक्त अधिकार संरक्षित हैं, उनका त्याग कर दिया है और चीन, जापान, अफ़ग़ानिस्तान और फ़ारस के साथ मैत्री और व्यापार की सन्धि जोड़ ली है। रूस के अनेक कला-विशारद एशिया के भिन्न-भिन्न मुल्कों में नियुक्त किए गए हैं। सनयातसेन चीन, जापान और रूस की मैत्री देखने के लिए बड़े उत्सुक थे। एशिया के निवासी रवीन्द्रनाथ ठाकुर को केवल भारत का ही कवि नहीं, वरन् समस्त एशिया का कवि मानते हैं। यही कारण है कि जापान, चीन, टर्की और श्याम देश की सरकारें आपको अपने-अपने देशों में सरकारी मेहमान की हैसियत से आमन्त्रित कर चुकी हैं। बोलपुर का आपका विश्वभारती विश्वविद्यालय समस्त एशियाई विद्यार्थियों का मिलन-स्थल बन गया है। हैदराबाद के निज़ाम ने इस्लाम धर्म की शिक्षा के लिए विश्वभारती में एक अध्यापक रखने का व्यय स्वीकार किया है और मिश्र देश के बादशाह ने इस संस्था को एक बहुत ही सुन्दर पुस्तकालय समर्पित किया है। आजकल एशियाई राष्ट्र एक दूसरे को संस्कृति का अध्ययन पहले से कहीं ज़्यादा करते हैं। तीस वर्ष पहले ऐसा तुर्क, जो चीनी-कला या साहित्य के विषय में कुछ जानता हो; ऐसा भारतीय, जिसने कनफ़्यूसियस या मेनसियस के विषय में कुछ पढ़ा हो; ऐसा जापानी, जो फ़ारसी या अरबी कविता से परिचित हो, मिलना मुश्किल था। परन्तु आज पूर्वीय देशों में ऐसे बहुत से लोग मिल सकते हैं। भिन्न-भिन्न एशियाई सभ्यताओं का एक-दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज इस विषय में चारो ओर अनुसन्धान हो रहे हैं। चीनी सभ्यता का फ़ारस और भारत पर क्या असर पड़ा है, भारतीय सभ्यता का अरब और जापान की सभ्यताओं पर क्या असर पड़ा है और अरब की सभ्यता का चीनी सभ्यता पर क्या असर पड़ा है, अब इन विषयों की चर्चा प्रायः हुआ करती है।

❋ ❋ ❋

[सम्पादक—कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

कृपाण

[श्री० रामसहाय जी पाण्डेय 'चन्द्र']

म्यान से निकल कर प्रलय मचाती घोर,
काँपती धरा है झँप जाता आसमान है।
नृत्य करती है मृत्यु बन समराङ्गण में,
क्षण में बहाती रक्त-सरिता महान है।
कड़क बिना ही तड़िता-सी है तड़क जाती,
आती नहीं तो भी इसे रञ्चक थकान है।
कन्दुक-से फेंकती उछाल वैरियों के मुण्ड,
ऐरे वीर ! तेरी यह विकट कृपान है।
शङ्कर के भाल में गुलाल भक्त ने है मला,
लाल बाल-'चन्द्र' का इसी से होता भान है।
प्रकृति प्रिया ने याकि ऊषा की अरुणिमा से,
माँग है सँवारी दिव्य वही द्युतिमान है।
किंवा धूम्रकेतु युद्ध-वेश से सुसज्जित है,
तन पर गैरिक वसन परिधान है।
शोणित से सनी तनी भृकुटी है काली की कि,
किसी शूरमा की रक्त-रञ्जित कृपान है।

❀ ❀ ❀

"भविष्य"

[श्री० मधुसूदनप्रसाद जी मिश्र 'मधुर']

अरे जीवन के काले पृष्ठ !
नील नभ-से अनन्त, अज्ञात !
खोल काली पुतली को आज
हमें पढ़ना है मन की बात !

❀

किन्तु, यह क्षुद्र हमारी आँख
उसे पढ़ने में है असमर्थ।
नहीं कुछ खुलता छिपा रहस्य,
बीत जाता यह जीवन व्यर्थ।

❀

अरे ओ नील-जलधि गम्भीर !
तुम्हारी पाई किसने थाह ?
भरे हैं तुममें रत्न अनेक,
और भीषण बाड़व का दाह।

❀

अरे छलिया ! ओ मोहन कृष्ण !
छेर आशा की सुमधुर तान,
गोपियों * से करवा दी आज,
निराशा के वन में प्रस्थान।

❀

अरे ओ कवि के अस्फुट भाव !
चितेरे के धुँधले-से चित्र !
बता दो, लघु जीवन में व्यस्त
तुम्हें मैं देखूँगा क्या मित्र ?

* मानव-बुद्धि से तात्पर्य है।

❀ ❀ ❀

खोज

[श्री० श्यामनारायण जी पाण्डेय, 'श्याम' साहित्य-रत्न]

मानस के बीच कुछ भी न चलता है पता,
झलक दिखा के कब आते चले जाते हैं !
अपनी दिखाते छवि शशि की कला में हमें,
फिर क्यों दिखा के छवि आप छिप जाते हैं !!
"श्याम" लौ लगा के हम रात-दिन पूजा करें,
हाय ! हाय ! तो भी हमें आप भरमाते हैं !
देखिए, किसी को दुख दे जो कलपाते सदा,
भूतल के बीच कभी वे न कल पाते हैं !!

❀ ❀ ❀

आह्वान

[श्री० श्रीनिधि जी द्विवेदी]

अहे ! द्रुतगति जीवन की कहाँ ?
हो रहा पल-पल कल्प समान।
द्रवित हो आओ, आओ देवि !
तुम्हारा करता हूँ आह्वान !!
निराशाकुल हूँ आश्रयहीन,
दुखित, निष्फल-प्रयत्न हर बार।
नहीं प्रिय लगता है अब प्राण !
खिन्न सूना सा यह संसार॥
भिखारी बन के आया आज,
हाथ फैला कर तेरे द्वार !
मुझे दो भिक्षा आश्रय-रत्न,
निवेदन कर मेरा स्वीकार !!
सुनाऊँ क्या बदले में गीत ?
यही रोदन है मेरे पास।
सुनाऊँ रो-रोकर क्या तुम्हें,
करुण या अकरुण वह इतिहास॥
करोगी क्या तुम सुन कर आह,
एक पागल का व्यर्थ प्रलाप ?
अरस, अति अस्फुट, अर्थविहीन,
समझता जिसको अपने आप॥
सुनाने से होगा सन्ताप,
जलेगी उर में ज्वाल अपार।
न कर पाऊँगा जिसको शान्त,
आँसुओं की करके बौछार॥
तरल तरणी सी होकर करो—
क्षुद्र जीवन-सरिता के पार !
नहीं है जहाँ क्षुद्र-अवसाद,
निराशा का यह प्रबल-प्रसार॥
वहीं खोऊँगा सारी श्रान्ति,
वहीं पाऊँगा सुख विश्राम।
बैठ गाऊँगा सुन्दर गीत,
मधुर ले-लेकर उनका नाम॥

❀ ❀ ❀

भारत-गान

[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

मातृभूमि तेरी बलिहारी,
तू है हमें स्वर्ग से प्यारी !
सब देशों को राह दिखा कर,
उनको विद्या सकल सिखा कर,
किए परिष्कृत जग-नर-नारी,
मातृभूमि तेरी बलिहारी !
तुझमें जग से बढ़ कर बल था,
नहीं तनिक भी तुझमें छल था,
रही सदा जग मन-मल-हारी,
मातृभूमि तेरी बलिहारी !
आत्म-शक्ति फिर से धारण कर,
अपनी सब विपत्ति-वारण कर,
हो स्वतन्त्र, हो जग-हितकारी,
मातृभूमि तेरी बलिहारी !
अपना दया-दान दिखला कर,
पावनता-प्रमान दिखला कर,
बन जग की आँखों की तारी,
मातृभूमि तेरी बलिहारी !

❀ ❀ ❀

याचना

[कुमारी गायत्री देवी 'बिन्दु']

जगत-पिता जग जीवन बल दो,
हम न मृत्यु से कभी डरें !
रण में सदा रहें हम आगे,
पैर न पाछे कभी धरें !!
सदा विपद में शान्त-चित्त हो,
दुःख-द्वन्द में धैर्य धरें !
प्राणदान देकर भी हम सब,
जननी का दुख दूर करें !!
शिथिल नाड़ियों में फिर अपने,
पूर्व रक्त सञ्चार करें !
विपद-ग्रस्त इस जन्म-भूमि का,
सब मिल कर उद्धार करें !!
हँसते-हँसते हम सब कारा—
गृह को भी प्रस्थान करें !
निज स्वदेश-हित जीवन का भी,
हम अपने बलिदान करें !!
हम सबको हरि विविध सुमन का
गूँथा एक ही हार करें !!
हम भारत-माता के चरणों,
में अर्पित वह हार करें !
मङ्गलमय भगवान एकता—
का हममें सञ्चार करें !
होकर तब स्वर एक सभी,
भारत का जय-जयकार करें !!

❀ ❀ ❀

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

शाही मज़दूर-कमीशन के सदस्य

माननीय श्री० वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री

माननीय मि० जे० एच० ह्विटले (सभापति)

सर इब्राहीम रहमतुल्ला (नाईट) के० सी० एस० आई०; सी० आई० ई०

मि० ए० डिब्बी (संयुक्त मन्त्री)

श्री० कबीरुद्दीन अहमद, एम० एल० ए०

लेफ़्टिनेण्ट-कर्नल ए० जे० एच० रसल; सी० बी० ई०; आई० एम० एस० (चिकित्सा-सम्बन्धी सलाहकार)

श्री० घनश्यामदास जी बिड़ला, एम० एल० ए० (प्रधान, भारतीय उद्योग तथा व्यापार-सङ्घ)

श्रीमती होमाय एफ़० जे० कड़ाका (कराची की नामज़द सदस्या)

श्री० एन० एम० जोशी; एम० एल० ए० (भारतीय मज़दूर-सङ्घ के सुप्रसिद्ध नेता)

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

शाही मज़दूर-कमीशन के सदस्य

श्री० एस० लाल ; आई० सी० एस०; (संयुक्त मन्त्री)

मिस बी० एम० ले पोयर पावर (इङ्गलैण्ड के व्यापार बोर्ड की डिपुटी चीफ़ इन्स्पेक्ट्रेस)

दीवान चम्मनलाल, एम० एल० ए० (भारतीय मज़दूर-सङ्घ के सुप्रसिद्ध नेता और भारतीय मज़दूर काँङ्ग्रेस के प्रधान)

सर ऐलेक्ज़ेण्डर मरे (नाईट) सी० बी० ई०

मि० जॉन क्लिफ़ (इङ्गलैण्ड की रेलवे और ट्रान्सपोर्ट वर्कर यूनियन के एसिस्टेण्ट जनरल सेक्रेटरी)

मि० ए० जी० क्लो; सी० आई० ई० आई० सी० एस०

श्रीमती माई हरदेवी बाई (कराची की नामज़द सदस्या)

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

मारवाड़ की सैर

मारवाड़ का लोहाना बनिया [गाँवों से माल लाने वाले]

मारवाड़ की गाय, जो बहुत प्रसिद्ध हैं

मारवाड़ी वैश्य का पहिनाव

पुराने ज़िरह-बख़्तर पहने हुआ योद्धा

कछवाहा वंश का एक राजपूत

मारवाड़ का नाजर (हिन्दू-नपुंसक)

[ये प्रायः रईसों के यहाँ रानियों की सेवा में रहते हैं]

मारवाड़ का एक देशी-मुसलमान

मारवाड़ की मेर जाति का एक पुरुष

[जिनके नाम से अजमेर का ज़िला मेरवाड़ा प्रसिद्ध हुआ]

यदि अवसर दिया जाय तो स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ?

"अमृतधारा" के आविष्कारक पं० ठाकुरदत्त जी शर्मा (लाहौर) की धर्मपत्नी—श्रीमती पूर्णदेवी—जो सामाजिक सुधार-कार्य में विशेष भाग लेती हैं।

संयुक्त प्रान्तीय अग्रवाल वैश्यों की आदर्श महिला-रत्न—स्वर्गीया श्रीमती गायत्रीदेवी जी—जिन्होंने अपने समाज में सब से पहिले पर्दे की नाशकारी कुप्रथा के मस्तक पर पाद-प्रहार किया था।

अनेक अङ्गरेज़ी पुस्तकों की लेखिका तथा बम्बई के सुप्रसिद्ध एलेक्ज़ेण्डरा हाईस्कूल की प्रिन्सिपल—कुमारी जी० आई० बहादुरजी, एम० ए०

ट्रावङ्कोर राज्य के बालिका-विद्यालयों की निरीक्षिका (Inspectress of Girls' School)—कुमारी एम० आई० रोज़मियर, बी० ए०; एल० टी०।

लन्दन की सुप्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्त्री—कुमारी लोरा चैम्बरलेन—जिन्होंने संसार में स्त्रियों के लिए मताधिकार प्राप्त करने की चेष्टा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है।

बम्बई के सुप्रसिद्ध नर्म-दल के नेता सर चिम्मनलाल सीतलवाद की पुत्र-वधू—श्रीमती विमला सीतलवाद—आप गुजराती भाषा की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, 'गुलामगीरी नो गजब' और 'बाल-विज्ञान' आपकी अमर-रचनाएँ हैं, आप ख़ूब विदेश भ्रमण भी कर चुकी हैं।

सुविख्यात आयरिश राजनीतिज्ञ चार्ल्स स्टुअर्ट पोर्नेल की २७ वर्षीय प्रपौत्री—कुमारी नेन्सी स्टुअर्ट पोर्नेल, बी० ए०—जिन्होंने मि०। बाल्डविन (भू० पू० प्रधान सचिव) को इङ्गलैण्ड की २१ वर्षीय ६ महिलाओं को मताधिकार देने के लिए बाध्य किया था। आप पिछले १० वर्षों से देश-सेवा में संलग्न हैं।

[विगत सप्ताह स्थानीय रेलवे इन्स्टीट्यूट की ओर से उर्दू कवियों का एक वृहत मशायरा (कवि-सम्मेलन) हुआ था, जिसमें इस स्तम्भ के सम्पादक कविवर 'बिस्मिल' भी गए थे। आपकी सरस एवं मधुर कविताओं की वहाँ बड़ी प्रशंसा हुई। आपने 'भविष्य' के पाठकों के मनोरञ्जनार्थ जो संग्रह हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजा है, वह वास्तव में बड़ा ही मनोरञ्जक है। आशा है 'भविष्य' के उर्दू-कविता-प्रेमी पाठक इसे पसन्द करेंगे।

—सं० 'भविष्य']

कभी वह इस तरफ़ आए, कभी हम उस तरफ़ पहुँचे, बढ़ीं वक़्तन फ़वक़्तन, इस तरह पेंगें मुहब्बत की।
मुहब्बत का असर दिल पर न हो, यह हो नहीं सकता, किसी दिन आपको भी आरज़ू होगी मुहब्बत की॥

किसी के सामने हालाते अहले[1] दर्द कहता हूँ,
नई सूरत निकाली मैंने इज़हारे[2] मुहब्बत की।

—"बक़ा" इलाहाबादी

न हूरों की तमन्ना[3] है, न ख़्वाहिश बाग़े जन्नत की,
तुम्हारा घर हो, तुम हो, मैं हूँ, बातें हों मुहब्बत की।
फ़लक[4] का नाम क्यों लें, किसलिए तक़दीर को रोएँ,
यह नादानी हमारी है जो ज़ालिम से मुहब्बत की।
न वह आता है मेरे घर, न बुलवाता है अपने घर,
मिटाई जा रही हैं इस तरह रस्में मुहब्बत की।

—"शाकिर" बरेलवी

वह जब आए अयादत[5] को मरीज़े शामे फ़ुर्क़त[6] की,
इशारों ही इशारों में हुईं बातें मुहब्बत की।
दिखाऊँ मैं भी ऐसे में रवानी कुछ तबीयत की,
वह उट्ठीं पेचोख़म[7] खाती हुईं लहरें मुहब्बत की।
अधूरी रह गई तस्वीर खिंच कर जोशे वहशत की,
हुईं यों ख़त्म मीयादें असीराने[8] मुहब्बत की।
यह सन्नाटा हवा का, यह थपेड़ा मौजे तूफ़ाँ का,
नहीं मालूम अब जाए किधर कश्ती मुहब्बत की।

—"अज़ीज़" सलोनी

हर आँसू तर्जुमानी[9] कर गया जज़्बाते[10] उलफ़त की,
निगाहे शौक़ ने तशरीह[11] असरारे[12] मुहब्बत की।
सज़ा दीजे अगर कोई सज़ा है, जुर्में उलफ़त की,
मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने मुहब्बत की, मुहब्बत की।

—"अञ्जुम" साहब

मुझे फिर आ रही है याद लज़्ज़त दर्दे उलफ़त की,
बिना फिर डालता हूँ आज तजदीदे[13] मुहब्बत की।
बजा है तूने बेशक नासहे[14] मुशफ़िक़ नसीहत की,
मगर जब चैन भी दे बेकली दर्दे मुहब्बत की।
जहाने हुस्न का एक-एक ज़र्रा इनका दुश्मन है,
यह क़द्र अब रह गई अल्लाह, दुनियाए मुहब्बत की!

जो फ़ुरसत हो तो आ जाओ, मरीज़े ग़म की बालींपर[15],
जो दिल चाहे तो सुन लो दास्ताँ दर्दे मुहब्बत की।
ख़ुदा के वास्ते गर्दिश न दो इन शोख़[16] नज़रों को,
कि बुनियादें हिली जाती हैं दुनियाए मुहब्बत की।

—"रयाज़" ग्वालियारी

१—दुखी, २—प्रकट करना, ३—इच्छा, ४—आकाश, ५—देख-भाल करना, ६—बिरह की रात, ७—बल खा कर, ८—क़ैदी, ९—बयान करना, १०—प्रेम के भाव, ११—भावार्थ, १२—भेद, १३—नए सिरे से, १४—कृपा-निधान, नसीहत करने वाले, १५—सिरहाना, १६—चञ्चल,

उठाए ग़म हज़ारों सख़्तियाँ झेलीं क़यामत की,
बड़ी मुश्किल से दुनिया हाथ आई है मुहब्बत की!

—"शातिर" इलाहाबादी

मआज़[17] अल्लाह, मरना और वह भी नौजवानी का,
मेरा मातम करेगी हश्र[18] तक दुनिया मुहब्बत की।
सुना है तूर[19] पर फिर दावते-[20] जलवानुमाई है,
नज़र आती नहीं अब ख़ैर दुनियाए मुहब्बत की।
मेरी तशहीरे[21] मय्यत[22] भी निराली शान रखती है,
लिए फिरती है अपनी गोद में मौजें मुहब्बत की।

—"तौबा" सय्यद सरावानी

ख़ुशी की भी जहाँ, रञ्जो अलम को ख़ास निस्बत भी,
वह दुनिया ही नहीं है, एक मजबूरे मुहब्बत की।
फ़ुग़ाने आहो फ़रियादो बुका पर मुनहसिर क्या है,
ख़मोशी में भी हो जाती है रुसवाई मुहब्बत की!

[नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

यह तजरुबा ग़लत है, कि महफ़ूज़[1] रेल है,
सैलाबे[2] ग़म का जोश है, अश्कों[3] का खेल है।
तूफ़ान के असर से बचा कौन सा मुक़ाम,
ऐ "नूह" रेलवे में भी "तूफ़ान मेल" है।

१—हिफ़ाज़त से, २—बाढ़, ३—आँसू।

न निकले कुछ न तो जज़्बाते गिरिया[23] से तो क्या हासिल
छुपाए से कहीं छुप जायगी सूरत मुहब्बत की!
मेरी बरबादियों पर भी मुबारकबाद ही देना,
क़सम है देखने वाले तुझे पासे[24] मुहब्बत की।

—"हादी" मछलीशहरी

वह क्या इस क़ालिबे[25] हस्ती में कोई रूह फूँकेगा,
कि ख़ुद नबज़ें छुटी जाती हैं बीमारे मुहब्बत की।
अदाए शोख़ में पिनहाँ[26] है शरहे रमूज़े[27] बेताबी,
फ़रोग़े[28] हुस्न में तफ़सीर[29] है नूरे मुहब्बत की।

१७—हे ईश्वर, १८—प्रलय, १९—पहाड़ का नाम है, २०—ज्योति दिखाना, २१—शुहरत, २२—जनाज़ा, २३—रोते को रोकना, २४—ध्यान, २५—बदन, २६—छुपा हुआ, २७—भेद, २८—सौन्दर्य, २९—बयान करना,

तेरे नग़मे[30] को लै ऐ मुत्‌रिबे[31] आफ़त[32] नवा क्या है,
यह मौजे बर्क़[33] है या एक चमक दर्दे मुहब्बत की,

—"असग़र" गोंडवी

शबेग़म आह करता फ़रते[34] ग़म से मैं तो क्या करता,
यह मेरी राय में तौहीन है दर्दे मुहब्बत की।
सजूदे[35] शौक़ से मेरा सरे तस्लीम क्यों उट्ठे,
तुम्हारा सङ्गेदर[36] भी एक कसौटी है मुहब्बत की।
हवाए शौक़ ने दिल को जला कर ख़ाक कर डाला।
मुबद्दल[37] हो गई शोले से चिङ्गारी मुहब्बत की।
कहीं रस्ते में क़ासिद पढ़ न ले ख़त खोल कर मेरा,
लिफ़ाफ़े पर लगा दूँ मुह् मैं दाग़े मुहब्बत की।
ज़माने में हज़ारों नाम किसको याद रहते हैं,
बना लें आप एक फ़ेहरिस्त अरबाबे[38] मुहब्बत की,
कभी वह इस तरफ़ आए, कभी हम उस तरफ़ पहुँचे,
बढ़ीं वक़्तन[39] फ़वक़्तन इस तरह पेंगें मुहब्बत की।
दिखाए शोबदे[40] क्या-क्या उमीदो यास ने हमको,
इधर उजड़ी उधर फिर बस गई दुनिया मुहब्बत की।
किताबत[41] में मिला कर लोग इन हरफ़ों को लिखते हैं,
हक़ीक़त खुल गई लफ़्ज़े मुहब्बत से मुहब्बत की।
ख़ुदा जाने बचे या ग़र्क़ हो बेड़ा उमीदों का,
मिली है नाख़ुदाई[42] "नूह" को बहरे[43] मुहब्बत की।

—"नूह" नारवी

हमीं कुछ जानते हैं क़द्र अपने दाग़े[44] फ़ुर्क़त की,
यह सरमाया है उलफ़त का, यह पूँजी है मुहब्बत की।
कोई समझा न यह अब तक मुहब्बत किसको कहते हैं,
हुईं शरहें हज़ारों रङ्ग से लफ़्ज़े मुहब्बत की।
किसी का नाम ले-लेकर ज़माने से गुज़र जाता,
समझते हैं इसी को हद हम आज़ारे[45] मुहब्बत की।
मुहब्बत का बयाँ सुन-सुन के वह क्या-क्या बिगड़ते हैं,
मगर दुनिया को फिर भी उनसे सूझी है मुहब्बत की।
मुहब्बत का असर दिल पर न हो यह हो नहीं सकता,
किसी दिन आपको भी आरज़ू होगी मुहब्बत की।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

३०—राग, ३१—गायक, ३२—आफ़त से भरा हुआ, ३३—बिजली, ३४—बहुत, ३५—उपासना करना, ३६—चौखट, ३७—बदल जाना, ३८—प्रेमीगण, ३९—समय-समय पर, ४०—जादू, ४१—लिखावट, ४२—पार लगाने वाला, ४३—समुन्दर, ४४—वियोग, ४५—दुःख।

* * *

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

क्या गाँधी-इर्विन समझौता टूट जायगा ? हालाँकि कुछ लोगों का ख़्याल तो यह है कि वह टूट चुका है, या तोड़ा जा रहा है। परन्तु अपने राम इतनी जल्दी तोड़-फोड़ हो जाने के ज़रा कम क़ायल रहते हैं। हालाँकि यह बात भी पक्की है कि बनाने में चाहे बरसों लग जायँ; परन्तु तोड़ने में कुछ देर नहीं लगती। कमाने में मुद्दतें गुज़र जाती हैं, लेकिन ख़र्च करने में समय नहीं लगता। यह सब बहुत पुराने बँधे-टँके उसूल हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि यदि इर्विन महोदय वॉयसरॉय होते, तो यह समझौता कदापि न टूटता। वलायत में इर्विन महोदय की जो क़द्र हुई, वह सब जानते हैं। इधर हिन्दुस्तान में नौकरशाही ने उनकी उतनी ही क़द्र की, जितनी कि "उतरा शहना मर्दक नाम" की कहावत के अनुसार की जा सकती थी। इससे अधिक बेचारी नौकरशाही और कर ही क्या सकती थी। समझौता तोड़ने के सम्बन्ध में कुछ लोग नौकरशाही को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। अपने राम की समझ में यह बात ज़रा कम आती है। नौकरशाही समझौता तोड़ ही नहीं सकती। यदि तोड़ सकती होती तो जनाब, अब तक कभी का तोड़ डालती। असल में बात यह है कि यह समझने वालों की समझ का फ़ितूर है ! आख़िर यह कैसे समझा गया कि समझौता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नौकरशाही षड्यन्त्र केसों की सृष्टि कर रही है, किसानों पर दमन कर रही है, कॉङ्ग्रेस वालों को दिक़ कर रही है, शान्तमय धरना देने वालों को गिरफ़्तार कर रही है—बस इतनी ही बातें हैं ना ? सो जनाब, यह कोई ऐसी बातें नहीं हैं, जिनसे यह समझा जाय, कि नौकरशाही समझौता तोड़ने की चेष्टा में है। अरे भई, कोई अपना प्रबन्ध न करे, इन्तज़ाम न करे, इसमें समझौता तोड़ने की कौन सी बात है ? षड्यन्त्र तो हो ही रहे हैं और होते ही रहते हैं। यदि न हों तो सी० आई० डी० विभाग किस मरज़ की दवा है। आख़िर इस विभाग वाले यह भी तो समझते हैं कि उनका हराम की तनख़्वाह लेना परमात्मा को दुखेगा। इसलिए वह अपना कर्त्तव्य पालन करते हैं। दूसरे यदि कौन्सिलों में प्रश्न उठा दिए गए कि सी० आई० डी० विभाग ने कौन सा तीर मारा, तो क्या उत्तर दिया जायगा ? अतएव यह आवश्यक है कि कुछ न कुछ होता रहे। साथ ही यह बात भी है कि अन्य देशों को भी पता चलता रहेगा कि हिन्दुस्तान में अङ्गरेज़ों पर कैसे-कैसे अत्याचार हो रहे हैं ! बेचारों के लिए नित्य बम तैयार होते हैं। लोग उनके ख़ून के प्यासे घूमा करते हैं, परन्तु पीने को नसीब नहीं होता। ब्रिटिश सरकार को उलटने के लिए जब नवयुवक तक पिस्तौल बाँधे घूमते हैं, तो जवान, अर्द्ध-वयस्क और बुड्ढे तो भगवान जाने क्या करते होंगे। वे जो कुछ करते हैं, यदि उसका पता लग जाय तो अन्धेर ही हो जाय। यह तो कहिए कि सी० आई० डी० विभाग ही ऐसा है, जो थोड़ी-बहुती बातों का पता अपनी तबीयत से लगा लेता है ! और यह ब्रिटिश सरकार का भाग्य है कि सी० आई० डी० पकड़ती एक को है और दस अपने आप जेल में घुसे चले आते हैं। इनाम-इकराम के लालच में कमबख़्त ख़ुद ही मुख़बिर बन जाते हैं और बदनाम करते हैं पुलिस को ! हालाँकि इन मुख़बिरों के कारण पुलिस को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले दिया कि जिसकी सूरत भी कभी पुलिस ने नहीं देखी, नाम भी नहीं सुना। अब मुख़बिर साहब तो टका भर की ज़बान हिला कर अलग हो गए। उधर पुलिस को उसकी तलाश करने की चिन्ता सवार हुई। इन सब बातों के देखते हुए यह कहना एक बड़ी साधारण सी हिमाक़त है कि सरकार दमन कर रही है।

अब किसानों पर अत्याचार करने की बात पर विचार करना चाहिए। किसानों पर सरकार नहीं, वरन् ज़मींदार अत्याचार कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई अपराध नहीं है। हाँ, ज़मींदार जब किसानों के अत्याचार से पीड़ित होकर सरकार से सहायता माँगते हैं, तब मजबूरन सरकार को सहायता देनी पड़ती है। यदि वह ऐसा न करे तो अपने कर्तव्य से गिर जाय। ज़मींदारों ही की बदौलत उसे मालगुज़ारी मिलती है। अतएव यदि वह ज़मींदारों के साथ ऐसे अवसर पर दग़ा करे तो विश्वासघातक कहलाएगी। दूसरे यदि ज़मींदार को लगान न मिलेगा तो सरकार को मालगुज़ारी कहाँ से मिलेगी ? इसलिए ज़मींदारों की सहायता करना आवश्यक है। भले आदमियों का यह काम नहीं है कि जिससे अपने को लाभ होता हो उसको समय पड़ने पर सहायता न दें। यह माना कि इससे किसानों को कष्ट पहुँचता है, परन्तु इससे क्या हुआ ? किसान तो सदैव ही कष्ट भोगते रहते हैं। उन्हें तो कष्ट भोगने और भूखों मरने की आदत हो गई है। ख़राबी तो बेचारे ज़मींदारों की है, जो हमेशा तर-माल उड़ाते रहे हैं। वे कष्ट कदापि नहीं भोग सकते, और सरकार के होते हुए वे कष्ट भोगें, यह भी तो सरकार के लिए डूब मरने की बात है। इसलिए इन सब बातों पर ग़ौर करते हुए सरकार पर यह दोषारोपण करना भी अनुचित है कि वह किसानों पर दमन कर रही है। कुछ लोग इस बात से असन्तुष्ट हैं कि किसानों के लगान में यथेष्ट छूट नहीं की गई। सो यह तो अपनी-अपनी समाई की बात है। आख़िर सरकार का भी कुछ ख़र्च है या नहीं ? या वह हवा ही फाँक कर रहती है। कहने और करने में बड़ा फ़र्क़ होता है। यदि दोषारोपण करने वाले सरकार की स्थिति में होते तो उन्हें पता चलता। नुक़ताचीनी करना तो बड़ा आसान है। यह कहा जा सकता है कि सरकार फ़ौजी ख़र्च घटा कर, बड़े-बड़े अफ़सरों की तनख़्वाहों में कमी करके अपनी कमी को पूरा कर सकती है। सो जनाब, यह काम भी बड़ा कठिन है। अफ़सर लोग अपना देश, घर-द्वार छोड़ कर सात समुद्र पार आते हैं, तो इसी लालच से कि लम्बी तनख़्वाह मिलेगी। अन्यथा मक्खन-रोटी तो वलायत में भी मिल सकती है। यदि उनकी तनख़्वाह कम की जाय और वह नाराज़ होकर चल दें, तो यहाँ का इन्तज़ाम कौन करे ? हिन्दुस्तानियों को इतना माद्दा अभी ईसा मसीह ने अता नहीं फ़र्माया है कि वह अच्छा इन्तज़ाम कर सकें। फ़ौजी ख़र्च को घटाया जाय तो भारतवर्ष में ग़दर फैल जाय ! जब इतनी फ़ौज मौजूद है, तब तो रात-दिन लूट-मार, डाकाज़नी, साम्प्रदायिक झगड़े होते ही हैं—यदि इसमें भी कमी कर दी जाय तो हिन्दुस्तान ग़ारत हो जाय। ये बातें सर्व-साधारण नहीं समझ सकते। जो शासन करते हैं, वे ही समझ सकते हैं !

अब कॉङ्ग्रेसवादियों पर दमन करने की बात को लीजिए। सो यह तो कोई नई बात नहीं है। कॉङ्ग्रेस वाले हैं भी बड़े उधमी ! सब जगह अपनी टाँग अड़ाते हैं। इन्होंने तो मानो ख़ुदाई फ़ौजदारी का ठेका ही ले लिया है। यह अन्धेर तो देखिए, कि ज़रा भी भय नहीं खाते। किसानों से कहते फिरते हैं कि लगान न दो और मशहूर यह करते हैं कि किसानों को लगान देने के लिए कह रहे हैं। महात्मा जी को छोड़ कर अन्य सब कॉङ्ग्रेसमैन समझौता तोड़ने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं। लोगों से कहते हैं, युद्ध के लिए तैयार रहो। यह भी कोई भलमनसी की बातें हैं। उन्हें कहना चाहिए कि, "भाइयो, अब कभी युद्ध का नाम मत लेना, चाहे स्वराज्य मिले या न मिले।" समझौते के अर्थ ही यह हैं। बताइए, विदेशी कपड़े पर फिर धरना आरम्भ कर दिया है। यह नाक में दम कर देने वाली बात है या नहीं ? उधर लङ्काशायर वाले अलग परेशान कर रहे हैं कि बॉयकॉट हटवाओ, इधर कॉङ्ग्रेस वाले समझौता होने पर भी धरना दे रहे हैं। ऐसी दशा में भारत-सरकार बेचारी क्या करे—ज़हर खा ले ? कॉङ्ग्रेस वालों की आँखों में तो ज़रा भी शील नहीं रहा। सरकार ने उनके साथ क्या-क्या नेकियाँ की हैं। जेल से छोड़ दिया, मुक़दमे उठा लिए, परन्तु फिर भी इनका मिज़ाज नहीं मिलता। बड़े अफ़सोस की बात है। अभी हाल में एक दारोग़ा साहब की शिकायत छपी थी कि वह लोगों को मुफ़्त शराब तथा ताड़ी पिलाने का प्रलोभन दिखाते हैं। अब देखिए, इसमें भी लोग ऐब समझते हैं। पूछिए, कोई वस्तु मुफ़्त में बाँटना अच्छा है या बुरा ? उस दारोग़ा बेचारे की भलमनसाहत को तो देखते नहीं, कि उसने कितने उपकार का काम करना विचारा था। शराब और ताड़ी पीना इसीलिए तो बुरा माना जाता है कि उसमें पैसा व्यर्थ तथा आवश्यकता से अधिक ख़र्च हो जाता है। परन्तु यदि ये वस्तुएँ मुफ़्त मिलती हैं तो फिर पीने में क्या हर्ज है ? मुफ़्त की शराब क़ाज़ी तक के लिए हलाल मानी गई है। अपने राम का तो यह कथन है कि यदि मुफ़्त मिले तो सङ्खिया भी खा लेना चाहिए—यह तो भला शराब और ताड़ी है। परन्तु कहें किससे ? अन्धे के आगे रोवे अपने दीदे खोवे। जिस वस्तु के लिए मज़दूर लोग अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांश ख़र्च कर डालते हैं, वह मुफ़्त मिले तब भी उसमें दोष समझा जाय ! बलिहारी है इस बुद्धि की। इसी बुद्धि पर हिन्दुस्तानी स्वराज्य माँगते ?

सम्पादक जी, अब आप समझे कि सरकार पर समझौता तोड़ने का जो दोषारोपण किया जा रहा है, वह सरासर ग़लत है। यह सरकार की फूटी क़िस्मत का दोष है कि वह जो कुछ करती है, लोग उसके उलटे ही अर्थ लगाते हैं। जब दिन बुरे आते हैं तब ऐसा ही होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल सरकार के दिन बहुत ही बुरे हैं।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

❀

क्या जर्मनी में क्रान्ति होने वाली है ?

[श्री० ए० जी० गार्डेनर]

[श्री० ए० जी० गार्डेनर ने यह लेख अमेरिका द्वारा युद्ध-ऋण स्थगित किए जाने की घोषणा निकलने के पहले लिखा था ।

—सं० 'भविष्य']

अगर कहीं जर्मनी का पतन हुआ तो उसके साथ ही यूरोप और संसार का भी पतन होगा। प्रत्येक समझदार आदमी को जर्मनी के निकट-पतन की आशङ्का है।

अगर कोई बाहरी सहायता न मिली तो दूसरे जाड़े तक वह इस टक्कर से नहीं बच सकता, जोकि सम्पूर्ण यूरोप को बिल्कुल जड़ से हिला देगा।

आश्चर्य तो उसके अब तक बचे रहने का है, क्योंकि लगभग १३ वर्ष से जैसे असभ्य अर्थ-दण्डों द्वारा उसे दण्डित किया जा रहा है, वैसे अर्थ-दण्ड आज तक कभी किसी भी पराजित देश पर न क़ायम किए गए होंगे।

नेपोलियन के युद्धों के बाद और फ़्रान्स-जर्मन युद्ध के बाद जर्मनी जैसी आश्चर्यजनक उदारता और नम्रता के साथ फ़्रान्स के साथ पेश आया था, उसकी तुलना करने से जर्मनी पर पिछले युद्ध के बाद लादे गए अर्थ-दण्डों की असभ्यता और कठोरता का पता लगता है।

उपरोक्त दोनों अवसरों पर फ़्रान्स के साथ उदारता दिखलाने में जर्मनी का उद्देश्य फ़्रान्स के प्रति सहानुभूति प्रकट करना नहीं, बल्कि यूरोप का पुनर्निर्माण करना था।

यह उद्देश्य जर्मनी के साथ व्यवहार करने में जान-बूझ कर भुला दिया गया है। निःशस्त्र करके वह सङ्गीनों के घेरे में बन्दी बना दिया गया है !!

उसके उपनिवेश, उसकी खानें और उसका धन छीन लेने के बाद युद्ध के व्यय का सम्पूर्ण बोझ उस पर डाल दिया गया है। उसके अपराध चाहे जो हों, परन्तु उसके साथ होने वाले व्यवहार केवल अनुचित ही नहीं, वरन् अत्यन्त उद्धत हैं। जो कुछ उससे आशा की जाती है, वह पूर्ण नहीं हो सकती। उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करना जर्मनी को और सम्पूर्ण संसार के व्यापारिक और आर्थिक सङ्गठन को नष्ट कर देना है। परन्तु फ़्रान्स के उद्धत नेतृत्व में हम लगातार तेरह वर्षों से जर्मनी का रक्त-शोषण कर रहे हैं और जर्मनी से वह कार्य कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, जोकि असम्भव है !

आज जर्मनी की दशा दस वर्ष पहले से कहीं अधिक बुरी है। वस्तुओं की क़ीमत घट जाने के कारण उसे अब तक जितना युद्ध का हर्जाना देना पड़ता था, उससे तीस फ़ी सदी अधिक देना पड़ रहा है। 'यङ्ग-स्कीम' के अनुसार जितना हर्जाना जर्मनी से वसूल किया जाता रहा है, वह जर्मनी के देने की सामर्थ्य से अधिक से अधिक रहा है।

यङ्ग-स्कीम के अनुसार वह हर्जाना देने के कार्य से पुश्त-दर-पुश्त छुट्टी नहीं पा सकेगा। हर्जाना देते रहने का कार्य उसे भविष्य में उस समय तक करना पड़ेगा, जबकि यूरोपीय युद्ध उतनी ही पुरानी घटना हो जायगी, जितनी कि आज फ़्रान्स-जर्मन युद्ध की घटना हो गई है। जबकि यूरोपीय युद्ध में भाग लेने वाला प्रत्येक पुरुष अपनी क़ब्र में होगा।

क्या आज तक और भी कभी किसी ने किसी राष्ट्र पर ऐसे उद्धत व्यवहार का प्रयोग किया होगा ?

क्रान्ति के समीप

अब परिस्थिति हद तक पहुँच चुकी है। दिवालिया-पन और बेइज़्ज़ती से ऊबा हुआ यह देश क्रान्ति के किनारे पर पहुँच गया है। निस्सन्देह ब्रुनिङ्ग और कर्टिस, दो सज्जनों का सम्मिलन जर्मन-प्रजातन्त्र की अन्तिम खाई है। इसके असफल होते ही अव्यवस्था का राज्य फैल जायगा !

इस समय जर्मनी दो बड़े दलों में विभाजित हो रहा है। एक तरफ़ नाज़ीज़ और दूसरी तरफ़ कम्यूनिस्ट अपनी-अपनी क़वायदें कर रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह कहीं न कहीं इन दो विद्रोही दलों में मुठभेड़ हो ही जाती है। इन मुठभेड़ों का अन्तिम परिणाम जर्मनी के प्रजातन्त्र का पतन होगा !!

मान लीजिए, अन्त में कम्यूनिस्ट दल विजयी हुआ, तो हम लोगों और यूरोप पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? कम्यूनिस्टों की विजय से सोवियट की प्रणाली मॉस्को से बर्लिन पहुँच जायगी। विस्चुला से लेकर राइन नदी तक उसका साम्राज्य हो जायगा और मध्य यूरोप में उसकी सत्ता अबाधित हो जायगी।

यूरोप अग्नि-ज्वाला में भड़क उठेगा !

परन्तु क्या फ़्रान्स यही चाहता है ? हम लोग यही चाहते हैं ? अमेरिका और इटली यही चाहते हैं ? निस्सन्देह कोई यह नहीं चाहता। फिर भी मित्र-राष्ट्रों की सम्पूर्ण नीति लगातार अपनी कठोर गति से उसी ओर चली जा रही है। अब इस नीति का परिणाम सामने दिखलाई पड़ रहा है।

परन्तु मान लीजिए, कम्यूनिस्टों की विजय न होकर अन्त में नाज़ियों की विजय हुई और जर्मनी मुसोलिनी के ढङ्ग के एक प्रबल राष्ट्रीय डिक्टेटर के क़ब्ज़े में हो गया, क्या वह हालत फ़्रान्स या यूरोप के लिए किसी तरह विशेष हितकर प्रमाणित होगी ?

नाज़ीज़ दल विजयी होने पर वर्सेल-सन्धि की अवज्ञा करेगा और जर्मनी के अपमान करने वाले शत्रुओं के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करेगा। युद्ध का हर्जाना न रह जायगा। फ़्रान्स रूर की सीमा पर लौट जायगा, सम्पूर्ण मध्य यूरोप एक अग्नि की ज्वाला में दिखलाई पड़ेगा और अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ इस दृश्य को निरुपाय दर्शक की भाँति देखा करेगा।

जर्मनी की यदि ख़तरे से रक्षा नहीं की जाती, तो उसके सामने उपरोक्त उपायों के ग्रहण करने की अपेक्षा और कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। वह अपने आप इस ख़तरे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वह उस परिस्थिति से आगे निकल गया है। उसकी रक्षा वे ही कर सकते हैं जिन्होंने, जर्मनी के लोगों को प्रजातन्त्र से ऊब कर निराशा और विप्लव के मार्गों के ग्रहण करने के लिए विवश किया है।

वर्सेल-सन्धि की ग़लती

आज साधारणतया सभी समझदार आदमी इस बात से सहमत हैं कि वर्सेल-सन्धि एक भयानक ग़लती थी। इस सन्धि के हानिकारक परिणाम जर्मनी तक परिमित नहीं रहे, उनसे सम्पूर्ण संसार विशृङ्खल हो गया है।

मानव-जाति के ऊपर युद्ध-ऋण और हर्जाने एक भयानक पाप की तरह लटक रहे हैं। संसार के व्यापार पर आघात पहुँचाने वाले कारणों में उनका मुख्य स्थान है। जब तक युद्ध-ऋण और हर्जानों का भार हलका नहीं किया जाता, तब तक यूरोप में शान्ति नहीं हो सकती।

यही मौक़ा है कि हम अपने इस ख़याल को हटा दें कि चालीस वर्ष बाद भी जर्मनी एक ग़ुलाम देश बना हुआ हर्जाना दिया करेगा और हम लोग अमेरिका को प्रति वर्ष ३३० लाख रुपया दिया करेंगे !!!

❀

स्वर्गीय श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त

[श्री० अभयङ्कर वर्मा, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]

बीस वर्ष का बङ्गाली बालक—श्री० दिनेशचन्द्र गुप्त—गत ८ जुलाई सन् १९३१ को हँसते-हँसते फाँसी पर चढ़ गया। जिस तरह कुतूहलप्रिय बालक कोई नया खिलौना देखते ही, उसे ग्रहण करने के लिए व्यग्रता से हाथ बढ़ा देता है, उसी तरह इस कुतूहली बालक ने भी बड़ी व्यग्रता के साथ मृत्यु का आलिङ्गन करने के लिए हाथ बढ़ा दिया था। असीम रहस्यपूर्ण मृत्यु का रहस्य जानने के लिए मानो वह व्याकुल हो रहा था। माता, पिता, बहिन और स्नेहमयी भौजाइयों को उसने बारम्बार यही कह कर आश्वासन प्रदान किया था कि मृत्यु कोई भयङ्कर व्यापार नहीं है। उसका नाम उसने 'मरणमाला' रक्खा था।

उसकी उमर अभी कुल बीस बरस की थी। उसने इस रहस्यमय संसार में अभी प्रवेश मात्र किया था। उसे अच्छी तरह देखने, समझने और अनुभव करने का अवसर उसे नहीं मिला। क़ानून उसके प्रतिकूल था, इसलिए सारे देश की प्रार्थना भी व्यर्थ हो गई।

दिनेश विप्लववादी था। उसने सरकार के एक अङ्गरेज़ अफ़सर की हत्या कर डाली थी या हत्या करने में सहायता दी थी। हमें उसके कार्य से कोई सहानुभूति नहीं। परन्तु उसकी प्राण-भिक्षा के लिए समस्त बङ्गाल ने ही नहीं, वरन् सारे भारतवर्ष ने सरकार से प्रार्थना की थी। परन्तु यह हज़ार-हज़ार कण्ठों से निकली हुई, प्रार्थना भी सरकार ने नहीं सुनी। देश के जन-मत की उसने ज़रा भी परवाह न की। गाँधी-इर्विन समझौते के बाद लोगों को विश्वास हो गया था, कि सरकार की मनोवृत्ति में कुछ परिवर्तन हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के विद्वान विचारपति जस्टिस बकलैण्ड ने भी कुछ ऐसी ही बातें कह कर लोगों के विश्वास को दृढ़ बना दिया था। परन्तु सरकार ने इन बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। यही नहीं, उसने अपने विशेष अधिकार द्वारा श्रीमान सम्राट की सेवा में भेजी हुई प्रार्थना को भी रोक लिया। पराधीन जाति और असहाय माता-पिता की अश्रु-सिक्त प्रार्थना अरण्य-रुदन में परिणत हो गई! हरि इच्छा बलीयसी!!

परिचय

ढाका ज़िले में 'यशोलङ्ग' नाम का एक छोटा-सा, किन्तु विख्यात गाँव है। इस गाँव में ज़्यादातर ब्राह्मण, थोड़े से वैद्य और कायस्थ तथा अन्यान्य छोटी जातियों के लोग रहते हैं।

आज से बीस वर्ष पहले, इसी यशोलङ्ग ग्राम के श्रीयुत सतीशचन्द्र गुप्त के यहाँ दिनेश का जन्म हुआ था। दिनेश श्री० सतीशचन्द्र का तृतीय पुत्र था। श्री० सतीशचन्द्र मेदिनीपुर ज़िले के ज्वालापुर में पोस्ट-मास्टर हैं।

दिनेश के बाल्य-जीवन में कोई विशेषता न थी। वह बङ्गाल के साधारण बालकों की तरह मेधावी, चपल और खेलाड़ी था। परन्तु पढ़ने-लिखने में उसकी बड़ी रुचि थी। इस सम्बन्ध में ग्राम-पाठशाला के 'गुरु महाशय' से लेकर कॉलेज के प्रोफ़ेसर साहब तक को कभी किसी प्रकार की शिकायत का मौक़ा नहीं मिला था।

ढाका के ही किसी हाईस्कूल से मेट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करके वह, आज से प्रायः पाँच वर्ष पूर्व कॉलेज में भर्ती हुआ तथा गत असहयोग आन्दोलन के समय, जब कि वह बी० ए० की परीक्षा पास करने की तैयारी में था, कॉलेज छोड़ कर देश-सेवा सम्बन्धी कामों में लग गया। दिनेश के बड़े भाई श्री० ज्योतिषचन्द्र गुप्त मेदिनीपुर की दीवानी के वकील और दूसरे बड़े भाई श्री० पृथ्वीशचन्द्र डिबरूगढ़ ज़िले के मरियानी नामक स्थान में डॉक्टर हैं। मृत्यु के समय दिनेश की उमर बीस साल से कुछ अधिक थी।

अपराध

गत ८ दिसम्बर को बङ्गाल के जेलख़ानों के इन्स्पेक्टर लेफ़्टिनेण्ट कर्नल एन० एस० सिम्पसन, कलकत्ते के 'राइटर्स बिल्डिङ्ग' में मार डाले गए। घटना का विवरण, जो उस समय अख़बारों में छपा था, वह इस प्रकार है :—

बङ्गाल के जेलख़ानों के इन्स्पेक्टर लेफ़्टिनेण्ट स्वर्गीय कर्नल एन० एस० सिम्पसन

दिन के प्रायः साढ़े बारह बजे, जबकि कर्नल अपने ऑफ़िस में बैठे हुए फ़ाइलों की जाँच कर रहे थे, उसी समय तीन बङ्गाली युवक वहाँ गए और उन्होंने चपरासी से कहा कि हम साहब से मिलना चाहते हैं। चपरासी ने उत्तर दिया, साहब इस समय काम में व्यस्त हैं, वे नहीं मिल सकते। आप लोग एक पर्चे पर अपना नाम, पता और उद्देश्य लिख कर दीजिए, तो मैं साहब के पास पहुँचा दूँ। इस पर युवकों ने चपरासी को धक्का देकर एक ओर ढकेल दिया और कमरे में घुस गए। तीनों युवकों को अकस्मात कमरे में प्रवेश करते देख कर कर्नल कुछ पीछे हट गए। युवकों ने एक साथ ही उन पर पिस्तौल का वार किया। कर्नल वहीं गिर गए। तीनों युवक फिर कमरे से बाहर निकले और गोलियाँ छोड़ते हुए बरामदे की राह से पासपोर्ट ऑफ़िस में पहुँचे, जो उसी मकान के एक कमरे में है। वहाँ उन्होंने फिर अपने पिस्तौलों में गोलियाँ भरीं। और एक अमेरिकन पादड़ी पर वार किया। परन्तु वह बच गया। इसके बाद वे जुडिशियल सेक्रेटरी के ऑफ़िस में घुसे और उन पर भी वार किया। गोली उनकी जाँघ में लगी। परन्तु वे बच गए।

इन युवकों में एक दिनेश, दूसरा श्री० विनयकृष्ण बोस और तीसरा श्री० सुधीरकुमार गुप्त था। अन्त में इन तीनों युवकों ने आत्म-हत्या कर लेने की चेष्टा की। परन्तु इस सम्बन्ध में सफलता केवल सुधीरकुमार बोस को ही मिली। बाक़ी दो घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचाए गए। अन्त में कुछ दिनों के बाद विनयकृष्ण का भी देहान्त हो गया।

ये दोनों युवक भी ढाका ज़िले के और श्री० दिनेश के गाँव के पास के ही रहने वाले थे। इस हत्याकाण्ड के समय ये तीनों अङ्गरेज़ी पोशाक में थे। उस समय अख़बारों में भी ख़बर छपी थी कि विनयकृष्ण ने ही बङ्गाल के इन्स्पेक्टर जनरल मि० एफ़० जे० लोमेन की हत्या की थी।

विचार और फाँसी की आज्ञा

अन्त में, घाव अच्छे हो जाने पर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल अदालत के सामने श्री० दिनेश के मामले का विचार आरम्भ हुआ। श्री० दिनेश ने अपने को निर्दोष बताया था और अपने बयान में कहा था कि मैं कौतूहल-वश राइटर्स बिल्डिङ्ग में घुस गया था। मुझे मालूम भी न था, कि यहाँ क्या है। मैं इस शहर में केवल दो-तीन बार आया हूँ। इसलिए मुझे मालूम भी न था, कि इसमें कौन सा ऑफ़िस है। जब मैं ऊपर गया तो मुझे किसी चीज़ का धड़ाका सुनाई दिया। इस आवाज़ से डर कर मैं भागा तो किसी यूरोपियन ने मुझे गोली मार दी। मेरे पास कोई सूट-केस न था और न मेरा कोई साथी ही था। मेरे पास केवल दस रुपए थे और अपने पिता के पास भागलपुर जाना चाहता था।

परन्तु गत २ फ़रवरी को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने श्री० दिनेश को फाँसी की सज़ा सुना दी।

इसके बाद हाईकोर्ट तथा प्रिवी कौन्सिल में अपीलें हुईं, परन्तु सब स्थानों से फ़ैसला बहाल रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट के सहृदय न्यायाधीश जस्टिस बकलैण्ड ने उसकी कच्ची उमर का ख़्याल करके दया करने की सिफ़ारिश की थी। परन्तु कोई परिणाम नहीं हुआ। गाँधी-इर्विन समझौते से आशान्वित होकर बङ्गाल की जनता तथा अख़बारों ने भी सरकार से दया की प्रार्थना की थी, परन्तु सारा प्रयास अरण्य-रुदन में परिणत हो गया।

अन्त में उसकी अभागिनी माता की ओर से श्रीमान सम्राट महोदय की सेवा में भी एक प्रार्थना-पत्र भेजा गया, परन्तु सरकार ने उसे अपने विशेष अधिकार द्वारा रोक लिया। इस विषय में श्री० दिनेश के वकील ने बड़ी लिखा-पढ़ी की; बङ्गाल-सरकार के जुडिशियल सेक्रेटरी से मिले भी, परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला!

दिनेश की दृढ़ता

यद्यपि श्री० दिनेशचन्द्र ने ट्रिब्यूनल के सामने अपने को निर्दोष बताया था और अपने बचाव की चेष्टा की थी, परन्तु फाँसी की आज्ञा का उसके शरीर और मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। मृत्यु से डरने को वह कायरता समझता था। फाँसी की कठोर आज्ञा सुनने के बाद से, जैसा कि उसके निम्न-लिखित पत्रों से प्रतीत होता है, उसकी आत्मा सदैव अध्यात्म-जगत में ही विचरण करती थी। वह बड़ी दृढ़ता से अपने परिजनों को सान्त्वना दिया करता था। इस दरमियान में उसने अपनी माता, बहिन और भौजाइयों को कई पत्र लिखे थे, जिनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। उसने

ऐसा कौन है जिसे फ़ायदा नहीं हुआ ?

तत्काल गुण दिखाने वाली ४० वर्ष की परीक्षित दवाइयाँ

कफ, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट-दर्द, क़ै, दस्त, जाड़े का बुख़ार (इन्फ़्लूऐन्ज़ा) बालकों के हरे-पीले दस्त और ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाले रोगों की एकमात्र दवा है। इसके सेवन में किसी अनुपान की ज़रूरत न होने से मुसाफ़िरी में लोग साथ रखते हैं। क़ीमत ॥) आना डाक-व्यय १ से २ शीशी का ।=)

यदि संसार में बिना जलन और तकलीफ़ के दाद को जड़ से खोने वाली कोई दवा है तो बस, वह यह है। दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली हो या पकने वाला, इसके लगाने से अच्छा होता है। क़ीमत फ़ी शीशी ।), डा० ख़० १ से २ शीशी का ।=)

सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं। धोखे से नक़ली दवा न ख़रीदिए !

पता—सुख-सञ्चारक कम्पनी, मथुरा

अग्रवाल वर चाहिए

बीसा अग्रवाल उच्च घराने की विवाह योग्य शिक्षित कन्याओं के लिए जोकि यू० पी० के निवासी हैं, ऐसे वरों की दरकार है जो १८ से २१ साल तक के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ५००) मासिक बँधी हुई आमदनी रखने वाले और आदर्श सुधारक हों। लेने-देने का ठहराव फ़ज़ूल-ख़र्च व कुरीतियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से आडम्बर-रहित होगा, जन्म-पत्र नहीं मिलाई जायगी, कोई भाई मन्तव्य-विरुद्ध लिखा-पढ़ी न करें। व्यापारी लाइन विशेष वाञ्छनीय है।

अग्रवाल समिति,
D. बलदेव बिलडिङ्ग झाँसी, JHANSI

६॥) रु० में हर एक घड़ी (गारण्टी ५ वर्ष)

हर एक घड़ी सुन्दर, मज़बूत और नए डिज़ाइन की है। सच्चा समय बताने में अच्छी, क़ीमती घड़ियों के कान काटती है। इसके फ़ीते और बॉक्स को देख कर दिल फड़क उठेगा। १॥।≡) में जेब-घड़ी गारण्टी ३ वर्ष। सोते को जगाने वाली घड़ी दाम ३॥) गारण्टी ५ वर्ष; डा०-ख़०पृथक

पता—रॉयल स्वीज़ वाच कम्पनी,
मुरादाबाद (यू० पी०)

सच्चा और असली

"नेत्र-बन्धु सुर्मा"

रतौंधी, तारीकी, धुन्ध, जाला, माड़ा, लाली, मोतियाबिन्द, ढलका, नाख़ूना और खुजली अर्थात् नेत्र सम्बन्धी तमाम रोगों को जड़ से आराम कर देने के लिए हमारा यह नेत्र-बन्धु सुर्मा अपूर्व बल और गुण सम्पन्न है। अगर आँखों में किसी क़िस्म की शिकायत न भी हो, तो भी इसे बराबर लगाने से नेत्र की ज्योति तेज़ बनी रहती है, आँखों में होने वाली तमाम बीमारियों से बचाए रखता है। बच्चे, जवान, मर्द और औरत सबको समान रूप से हितकारी है। दाम प्रति तोला १) रुपया, डा० म० अलग। एक तोला से कम सुर्मा नहीं मिलेगा।

पता—एस० ए० बी० बक्सी एण्ड कं०
कोठी नं० ७० कोलूटोला स्ट्रीट, कलकत्ता

एक ही शीशी में दवाख़ाना

सैकड़ों रोगों पर शर्तिया फ़ायदा पहुँचाने वाली "मृत्युञ्जयधारा" एक शीशी लेकर पास रखिए। रेल, जहाज़, गाँव, शहर, जङ्गल कहीं भी बेखटके सोइए, कोई चिन्ता नहीं। अगर शरीर में कहीं कोई शिकायत मालूम पड़े, फ़ौरन शीशी निकाल कर २-३ बूँद सेवन कीजिए, तत्काल फ़ायदा करेगा। सेवन-विधि साथ में मिलेगी। मूल्य बड़ी शीशी १) छोटी शीशी ॥) नमूना ।) डा० ख़० अलग। एजेण्टों की सर्वत्र ज़रूरत है; =) का टिकट भेजने से नमूना मुफ़्त भेजा जाता है। मिलने का पता—मृत्युञ्जयधारा कम्पनी, न० ६६ राजा कटरा, कलकत्ता

यदि आपका घर पुत्र-रत्न से शून्य हो तो हमसे पत्र-व्यवहार करिए।

वैद्यराज, पो० वरालोकपुर,
इटावा (यू० पी०)

दोनों घड़ियाँ मुफ़्त

॥ दो पैसे का लालच न करके आज ही अपना नाम-पता साफ़ हिन्दी में लिख भेजिए, तो ऐसी दोनों घड़ियाँ मुफ़्त में पा सकते हैं।

पता—मैनेजर नं० १,८/०
पो० ब० २८८, कलकत्ता

मुफ़्त !! मुफ़्त ! मुफ़्त !!

जो कवच २) में मिलता था, आज वह सिर्फ़ १५ दिन के वास्ते मुफ़्त भेजा जाता है। यह कवच संसार भर के जादू, तन्त्र-मन्त्र, ज्योतिष चमत्कारों से परिपूर्ण है, इसके धारण करने से हर तरह के काम सिद्ध होते हैं। जैसे रोज़गार में लाभ, मुक़द्दमे में जीत, सन्तान-लाभ, हर तरह के सङ्कटों से छुटकारा, इम्तिहान में पास होना, इच्छानुसार नौकरी मिलना, जिसको चाहे बस कर लेना, हर प्रकार के रोगों से छुटकारा पाना, देश-देशान्तरों का हाल क्षण भर में जान लेना, भूत-प्रेतों को वश में कर लेना, स्वप्न-दोष का न होना, मरे हुओं से बातचीत करना, राज-सम्मान होना, कहाँ तक गिनाएँ, बस जिस काम में हाथ डालिएगा, फ़तह ही फ़तह है। १५ दिन तक फ़्री, बाद १५ दिन के १ कवच का मूल्य २), तीन का ५॥) डाक-महसूल ॥=); ध्यान रहे, मरे हुओं की १ पुश्त तक का हाल बतावेगा, दूसरे के ज़िम्मेदार हम नहीं। अगर कोई झूठा साबित करे तो १५) इनाम। सन्तान चाहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही कवच मँगावें।

पता—एस० कुटी हाटखोला (कलकत्ता)

सूचना

लीवर पॉकेट वाच १॥।≡) में

१ घड़ी का मूल्य १॥।≡)
३ घड़ी " ४॥=)
६ घड़ी का मूल्य ८)
१२ घड़ी " १०॥)

यह जेब घड़ी अभी नए चालान में आई है, सुन्दर, मज़बूत, टिकाऊ, समय की पक्की देने वाली, फ़ैन्सी बक्स साथ में। चमचमाता हुआ डायल है। भेजने के पहले घड़ी ख़ूब अच्छी तरह देख-भाल कर भेजी जाती है। पसन्द न होने से क़ीमत वापिस। क़ीमत १ घड़ी १॥।≡) डाक व पैकिङ्ग-ख़र्च अलग।

सैण्ट्रल ट्रेडिङ्ग कम्पनी नं० १
पो० ब० ११४२५ (11425), कलकत्ता

डॉक्टर बनिए

घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज की नियमावली मुफ़्त मँगाइए ! पता—
इण्टर नेशनल कॉलेज, (गवर्नमेण्ट रजिस्टर्ड)
३१ बाँसतल्ला गली, कलकत्ता

असल रुद्राक्ष माला

−) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा रुद्राक्ष माहात्म्य मुफ़्त मँगा देखिए।

रामदास एण्ड को०,
३ चोरबगान स्ट्रीट, कलकत्ता

अन्तिम पत्र अपनी स्नेहमयी जननी और बड़ी बहिन को लिखा था, जिसका अविकल अनुवाद पाठकों ने गत ९ जुलाई के 'भविष्य' में पढ़ा होगा फलतः उन्हें पुनः यहाँ देने की आवश्यकता नहीं। बाक़ी कई पत्र उसने समय-समय पर अपनी भौजाइयों को लिखे थे, उनका अनुवाद नीचे दिया जाता है :—

अलीपुर सेण्ट्रल जेल
२९-३-३१

श्रीचरणेषु !

भाभी, कल तुम्हारी चिट्ठी मिली। आज माँ और भैया आए थे। भैया से मालूम हुआ, हमारी फाँसी की आज्ञा बहाल रक्खी गई है।

भाभी, मैं अब तुम लोगों से सदा के लिए विदाई चाहता हूँ। यह मैं जानता हूँ, विदाई देते समय तुम लोगों का हृदय विदीर्ण हो जायगा, किन्तु क्या करूँ विदाई तो लेनी ही होगी।

आज बहुत सी पुरानी बातें मुझे याद हो आई हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी भाभी के रूप में पाया था, उस दिन से लेकर आज तक की सारी बातें मेरी आँखों के सामने नाच रही हैं। मैंने दस वर्ष की उम्र से लेकर बीस वर्ष तक तुम्हें अनेक यन्त्रणाएँ दी हैं; वह सभी तुमने स्नेह का अत्याचार समझ, हँसते हुए सह लिया है; तुम कभी मेरे प्रति विरक्त न हुईं, कभी तुम रुष्ट न हुईं। यह तुम अच्छी तरह जानती हो कि बीमार पड़ने पर तुम्हारे ही हाथ की बनी हुई बार्ली, और तुम्हारे ही हाथ का रींधा हुआ भोजन मुझे अच्छा लगता था। मुझे ही क्यों, हम सबों को तुमने अपने आन्तरिक प्रेम से जीत लिया था। यदि मेरे पास रुपए होते, तो मैं कौन-कौन सी चीज़ें तुम्हें उपहार देता, उसकी उद्भत कल्पना मैं अब भी किया करता हूँ। ख़ैर, छोड़ो इन सब बातों को; भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तक तुम्हारे ही समान भाभी मुझे मिले।

तुमने मुझसे पूछा है कि ऐसा कौन उपाय है, जिससे मन को शान्ति मिल सके। मैं इस सम्बन्ध में क्या कहूँ? लेकिन हाँ, मेरे मन में यह बात उठती है, कि हम लोग मृत्यु से बहुत अधिक डरते हैं, इसीलिए मृत्यु के सामने हमें पराजित होना पड़ता है। यदि हम इस भय को जीत सकें तो मृत्यु हमें बहुत तुच्छ दिखाई पड़ेगी। मृत्यु का भय न कर, हमें उसे प्रशान्त चित्त से वरण करना होगा। और हम तो हिन्दू हैं, मृत्यु का भय करने से धर्म की पहली ही सीढ़ी पर हम नहीं चढ़ सकते। हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होती। यह नश्वर शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। वही आत्मा ही तो हम हैं और वही आत्मा भगवान भी हैं। मनुष्य जिस समय अपने आपको पहचान लेता है, उसी समय वह कह सकता कि है "मैं ही वह हूँ" आग मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे गला नहीं सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, मैं अजर हूँ, अमर हूँ और अव्यय हूँ। गीता में कहा है—न तो शस्त्र इसे काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है! यह आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य और सर्वव्यापी है।

तुम कहोगी—"यह सब बातें तो मैं भी जानती हूँ, किन्तु इससे मन को तो शान्ति नहीं मिलती।" मन को शान्ति देने के लिए एकमात्र उपाय है, भगवान को आत्म-समर्पण। शान्ति प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। हम कितना भी जप-तप क्यों न करें, कितना भी तिलक-चन्दन क्यों न करें, किन्तु इससे क्या, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सकती है? जो भगवान का भक्त है, उसके लिए मृत्यु एक शब्द मात्र है। उनके साथ प्रेम किया था बङ्गाल के निमाई ने, प्रेमावतार ईसा मसीह ने और हमारे ही देश के उन बच्चों ने, जिन्होंने हँसते हुए, मृत्यु का आलिङ्गन किया था।

मन के आवेग में आज मैंने बहुत सी बात लिख डाली हैं। यह जान कर कि तुम लोगों के कष्ट का कारण मैं हूँ, मुझे भी अपने मन में कुछ कम व्यथा नहीं हुई है। तुम लोग मुझे क्षमा करना।

मेरा साथी इस समय अच्छी तरह से है। अब दुख-सुख नहीं है। मैं भी अच्छी तरह हूँ। मेरा प्रेम जानना। इति।

—तुम्हारा स्नेह-भाजन देवर

* * *

अलीपुर सेण्ट्रल जेल
१८ जून, १९३१

भाभी,

तुम्हारी लम्बी चिट्ठी मिली। बिना समय आए किसी के जीवन का अन्त नहीं हो सकता। भगवान ने जिसके हाथ में जो कार्य सौंपा है, उसके समाप्त होने पर ही वे उसे अपने पास बुला लेते हैं। कार्य समाप्त होने के पहले वे किसी को नहीं बुलाते।

तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हारे बालों को पकड़ कर पुतली नचाया करता था। पुतली आकर गाती थी—"ऐ सुन्दर बालों वाली मुझे क्यों बुलाती हो?" जिस पुतली का पार्ट समाप्त हो जाता था, उसे फिर स्टेज पर नहीं आना पड़ता था। भगवान भी हम लोगों को उसी पुतली की तरह नचाया करते हैं, हम प्रत्येक संसारवासी संसार के रङ्ग-मञ्च पर अपना-अपना पार्ट कर रहे हैं। अभिनय समाप्त हो जाने पर हमारा प्रयोजन भी शेष हो जाता है। तब भगवान हमें रङ्ग-मञ्च से हटा ले जाते हैं। इसमें दुख की क्या बात है?

संसार के किसी धर्म के मानने से आत्मा की अविनश्वरता भी माननी पड़ती है। अर्थात् शरीर की मृत्यु हो जाने से आत्मा की मृत्यु नहीं हो जाती, यह बात स्वीकार करनी पड़ती है। हम हिन्दू हैं और हिन्दू धर्म में इस सम्बन्ध में क्या कहा गया है, यह कुछ-कुछ जानते हैं। मुसलमान धर्म में भी कहा गया है कि मनुष्य जिस समय मरता है उस समय ख़ुदा के फ़रिश्ते उसकी रूह क़ब्ज़ करने के लिए आते हैं और मनुष्य की आत्मा को पुकार कर कहते हैं—"ऐ रूह, निकल इस क़ालिब से और चल ख़ुदा की जन्नत में।" अर्थात् तुम देह छोड़ कर भगवान के पास चलो। इससे यह मालूम होता है कि मुसलमान धर्म वाले भी यह विश्वास रखते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो जाने से हो उसका सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता। ईसाई धर्म कहता है—"Very quickly there will be an end of thee here; consider what will become of thee in the next world." अर्थात्—"तुम्हारे यहाँ के दिन तो शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, अब परलोक की चिन्ता करो, कि वहाँ तुम्हारा क्या होगा।" इससे मालूम होता है कि ईसाई धर्म वाले भी यह विश्वास रखते हैं कि देह की मृत्यु हो जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। अब इन तीन धर्मों में से किसी एक धर्म पर भी विश्वास करने से, यह मानना पड़ेगा कि हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। हम अमर हैं। हमें मारने की शक्ति किसी में भी नहीं है।

हम भारतवासी बड़े धर्म-प्रवीण होते हैं न। धर्म का नाम ही सुन कर भक्ति के मारे हमारे पण्डितों की शिखा खड़ी हो जाती है। किन्तु तब हमें मृत्यु से इतना भय क्यों है? क्या वास्तव में हमारे देश में धर्म है? जिस देश में दस वर्ष की अबोध बालिका धर्म के नाम पर एक पचास वर्ष के बूढ़े के साथ ब्याही जाती है, वहाँ धर्म कहाँ? उस देश में तो धर्म के मुख में आग लगी हुई है। जिस देश में मनुष्य को स्पर्श करने से मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है, वहाँ धर्म को गङ्गा में बहा कर निश्चिन्त हो जाना चाहिए। मनुष्य का विवेक ही सब से बड़ा धर्म है। उसी विवेक की उपेक्षा कर हम धर्म के नाम पर, अधर्म के स्रोत में अपना शरीर डुबो रहे हैं। केवल एक तुच्छ गौ के लिए या, ढोल की आवाज़ सुन कर हम भाई-भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। इससे क्या भगवान हमें बैकुण्ठ में स्थान देंगे या ख़ुदा अपने बिहिश्त में हमें स्थान देने के लिए तैयार होंगे?

जिस देश को मैं सदा के लिए छोड़ रहा हूँ, जिसकी धूलि का प्रत्येक कण हमारे लिए पवित्र है, उसके सम्बन्ध में ये सब बातें मैंने बड़े कष्ट से कही हैं।

हम लोग अच्छी तरह हैं। मेरा प्रेम और प्रणाम ग्रहण करना।

—तुम्हारा स्नेह-भाजन देवर

* * *

मणिदीदी,

बचन देकर भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। कहा था, रविवार को आपकी चिट्ठी का उत्तर दूँगा, परन्तु दो दिन बीत गए। किन्तु इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। नया वर्ष आरम्भ हुआ है। सन् १३३७ (बङ्गला सन्) ने अपने को १३३८ में लय कर दिया है। नए के सामने पुराने ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पेड़ों के पुराने पत्तों ने झड़ कर नव-किसलयों के लिए स्थान ख़ाली कर दिया है। प्रकृति का यही नियम है, भगवान की चिर नवीन सत्य मूर्ति निरन्तर इसी रूप में प्रकट हुआ करती है। परन्तु हमारे देश में, हम लोगों का क़ायदा-क़ानून इस विधि-विधान से ठीक उलटा है। यहाँ के बूढ़ों ने, समाज और राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने को अटल-अचल बना लिया है। गद्दी तो ये छोड़ेंगे ही नहीं साथ ही समय-असमय पर आँखें दिखाएँगे और चिल्ला कर कहेंगे कि बूढ़े होकर आँख, कान और आत्म-सम्मान की हत्या किए बिना कोई किसी काम करने के

उथल-पुथल

[श्री० 'मगन']

जिसको पढ़ कर भय, अनीति;
दुर्गुण, दुर्मति हों सत्यानाश !
साहस, शौर्य, अहिंसा उपजे,
हो ऐसा साहित्य-प्रकाश !!

❋

हो समाज में, समता का—
पालन, कुरीतियों का संहार !
धर्म सर्व पाखण्ड-शून्य हों;
राजनीति हो परम उदार !!

❋

इस प्रकार साहित्य, धर्म अरु,
हो समाज में उथल-पुथल !
राजनीति-पथ अति प्रशस्त हो,
हो जावे ऐसी हलचल !!

* * *

योग्य नहीं होता। हमारे देश के नवयुवक भी साँप के सिर पर धूल पड़ जाने की तरह ये बातें सुन कर अपना बल और बुद्धि सभी खो डालते हैं। वे यह कभी नहीं विचार करते कि युवकों और बूढ़ों का पथ तथा मत सदैव विभिन्न हुआ करता है। दोनों में सत्यैक्य स्थापित करने के लिए या तो नौजवानों को वृद्ध होना पड़ेगा या वृद्धों को नौजवान। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिएगा।

❀

माँ-बेटे की अन्तिम भेंट

फाँसी से एक दिन पहले दिनेश के माता-पिता उससे मिलने के लिए जेल में गए थे। इस मिलन का दृश्य बड़ा ही हृदयग्राही और कारुणिक था। दिनेश ने बड़ी भक्ति से माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी चरण-धूलि लेकर सिर और आँखों में लगाया। स्नेहमयी जननी उसके लिए आम और मिठाई ले गई थी। दिनेश ने प्रेम से पलथी मार कर आम और मिठाइयाँ खाईं। यह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। इसके बाद वह उठ कर खड़ा हुआ और माँ की गोद में लोटने लगा। इसके बाद एक अबोध शिशु की तरह उसने बार-बार माता का मुँह चूमना आरम्भ कर दिया और माता साश्रु नयनों से उसके शरीर और मस्तक पर हाथ फेर रही थीं। इसके बाद उसने अन्तिम बार माता को 'माँ' शब्द से सम्बोधित करने की साध पूरी की। माँ पुत्र को गोद में लेकर प्यार कर रही थी, पुत्र 'माँ-माँ' चिल्ला रहा था, इतने में निष्ठुर राज-विधान ने याद दिलाया—समय हो गया!

चलने के समय दिनेश के पिता ने पुत्र से पूछा था, क्या तुम्हें कुछ कहना है? दिनेश ने उत्तर दिया—मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने सृष्टि-कर्त्ता के पास जा रहा हूँ। मेरी एकमात्र आकांक्षा थी कि मरने से पहले मातृ-भूमि को स्वतन्त्र देख लेता। परन्तु वह पूरी नहीं हुई।

पिता ने फिर कहा—क्या तुम्हें मालूम है कि यह हम लोगों का अन्तिम मिलन है?

दिनेश ने उत्तर दिया—मैं जानता हूँ।

इसके बाद उसने माता से क्षमा-प्रार्थना करते हुए कहा—मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, इसके लिए मुझे क्षमा करना और मेरे लिए शोक न करना।

माता ने कहा—मैं यह दुख सह न सकूँगी।

इस पर दिनेश ने पिता की ओर देख कर कहा—दादा, माँ को मेक्सिम गोर्की का जीवन-चरित पढ़ कर सुनावें तो यह समझ सकेंगी कि पुत्र-वियोग का दुख किस प्रकार बरदाश्त किया जाता है।

इसके बाद माता-पिता सदा के लिए पुत्र से विदा हो गए। यह विदा का दृश्य भी एक अपूर्व दृश्य था। इसका वर्णन करना लोहे की लेखनी का काम नहीं, सहृदय पाठक स्वयं उसकी कल्पना कर सकते हैं।

फाँसी

गत ८ जुलाई को सवेरे चार बजे अलीपुर के सेन्ट्रल जेल में श्री० दिनेश को फाँसी दे दी गई थी। फाँसी की तिथि और समय आदि जानने की उसके भाई ने बड़ी चेष्टा की थी। परन्तु अधिकारियों ने साफ़ जवाब दे दिया कि हमें मालूम नहीं।

फाँसी की रस्सी गले में डाल लेने पर उसने कहा था—माँ, अगर मैं तुम्हारे कष्ट का कारण हुआ होऊँ, तो मुझे क्षमा करना।

फाँसी के बाद जेल के अन्दर ही उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया भी सम्पन्न हुई थी। चिता का धुआँ देख कर लोगों ने अनुमान कर लिया था कि फाँसी हो गई।

श्री० दिनेश और श्री० रामकृष्ण नाम के एक ऐसे ही अपराधी के मुक़दमे की पैरवी के लिए बङ्गालियों ने 'दिनेश-रामकृष्ण रक्षा-समिति' नाम की एक संस्था की स्थापना की थी। उसके सेक्रेटरी श्री० दुर्गापद दास गुप्त ने इस फाँसी के सम्बन्ध में जो विवृत्ति अख़बारों में छपवाई थी, वह इस प्रकार थी—

मङ्गलवार को सवेरे चार बजे दिनेश को फाँसी दे दी गई। उस समय वह गाढ़ निद्रा में सो रहा था। इसी समय जेलर ने उसे जगा कर कहा—"तुम्हारे जीवन-नाटक की यवनिका के गिरने का समय हो गया है।" दिनेश ने बड़ी प्रसन्नता से यह समाचार सुना और झटपट नित्य-कर्म तथा स्नान आदि से निवृत्त हो तथा कपड़े पहन कर जेलर से कहा कि मैं तैयार हूँ। अलीपुर के मैजिस्ट्रेट, जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट, जेलर, तीन डिप्टी-मैजिस्ट्रेट और कई गोरे वार्डर फाँसी के समय मौजूद थे। फाँसी-मञ्च की ओर अग्रसर होते हुए दिनेश ने कहा था—"देश-माता की बलि-वेदी पर आत्मोत्सर्ग करने का सुयोग पाकर मैं अपने को धन्य समझता हूँ।"

फाँसी के पूर्व अन्तिम क्षण तक दिनेश बहुत ही प्रसन्न था। बड़े उत्साह से अग्रसर होकर फाँसी का फन्दा उसने स्वयं अपने गले में डाल लिया था।

जिस समय उसे फाँसी दी गई थी, उस समय सेण्ट्रल जेल के आसपास के तमाम रास्तों पर पुलीस का कड़ा पहरा बिठाया गया था। गाड़ियाँ तथा मोटरों का चलना भी बन्द कर दिया गया था। इसके अलावा, उस दिन सारे शहर में पुलीस का विशेष पहरा और पुलीस-लॉरियों का 'पेट्रोल' (गश्त) जारी था। शव-संस्कार के अन्त तक जेल के सभी क़ैदी अपने-अपने निवास-स्थानों में बन्द रक्खे गए थे।

अन्त्येष्टि

श्री० दिनेश की अन्त्येष्टि हिन्दू रीत्यनुसार कलकत्ते के नीमतल्ला घाट श्मशान के पुरोहित द्वारा कराई गई थी। अधिकारियों ने कृपा करके भाई श्री० यतीश गुप्त को चिता के पास तक जाने दिया था। परन्तु उनसे यह शर्त करा ली गई थी कि—(१) मैजिस्ट्रेट के साथ जाना होगा और मैजिस्ट्रेट के साथ ही चला आना होगा, (२) संस्कार-व्यापार में वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न आवेश में आकर कुछ करने पाएँगे। (३) चिता-भस्म नहीं ले जा सकेंगे। श्री० यतीश गुप्त ने प्रार्थना की थी कि जेल से सटी हुई काली गङ्गा में मुट्ठी भर भस्म डालने की अनुमति दे दी जाए, परन्तु यह प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं हुई। अन्त में मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि चिता-भस्म उनके सामने ही गङ्गा में बहा दी जाएगी। इसके बाद ज़िला मैजिस्ट्रेट के साथ ही श्री० यतीश गुप्त जेल से बाहर आ गए।

❀

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

आज ता० ८ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल की बैठक में दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त अनुपस्थित थे। अभियुक्त पोद्दार बीमार थे। उनकी तरफ़ से पैरवी करने वाला कोई वकील भी नहीं था, इसलिए अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई स्थगित रक्खी गई। ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को पत्र लिखा कि यदि मि० पोद्दार अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई वकील नियुक्त कर दें, तो अदालत की कार्रवाई जारी रह सकती है।

मि० आसफ़अली का वक्तव्य

सफ़ाई के वकील मि० आसफ़अली ने आज ट्रिब्यूनल के जजों के सामने अपना निम्न-लिखित वक्तव्य दिया :—

"अदालत और अभियुक्तों के प्रति जो मेरा फ़र्ज़ है, उसके अनुसार मुझे आज यह बतला देना आवश्यक है कि २९ जून को दिल्ली षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर से प्रारम्भ होने के समय जब मेरी नियुक्ति हुई थी, तब मेरे और अभियुक्तों के बीच यह बात तय हो गई थी, कि सफ़ाई के लिए किसी दूसरे सीनियर वकील के मिल जाने पर मैं इस केस से अलग हो जाऊँगा। मुझे इस बात का हर्ष है कि अभियुक्तों ने एक दूसरा सीनियर वकील तय कर लिया है, जिससे मैं इस भार से अलग होता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे पद पर आगे से कार्य करने वाले सफ़ाई के वकील को मामले का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायगा।

"अपना वक्तव्य समाप्त करने के पहले मैं अदालत की शिष्टता, धीरता और उसकी न्याय-भावना की प्रशंसा करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। मैं अपने विरुद्ध पक्ष के विद्वान मित्र को धन्यवाद देना भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। मैं अपने पक्ष के सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे प्रति सदैव सौहार्द का भाव रक्खा है। सफ़ाई तथा रिलीफ़ कमिटी ने जिस सहृदयता के साथ सहयोग किया है, उसकी प्रशंसा करना इस स्थान पर अनुपयुक्त न होगा। आख़ीर में मैं अभियुक्तों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझ पर पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया है।"

सेवाओं की प्रशंसा

दिल्ली षड्यन्त्र केस की सफ़ाई और रिलीफ़ कमिटी ने पत्रों में निम्न-लिखित वक्तव्य प्रकाशित कराया है :—

"बैरिस्टर मि० आसफ़अली ने सफ़ाई के सीनियर वकील के पद से अलग हो जाने का जो निश्चय किया है, उस पर कमिटी अत्यन्त खेद प्रकट करती है। ऐसे समय, जब कि सफ़ाई-पक्ष को उनकी सेवाओं की अत्यन्त आवश्यकता थी, सफ़ाई से उनका अलग हो जाना अत्यन्त हानिकारक हुआ है। कमिटी उनकी मूल्यवान सेवाओं के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा का भाव प्रकट करती है।

"कमिटी को खेद है कि मि० फ़रीदुल हक़ अन्सारी को भी वैसा ही निर्णय करना पड़ा है। उनकी सेवाओं के लिए कमिटी प्रशंसा करती है।"

आज ता० ९ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस की पेशी शनिवार तक के लिए फिर स्थगित हो गई। अदालत में उपस्थित अभियुक्तों से स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने पूछा कि तुम लोगों के क़ानूनी सलाहकार इस केस से अलग हो गए हैं, उनके स्थान पर सफ़ाई के लिए क्या प्रबन्ध हुआ है?

अभियुक्तों की ओर से श्री० वात्सायन ने कहा कि कुछ वकीलों से बातचीत हो रही है, आशा है कि सोमवार तक हम लोग अदालत को अपना निश्चय बतला देंगे। प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से कहा कि अपना निर्णय शनिवार तक बतला दो, जिससे उसी दिन वकीलों को सूचना दे दी जाय और सोमवार से बाक़ायदा कार्रवाई प्रारम्भ हो जाय। प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से यह भी कहा कि यदि पैरवी कराने वाले अभियुक्तों की संख्या पहले से कम हो गई, तो अदालत उसी के अनुसार वकीलों की संख्या और उनके मेहनताने में भी कमी कर देगी।

एक दिन पहले की कार्रवाई

दिल्ली षड्यन्त्र केस में सफ़ाई के सीनियर वकील के कार्य से अलग होते समय सरकारी वकील मि० ज़फ़रउल्ला ने मि० आसफ़अली की प्रशंसा की। आपने कहा कि मैं अपनी तरफ़ से और अपने सहयोगियों की तरफ़ से बोल रहा हूँ। मुझे इस बात का खेद है कि मि० आसफ़अली सरीखे योग्य और न्यायप्रिय व्यक्ति के द्वारा सबूत-पक्ष का विरोध न होगा। सबूत-पक्ष मि० आसफ़अली के सौहार्द-भाव की प्रशंसा करता है।

इसके बाद एक-एक करके यह कहते हुए कि पेशे की मर्यादा के अनुसार सीनियर वकील के साथ जूनियर वकीलों का भी अलग हो जाना आवश्यक है, जिससे कि नया सीनियर वकील अपनी इच्छा के अनुसार नए जूनियर वकील रख सके, मि० फ़रीदुलहक़ अन्सारी मि० बैनर्जी, मि० बलजीतसिंह अदालत के बाहर हो गए।

प्रेज़िडेण्ट और ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्यों ने मि० आसफ़अली और दूसरे वकीलों से हाथ मिलाया।

आशा की जाती है कि मि० आसफ़अली की जगह सफ़ाई के सीनियर वकील के पद पर डॉ० किचलू कार्य करेंगे।

ता० ७ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस की सफ़ाई-कमिटी की एक सभा हुई, जिसमें कमिटी तोड़ देने का निश्चय किया गया; क्योंकि अभियुक्तों ने अपनी सफ़ाई की कमिटी स्वयं ही बना ली है। सफ़ाई कमिटी की सभा में यह भी निश्चय हुआ कि कमिटी के पास जो धन है, वह अभियुक्तों के अधिकार में कर दिया जाए और सदस्य व्यक्तिगत हैसियत से ज़रूरत पड़ने पर पूर्ण सहायता देते रहें।

यह भी निश्चय हुआ कि चन्दे की रसीद-बुकें वापस ले ली जाएँ और अब तक का हिसाब प्रकाशित कर दिया जाय।

ता० ११ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० एल० सी० ह्वाइट, आई० सी० एस० ने दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से कहा कि मामले की कार्रवाई अब अधिक दिनों के लिए स्थगित नहीं की जा सकती, सोमवार ता० १३ जुलाई से सुनवाई प्रारम्भ हो जायगी।

आज अभियुक्त अदालत में ११ बज कर १० मिनट पर पहुँचे थे। अदालत का कार्य ११ बज कर २९ मिनट पर प्रारम्भ हुआ। अभियुक्त पोद्दार, जोकि बीमार रह चुके थे, वे भी आज उपस्थित थे।

सरकारी वकील और सबूत-पक्ष के सब लोग उपस्थित थे, परन्तु अभियुक्तों की तरफ़ से केवल अभियुक्त कपूरचन्द के वकील एस० एन० बोस उपस्थित थे।

प्रारम्भ में प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से पूछा कि आप लोगों ने अपने सफ़ाई के वकीलों के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है?

मि० वात्सायन ने उत्तर दिया—"इस सम्बन्ध में बृहस्पतिवार के दिन जो कुछ हम लोग कह चुके हैं, उससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते।" यानी सोमवार तक अभियुक्त इस विषय में अपना कोई निश्चय बतला सकेंगे।

इस पर प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि सोमवार से कार्रवाई प्रारम्भ हो जायगी, इससे अधिक हम स्थगित नहीं कर सकते।

आज ता० १३ जुलाई को ११ बज कर २९ मिनट पर स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दिल्ली षड्यन्त्र का मामला पेश हुआ।

प्रारम्भ में ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने अभियुक्तों से पूछा कि आप लोगों ने अपने वकीलों के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है? अभियुक्त वात्सायन ने उत्तर दिया कि हम लोगों ने अमृतसर के बैरिस्टर डॉ० सैफ़ुद्दीन किचलू को अपना सीनियर वकील चुना है। वे अपने जूनियर स्वयम् नियुक्त कर लेंगे।

प्रेज़िडेण्ट—डॉ० किचलू किस अभियुक्त की तरफ़ से पैरवी करेंगे?

वात्सायन—यह डॉ० किचलू ही बता सकेंगे?

प्रेज़िडेण्ट—वकील नियुक्त होने के पहले हमें यह मालूम हो जाना आवश्यक है कि वे किनकी तरफ़ से पैरवी करेंगे।

वात्सायन—पहले की तरह अभियुक्त ध्यानीराम गुप्त, बाबूराम गुप्त, मास्टर हरकेश, रुद्रदत्त, हरद्वारीलाल गुप्त की तरफ़ से पैरवी होगी।

प्रेज़िडेण्ट—दूसरे अभियुक्त पैरवी नहीं कराना चाहते?

वात्सायन—डॉ० किचलू के नियुक्त हो जाने के बाद सम्भव है एक या दो और अभियुक्त अपनी पैरवी कराना चाहें।

प्रेज़िडेण्ट—तो इसका तात्पर्य यह कि आप लोगों की स्थिति वही है, जो मि० आसफ़अली के समय थी।

वात्सायन—हाँ।

सफ़ाई-पक्ष का विरोध नहीं माना गया

इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने, मुख़बिर कैलाशपति के उस बयान के सम्बन्ध में, जोकि उसने मैजिस्ट्रेट मि० ईसर की अदालत में दिया था और जिसके ट्रिब्यूनल में पेश किए जाने में सफ़ाई-पक्ष के वकील मि० आसफ़अली और मि० बोस ने विरोध किया था, अपना हुक्म सुनाया।

ट्रिब्यूनल ने सफ़ाई के वकीलों की बात नहीं मानी और कहा कि मि० ईसर मुख़बिर कैलाशपति के बयान दर्ज करने के लिए क़ानूनन् उपयुक्त व्यक्ति थे। मि० ईसर ने मुख़बिर कैलाशपति को क्षमा भी प्रदान किया था।

इसके बाद ट्रिब्यूनल ने मुख़बिर कैलाशपति को बयान का समर्थन करने के लिए गवाह के कठघरे में पेश करने के लिए कहा।

इस पर अभियुक्त वात्सायन ने अदालत से प्रार्थना की कि जब तक अभियुक्तों के वकील नियुक्त होने की बात बिल्कुल निश्चित न हो जाय, तब तक के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित रक्खी जाय।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि इस विषय में जलपान के समय फ़ैसला दिया जायगा। तब तक वकील की अनुपस्थिति से अभियुक्तों का कोई नुक़सान न होगा, क्योंकि मुख़बिर कैलाशपति का केवल बयान पढ़ कर उसे सुनाया जायगा।

इसके बाद बयान का पढ़ना प्रारम्भ हुआ। बयान में फ़ुल्सकेप आकार के २९४ छपे हुए पृष्ठ थे। सम्भवतः वह कल के पहले न समाप्त होगा।

अभियुक्त हरकेश ने अदालत से कहा कि मैं अङ्गरेज़ी नहीं समझता, बयान हिन्दी में पढ़ कर सुनाया जाय।

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि मूल बयान अङ्गरेज़ी में है, इसलिए वह अङ्गरेज़ी में ही पढ़ा जायगा, परन्तु उर्दू में अनुवाद कर दिया जायगा।

आज की कार्रवाई का दिन बयान के पढ़ने में ही लग गया। कल भी पढ़ा जायगा।

डॉ० किचलू नियुक्त हो गए

चार बजे के बाद प्रेज़िडेण्ट ने घोषित किया, कि ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से पैरवी करने के लिए डॉ० किचलू और उनके साथ दो जूनियर वकीलों के नियुक्त किए जाने का निश्चय किया है। उन्हें १२८) रु० प्रतिदिन मेहनताना मिला करेगा।

कल जलपान के बाद मुख़बिर कैलाशपति की जिरह प्रारम्भ होने की आशा है।

ता० १४ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दिल्ली षड्यन्त्र केस में सफ़ाई-पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पेश हुआ। अभियुक्तों के वकील डॉ० किचलू और मि० एस० एन० बोस ने कहा कि जब तक इस षड्यन्त्र का फ़रार अभियुक्त हज़ारीलाल, जोकि पटना में गिरफ़्तार हुआ है, इस अदालत में न पेश किया जाय, तब तक क़ानूनन् अदालत की कार्रवाई नहीं चल सकती। इस प्रश्न पर बहस के लिए कल की तारीख़ निश्चित हुई है।

प्रारम्भ में डॉ० किचलू ने ट्रिब्यूनल के सामने अपना एक वक्तव्य दिया। सीनियर वकील नियुक्त करने के लिए ट्रिब्यूनल को धन्यवाद देते हुए आपने कहा कि मैं अदालत के अन्दर अच्छे वायुमण्डल बनाए रखने और अदालत के गौरव की रक्षा करने में पूर्ण सहयोग दूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरे मवक्किल भी, जोकि शिक्षित और अच्छी हैसियत के आदमी हैं, मेरा सहयोग करेंगे। इसके बाद आपने अदालत से, जिरह प्रारम्भ करने के पहले, कुछ समय देने की प्रार्थना की। आपने कहा कि मुझे इस केस का अध्ययन और साथ ही अमृतसर के कई ख़ून के मामलों का प्रबन्ध भी करना है।

मेहनताना के विषय में आपने कहा कि मैं इस सम्बन्ध में अपना घोर विरोध प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए रुपया नहीं चाहता। परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सरकार को इस मामले में उचित और न्यायशील होना चाहिए था। सफ़ाई और सबूत के वकीलों में किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण भेद न करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह या तो सबूत और सफ़ाई के वकीलों को बराबर-बराबर फ़ीस दे या बिल्कुल न दे और अभियुक्तों से अपनी सफ़ाई का प्रबन्ध अपने आप कर लेने के लिए कह दे।

मि० एस० एन० बोस की उस अर्ज़ी के सम्बन्ध में, जोकि आपने फ़रार अभियुक्त हज़ारीलाल के अदालत में पेश किए जाने के लिए दी है, डॉ० किचलू ने कहा कि मि० बोस ने उस अर्ज़ी में जो कुछ कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मि० एस० एन० बोस की अर्ज़ी इस प्रकार है :—

(१) इस षड्यन्त्र केस में बहुत से ऐसे अभियुक्तों पर भी मामला चल रहा है, जोकि फ़रार कहे जाते हैं, और जिनमें एक हज़ारीलाल भी हैं।

(२) हज़ारीलाल पटना में गिरफ़्तार हो गए हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि बाँकीपुर जेल में बन्द हैं।

(३) दफ़ा ५१२ के अनुसार अब हज़ारीलाल के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्रवाई होना अनुचित है।

इसलिए प्रार्थना की जाती है कि अदालत या तो सबूत-पक्ष को हज़ारीलाल के इस अदालत में पेश करने का हुक्म दे या पटना के मैजिस्ट्रेट के पास अपना वारण्ट

चाह

[श्री० अनन्तप्रसाद जी वर्मा, विद्यार्थी]

नहीं चाह है रही हमें अब,
मणि-मुक्तावलि के पाने की,
या रत्नों की विपुल खानि—
तक के अधिकारी बन जाने की।

❋

नहीं खोजते हम ईश्वर को,
घूम-घूम करके वन-वन में,
नहीं चाहते कभी देखना
स्वर्गिक सुख को हम जीवन में।

❋

सारी सुख की चाहें हमारी,
देवि ! चढ़ चुकीं बलि-वेदी पर,
क्षुधा, तृषा, मन की चञ्चलता,
पा सकती अधिकार न हम पर।

❋

हमें चाह है केवल तुझको
हे स्वतन्त्रते पा जाने की,
तेरे कोमल कर-स्पर्श से,
पावन तन-मन हो पाने की !

❋

मन ही मन में आज तुम्हारी,
बैठ प्रतीक्षा हम करते हैं,
सोच तुम्हारा देवि ! आगमन,
हम सुख-सागर को तरते हैं।

❋

भेज दे कि अभियुक्त हज़ारीलाल इस अदालत में पेश किया जाय। तब तक के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित रक्खी जाय।

दूसरी अर्ज़ी

मि० एस० एन० बोस ने एक दूसरी अर्ज़ी भी पेश की। अर्ज़ी इस प्रकार है :—

(१) इस षड्यन्त्र केस में सबूत की ओर से बहुत से काग़ज़ और किताबें पेश की गई हैं, जिन्हें अदालत ने मुख़बिर कैलाशपति के बयान के अनुसार मिसिल में दर्ज कर लिया है।

(२) इनमें से कोई भी काग़ज़ या उसका कोई भी हिस्सा पढ़ कर सुनाया नहीं गया। इवीडेन्स ऐक्ट की दफ़ा ३६ में और लाहौर हाईकोर्ट के नियमों में इस तरह के काग़ज़ों के पढ़ कर सुनाने का नियम है।

(३) बिना इन काग़ज़ों या उन काग़ज़ों के मुख्य अंशों को पढ़ कर सुनाए सफ़ाई-पक्ष के लिए यह जानना असम्भव है कि सबूत-पक्ष किस आधार पर अपने पक्ष का समर्थन करना चाहता है। बिना पढ़ कर सुनाए काग़ज़ों को प्रमाणित समझ कर मिसिल में दर्ज करते जाना ग़ैर-क़ानूनी और हाईकोर्ट के नियमों के विरुद्ध है।

सफ़ाई-पक्ष के लिए मुख़बिर कैलाशपति की जिरह के पहले यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि सबूत-पक्ष ने पेश किए गए काग़ज़ों के किन अंशों को अपने पक्ष का आधार बनाया है।

इसलिए अदालत से प्रार्थना है कि वह सबूत-पक्ष को काग़ज़ों के उन अंशों को क़ानून के अनुसार पढ़ कर सुनाने का हुक्म दे, जिनको सबूत-पक्ष ने अपने पक्ष का आधार बनाया है।

हज़ारीलाल के सम्बन्ध में अर्ज़ी पेश करते हुए मि० बोस ने अदालत से कहा कि हज़ारीलाल बाँकीपुर जेल में है। अदालत पटना के मैजिस्ट्रेट के पास हज़ारीलाल को दिल्ली भेज देने के लिए एक तार भेज सकती है। दफ़ा ५१२ के अनुसार उसके विरुद्ध अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।

प्रेज़िडेण्ट—दफ़ा ५१२ के अनुसार होने वाली कार्रवाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं।

मि० बोस—फ़रार अभियुक्त के गिरफ़्तार होने तक दफ़ा ५१२ के अनुसार होने वाली कार्रवाइयाँ समाप्त नहीं होतीं। आपने कहा कि इस विषय में क़ानून बिल्कुल स्पष्ट है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ३५३ के अनुसार गवाहों के बयान होने के समय अभियुक्तों की उपस्थिति आवश्यक है। अभियुक्तों की अनुपस्थिति से कार्रवाई ग़ैर-क़ानूनी हो जाती है।

इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य ख़ाँ बहादुर अमीर-अली ने कहा—क्या हज़ारीलाल के विषय में आपने अख़बारों से जानकारी हासिल की है ?

मि० बोस—अख़बारों और व्यक्तियों, दोनों से।

रायबहादुर कुँवर सेन—क्या हज़ारीलाल की अनुपस्थिति में कार्रवाई ग़ैर-क़ानूनी हो जायगी ?

मि० बोस—हाँ।

चौधरी ज़फ़रुल्ला—बिल्कुल नहीं।

रायबहादुर कुँवर सेन—मान लीजिए हज़ारीलाल पर से मामला उठा लिया गया।

मि० बोस—तब परिस्थिति दूसरी हो जायगी।

आपने कहा कि हज़ारीलाल की अनुपस्थिति में अदालत की कार्रवाई उसी क्षण से ग़ैर-क़ानूनी हो जाती है, जिस क्षण ट्रिब्यूनल के सामने मैंने यह सूचना दी कि हज़ारीलाल अदालत में पेश किया जा सकता है।

सरकारी वकील—कार्रवाई ग़ैर-क़ानूनी हो जाने का ख़तरा स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ।

इस पर ट्रिब्यूनल ने मुख़बिर की जिरह स्थगित कर दी, जोकि जलपान के बाद प्रारम्भ होने वाली थी। मुख़बिर का बयान, जोकि पढ़ा जा रहा था, आज समाप्त हो गया।

कल मि० बोस की अर्ज़ी पर बहस होगी।

(क्रमशः)

* * *

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

लगभग १५ रोज़ स्थगित रहने के बाद तारीख़ ११ जुलाई को, स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० एच० ए० सी० ब्लैकर के श्रीनगर से लौहार आ जाने पर, जोकि झेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण रुक गए थे, दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर से प्रारम्भ हुई।

आज अभियुक्त एक वर्दी में केसरी रङ्ग के साफ़े बाँधे, भूरी रङ्ग की कमीज़ें और नीले रङ्ग के निकर पहने अदालत में उपस्थित हुए।

कार्रवाई प्रारम्भ होने पर सब से पहले सबूत की ओर से फ़िरोज़पुर शस्त्रागार के कैप्टेन मिलर की गवाही हुई। कैप्टेन मिलर ने अपनी गवाही में कहा कि अमृतसर रेलवे स्टेशन की सराय में मैंने एक बम की परीक्षा की थी। मैंने उसे छुआ नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि छूने से कहीं भड़क न उठे।

इसके बाद अमृतसर के सरयाली पुलीस-चौकी के सब-इन्स्पेक्टर ज़ुलफ़िक़ारअली शाह की गवाही हुई। ज़ुलफ़िक़ारअली शाह जून सन् १९३० में सिविल लाइन्स के हल्क़े में थे। आपने अपनी गवाही में कहा कि १९ जून सन् १९३० को सवेरे साढ़े ६ बजे सराय रनजोधसिंह के मुन्शी अब्दुल हकीम ने पुलीस-चौकी में आकर कहा कि सराय के दूसरे नम्बर के कमरे में एक बम फटने की घटना हुई है। उसने कहा कि रात में एक नवयुवक ने उस कमरे को किराए पर लिया था। बम फटने के बाद कमरे को धुएँ से भरा हुआ देख कर वह नवयुवक सराय से चला गया। घटना की रिपोर्ट लिख लेने के बाद मैं सराय गया, वहाँ कमरे से धुआँ निकल रहा था। ताला खोल कर अन्दर देखने से मालूम हुआ कि दीवार पर नुक़सान पहुँचा है। इस बात से मैंने अनुमान किया कि कोई बम की घटना हुई है। मैंने कमरे की आलमारी में एक काली सन्दूक़ में एक और बम रक्खा हुआ देखा था। मैंने देखा कि काली सन्दूक़ के नीचे कुछ काग़ज़ भी रक्खे हुए हैं। मैंने किसी व्यक्ति को उसे छूने नहीं दिया। इसके बाद मि० नील तथा दूसरे अफ़सरों ने आकर घटनास्थल और बम का निरीक्षण किया। मैंने ज़मीन पर बिखरी हुई कीलों को एकत्र करके उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली। इसके बाद गवाह ने अदालत में पेश एक कमीज़ और एक काली सन्दूक़ की शनाख़्त की।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि सराय के रजिस्टर को मैंने घटना के कुछ दिन बाद क़ब्ज़े में किया था। एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि रजिस्टर में जहाँ तक लिखा जा चुका था, उसके आख़ीर में मेरे दस्तख़त नहीं हैं।

इसके बाद रनजोधसिंह-सराय के मैनेजर अब्दुल हकीम क़ुरेशी की गवाई हुई। आपने कहा कि रजिस्टर में सराय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिख लिया जाता है। १८ जून को सराय में एक नवयुवक आया था, उसका नाम रजिस्टर में लिख लिया गया था। मैं उस नवयुवक को पहले से नहीं जानता था। वह २ नम्बर के कमरे में ठहरा था। वह सूर्यास्त के समय अकेले आया था। उसके आने के कुछ मिनटों बाद एक सिक्ख भी आया था, जोकि उसके कमरे में चला गया। वह सिक्ख रात में नहीं रहा, क़रीब पौन घण्टा के बाद वह चला गया था।

इसके बाद गवाह ने कहा कि दूसरे दिन सवेरे क़रीब ६ बजे २ नम्बर के कमरे में एक बम फटा। मैंने कमरे के अन्दर से बहुत अधिक धुआँ निकलते हुए देखा। इसके बाद मैंने इस मामले की पुलीस में रिपोर्ट कर दी।

गवाह की जिरह के बाद सुनवाई स्थगित हो गई।

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज की भी पेशी हुई थी।

सुखदेवराज के अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में जो अर्ज़ी पेश की गई थी, उसके फ़ैसले के अनुसार ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने सरकार के नाम एक नोटिस निकालने की सूचना दी।

अभियुक्त के वकील लाला श्यामलाल एडवोकेट ने अदालत से नोटिस के जवाब के लिए शीघ्र तारीख़ रखने की प्रार्थना की। आपने कहा कि अभियुक्त को एकान्त कोठरी में रखते एक महीना से अधिक का समय हो गया है।

इसके बाद अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सेन्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के द्वारा सरकार को नोटिस दी कि अभियुक्त सुखदेवराज ने एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में जो शिकायत की है, वह ठीक है या नहीं और उसका इस प्रकार रक्खा जाना क़ानून से उचित है या नहीं। इस बात का उत्तर देने के लिए अदालत ने १८ तारीख़ नियत की है।

ता० १५ जुलाई को लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अमृतसर सराय की बम-घटना के सम्बन्ध में गवाही जारी रही।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अमृतसर रेलवे स्टेशन के क़ुली फ़ज़ल मुहम्मद से बहुत देर तक जिरह की। गवाह ने कहा कि जब रेलवे स्टेशन से सराय की तरफ़ मैं दो नवयुवकों का सामान लिए हुए जा रहा था, तब रास्ते में मुझे केवल एक सिक्ख मिला था। मैं नहीं जानता कि पुलीस ने अपने बयान में दो सिक्ख क्यों बतलाए हैं। मैं उसी ट्रेन से आया था, जिस ट्रेन से सराय के मुन्शी लाहौर फ़ोर्ट में उन नवयुवकों की शनाख़्त करने के लिए आए थे। इसके पहले मैं मुन्शी को नहीं जानता था। मुझे याद है कि शनाख़्त की कार्रवाई के समय मुझे बुलाने के लिए पुलीस का एक आदमी गया था। मैंने रेल का ख़र्च अपनी जेब से दिया था, परन्तु बाद में शनाख़्त की कार्रवाई हो जाने के बाद पुलीस ने मुझे रेल का ख़र्च दे दिया। शनाख़्त के समय मैंने मैजिस्ट्रेट से कहा था, कि इन्हीं लोगों का सामान मैंने स्टेशन से सराय तक पहुँचाया था।

अमृतसर रेलवे स्टेशन के एक दूसरे क़ुली, चननदीन ने कहा कि मैंने फ़ज़ल मुहम्मद को दो नवयुवकों के साथ उनका सामान ले जाते हुए देखा था।

जब गवाह से उन दो नवयुवकों की शनाख़्त करने के लिए कहा गया, तो उसने अभियुक्तों के कठघरे में ग़लत व्यक्तियों को बतलाया, जोकि अभियुक्त जयप्रकाश और हरनामसिंह थे।

अदालत ने गवाह से पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का निश्चय है कि फ़ज़ल मुहम्मद के साथ तुमने इन्हीं दो नवयुवकों को देखा था?

मि० श्यामलाल ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध किया और कहा कि यह बिल्कुल झूठा गवाह है।

अदालत ने मि० श्यामलाल की बात नहीं मानी।

गवाह ने कहा कि समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मुझे निश्चय नहीं है।

इसके बाद मि० श्यामलाल और मि० अमोलकराम ने गवाह से जिरह की।

सम्बन्धियों से मिलने का प्रश्न

मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्तों ने अदालत से प्रार्थना की थी कि गुजरानवाला से आए हुए सबूत के गवाहों की गवाही होने के पहले उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त दे दी जाय। अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से मिल कर अपने शनाख़्त के सम्बन्ध में कुछ सलाह करना चाहते थे। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि गुजरानवाला के गवाहों की गवाही तब तक के लिए स्थगित रक्खी जाय, जब तक कि अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से न मिल लें।

अदालत ने अभियुक्तों की प्रार्थना मान ली और अभियुक्तों से उनके रिश्तेदारों के मिलने के लिए कल की तारीख़ नियत की। तब तक गुजरानवाला के गवाहों की गवाही स्थगित रक्खी जायगी।

सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने कहा कि मुझे अदालत की आज्ञा में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरी प्रार्थना है कि गुजरानवाला के गवाहों में से एक गवाह की गवाही हो जाने के लिए आज्ञा दे दी जाय। वह गवाह विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है और उससे अभियुक्तों की शनाख़्त की कार्रवाई से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अदालत ने सरकारी वकील की बात नहीं मानी और अपने पहले के निश्चय पर दृढ़ रही।

मुख़बिरों की गवाही

इसके बाद सफ़ाई के वकील ने मुख़बिर सरनदास और शिवराम की गवाही तुरत ही प्रारम्भ कर देने के लिए अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश की। अर्ज़ी इस प्रकार थी :—

(१) सी० आई० डी० पुलीस के आदमी मुख़बिरों पर बेजा दबाव डालने के लिए जैसी-जैसी धमकियाँ और यातनाएँ दे रहे थे, उसके सम्बन्ध में इस अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुख़बिरों की गवाही तब तक के लिए स्थगित रक्खी जाय, जब तक कि हाईकोर्ट से इन ज़्यादतियों के रोकने का कोई उपाय न कर दिया जाय। उस अर्ज़ी के अनुसार इस अदालत ने ८ जुलाई तक के लिए मुख़बिरों की गवाही स्थगित कर दी थी।

(२) हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की अर्ज़ी पर ८ जुलाई, सन् १९३१ को अपना फ़ैसला सुना दिया था।

(३) सबूत-पक्ष अन्य गवाहों की गवाहियाँ ले रहा है, परन्तु मुख़बिरों की गवाही जान-बूझ कर रोके हुए है।

(४) अभियुक्तों को इस बात का भय है कि पुलीस इस बीच में मुख़बिरों पर पहले की ही तरह बेजा दबाव डालने का प्रयत्न कर रही है। बेगुनाह व्यक्तियों के विरुद्ध मुख़बिरों के विचार-स्वातन्त्र्य में बिल्कुल अनुचित और ग़ैर-क़ानूनी दबाव डाल कर न्याय के मार्ग में बाधा उपस्थित की जा रही है।

(५) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बोर्स्टल जेल के असिस्टेण्ट जेलर और एक दूसरे पुलिस-अफ़सर के विरुद्ध, जिसने असिस्टेण्ट जेलर की साजिश से जेल में मुख़बिर मदनगोपाल से ग़ैर-क़ानूनी ढङ्ग से भेंट की थी और जिनके विरुद्ध अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रिज़न

एक्ट के अनुसार क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा था, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

(६) अभियुक्तों में से रावलपिण्डी वाले अभियुक्त बहुत अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्हें जहाँ तक हो, जल्दी यह मालूम हो जाना आवश्यक है कि सबूत-पक्ष ने उनके विरुद्ध क्या दोषारोपण किए हैं।

(७) इस अर्ज़ी में लिखी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तों की प्रार्थना है कि अदालत उन मुख़बिरों के पेश करने और उनकी गवाही प्रारम्भ कर देने का शीघ्र हुक्म जारी कर दे, जिनकी गवाही अभी नहीं हुई।

अर्ज़ी पर बहस सुन लेने के बाद अदालत ने अर्ज़ी ख़ारिज कर दी।

जेल में मुलाक़ात और सरकारी गवाह

अभियुक्तों की ओर से ट्रिब्यूनल के सामने एक और अर्ज़ी पेश की गई, जिसमें कहा गया था कि पहले अभियुक्त अपने सम्बन्धियों से जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के ऑफ़िस में किसी जेल-अधिकारी की उपस्थिति में मिला करते थे, परन्तु कल सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह से कहा गया कि वे अपने सम्बन्धियों से सीख़चों के अन्दर से मिल सकते हैं। सीख़चों के अन्दर से मिलने की यह जगह जेल के सामने की मुख्य सड़क से साफ़ दिखलाई पड़ती है। मिलने के लिए यह जगह बिल्कुल अनुचित और असुविधाजनक थी। अभियुक्तों के सम्बन्धियों को, जिनमें स्त्री-पुरुष और बच्चे सभी थे, इस गर्मी के ऋतु में धूप में बाहर खड़े रहना पड़ा। इस प्रकार की मुलाक़ातों का उद्देश्य सबूत के गवाहों को अभियुक्तों को पहचानने का मौक़ा देना था।

अभियुक्तों को लाहौर फ़ोर्ट में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर उपरोक्त बातों की शङ्का की गई है।

सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह ने सीख़चों के अन्दर से जेल के फाटक पर डॉ० एस० पी०, सरदार प्रतापसिंह और कोर्ट-इन्स्पेक्टर मि० केदारनाथ को गुजरानवाला के दो सबूत के गवाहों के साथ खड़े हुए देखा था। इन्हीं गवाहों ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की लाहौर के क़िले में शनाख़्त की थी। यह सब देख कर अभियुक्तों को सी० आई० डी० के आदमियों की चाल की आशङ्का हो गई, इसलिए उन्होंने उन परिस्थितियों में अपने सम्बन्धियों से मिलना इन्कार कर दिया। अभियुक्तों की प्रार्थना है कि अदालत अभियुक्तों को जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के दफ़्तर में हफ़्ते में दो बार अपने सम्बन्धियों से मिलने की इजाज़त दे।

अदालत ने यह अर्ज़ी मञ्ज़ूर कर ली और जेल-अधिकारियों को डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के ऑफ़िस में मुलाक़ात का प्रबन्ध करने के लिए हिदायत दी।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

ता० १६ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में और सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

गुजरानवाला के ताँगा हाँकने वाले ने अपनी गवाही में कहा कि जून सन् १९३० में मैंने ब्रह्म-अखाड़ा में बम-घटना का समाचार सुना था। बम-घटना के दूसरे दिन पुलीस ने बुला कर मुझसे पूछा कि क्या तुम अपने ताँगे में दो सिक्खों को स्टेशन से लेकर ब्रह्म अखाड़ा गए थे? मैंने कह दिया—हाँ, मैं अपने ताँगे में लेकर गया था।

इसके बाद गवाह से थोड़ी देर के लिए अदालत के बाहर चले जाने के लिए कहा गया। इधर अदालत में कुछ सिक्ख नवयुवक अभियुक्तों की सी पोशाक पहना कर अभियुक्तों के साथ खड़े कर दिए गए। फिर गवाह को बाहर से बुला कर अदालत ने उससे उन दो सिक्ख नवयुवकों की शनाख़्त करने के लिए कहा, जिनको वह स्टेशन से ताँगे पर ब्रह्म-अखाड़ा ले गया था। गवाह शनाख़्त नहीं कर सका। उसने कहा कि वे नवयुवक इन अभियुक्तों में नहीं हैं। इसी गवाह ने मैजिस्ट्रेट की अदालत में उनकी शनाख़्त की थी।

जिरह करने पर गवाह ने कहा कि हाँ, यह बात ठीक है, कि मेरा नाम पुलीस में बदमाशों के रजिस्टर में लिखा है।

इसके बाद ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं उन अभियुक्तों की शनाख़्त इसलिए नहीं कर सका, कि वे सिक्खों में मिला दिए गए हैं और उनकी पोशाकें एक सी हैं। क़िले में शनाख़्त करते समय अभियुक्त एक तरह की पोशाक में नहीं थे और जो बाहरी व्यक्ति उनके साथ मिला दिए गए थे, उनमें अधिकांश सिक्ख नहीं थे। गवाह ने कहा कि वे कई दलों में करके खड़े किए गए थे, वे यहाँ की तरह एक लाइन में नहीं खड़े किए गए थे।

पुजारी का बयान

ब्रह्म-अखाड़ा के पुजारी मोहकुमचन्द ने कहा कि १९ जून सन् १९३० को ब्रह्म-अखाड़ा के ६ नम्बर के कमरे में एक बम फटा था। कमरा खोलने पर वह धुआँ से भरा हुआ पाया गया और अन्दर से गन्धक की बू आ रही थी। मैं इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए ब्रह्म-अखाड़ा ट्रस्ट के संयुक्त मन्त्री के पास गया। वहाँ से लौटने पर मैंने देखा कि बहुत से पुलीस अफ़सर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर भी घटना-स्थल पर मौजूद थे। मैंने सुना कि मेरे जाने के बाद उसी कमरे में एक और बम फटा था, जिससे एक पुलीस अफ़सर घायल हो गया। वह पुलीस अफ़सर मेरे सामने अस्पताल पहुँचाया गया। गवाह ने कहा कि इस कमरे में दो सिक्ख नवयुवक ठहरे थे। वे १७ जून, सन् १९३० को आए थे।

इसके बाद गवाह ने कहा कि मैंने लाहौर फ़ोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने उन दो सिक्ख नवयुवकों की शनाख़्त की थी। पुलीस ने इन नवयुवकों को शनाख़्त की कार्रवाई के तीन दिन पहले मुझे लाहौर में पुलीस की हिरासत में दिखला दिया था। सब-इन्स्पेक्टर ने उन नवयुवकों को दिखलाते हुए मुझसे कहा था कि अच्छी तरह देख लो, शनाख़्त करनी होगी।

सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि यह गवाह सबूत-पक्ष के विरुद्ध हो गया है, इसलिए इससे जिरह करने की आज्ञा दी जाय।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि किसी गवाह के सबूत-पक्ष के विरुद्ध कुछ कह देने से ही वह गवाह सबूत-पक्ष के विरुद्ध नहीं हो जाता। परन्तु अदालत ने सरकारी वकील को जिरह करने की आज्ञा दे दी।

सरकारी वकील की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में शनाख़्त की कार्रवाई प्रारम्भ होने के पहले मुझे एक पुलीस अफ़सर लाहौर ले आया था। उसी ने मेरे टिकट का मूल्य दिया था और मेरे भोजन का प्रबन्ध किया था। जिस पुलीस चौकी में यह अफ़सर मुझे ले गया था और अभियुक्तों को दिखलाया था, उसके सामने एक कुआँ है। मैं अदालत को वह जगह बतला सकता हूँ।

गवाह को मिठाइयाँ और फल दिए गए

गवाह ने कहा कि पुलीस से बहुत डरने के कारण मैंने उस पुलीस अफ़सर के साथ गुजरानवाला से लाहौर आने में इन्कार नहीं किया। गुजरानवाला से लाहौर आते समय तीन और गवाह मेरे साथ थे, जिनमें एक ताँगा हाँकने वाला मेहरदीन, लछमीदास और ब्रह्म-अखाड़ा के मैनेजर थे। साथ में एक कॉन्स्टेबिल भी था। हम लोग एक कमरे में बैठा दिए गए थे, वहीं अभियुक्त लाकर दिखलाए गए। इसके बाद हम लोगों को वापस जाने का टिकट-ख़र्च दे दिया गया। तीसरे दिन हम लोग अभियुक्तों की शनाख़्त करने के लिए फिर बुलाए गए। जिस पुलीस अफ़सर ने हम लोगों को अभियुक्तों को दिखलाया था, वही रेलवे स्टेशन पर हम लोगों को लेने के लिए मौजूद था। उसके साथ एक मैजिस्ट्रेट भी थे।

प्रश्न—तुमने यह बात मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं बतलाई?

उ०—मैजिस्ट्रेट ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, इससे मैंने उनसे कुछ नहीं कहा।

प्र०—क्या आज तुम अदालत में इस बात को प्रकट करने के इरादे से आए थे?

उ०—नहीं, अगर मुझसे यह बात न पूछी जाती तो मैंने उसको प्रकट न किया होता।

मि० सलीम—सरकारी वकील के किस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें इन बातों को प्रकट करना पड़ा?

गवाह—सरकारी वकील ने प्रश्न किया कि मैजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्तों की शनाख़्त करते समय तुम्हें यह निश्चय था कि तुम अभियुक्तों की ठीक शनाख़्त कर रहे हो? इसके उत्तर में मैंने कहा कि अभियुक्त मुझे पहले से दिखला दिए गए थे। मैंने थाने में अभियुक्तों को केवल पाँच मिनट तक देखा था।

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह से उन अभियुक्तों की शनाख़्त करने के लिए कहा, जोकि उसे पुलीस चौकी में दिखलाए गए थे। गवाह कठघरे के पास गया और चारों तरफ़ देख कर कहा कि मैं अभियुक्तों की शनाख़्त नहीं कर सकता।

इस पर अदालत ने सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह को खड़े होने के लिए कहा और गवाह से उनकी ओर सङ्केत करते हुए पूछा कि ये वही व्यक्ति हैं या नहीं, जिनको पुलीस ने तुम्हें दिखलाया था? गवाह ने कहा, हाँ ये वही व्यक्ति हैं। सरदार अमरीकसिंह की ओर इशारा करते हुए गवाह ने कहा कि सम्भवतः मैंने इसी व्यक्ति को ब्रह्म-अखाड़ा से १९ जून को सवेरे निकलते हुए देखा था।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि अदालत में सरदार अमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह की शनाख़्त मैं क्यों नहीं कर सका। गवाह ने कहा कि लाहौर फ़ोर्ट में शनाख़्त की कार्रवाई के समय अभियुक्तों की पोशाकें भिन्न प्रकार की थीं, इस समय उनकी पोशाकें एक सी हैं।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *

[हिज़ होलीनेस श्रीवृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

गाँधी-इर्विन समझौते के बाद का, कल्याणवरेषु 'भविष्य' और परम कल्याणीया श्रीमती पुलिस का तीसरा प्रेमालाप, गत शुक्रवार को दिन-दहाड़े सम्पन्न हुआ। श्री० भुवनेश्वर प्रसाद जी मिश्र, एम० ए० की बाँकी अदा पर तो श्रीमती मानो पहले से ही मुग्ध थीं। बस एकाएक आईं और ले उड़ीं, जैसे इन्द्र-सभा वाले इन्द्र के अखाड़े की लाल परी ले उड़ी थी, हज़रत गुलफ़ाम को चारपाई समेत !

❀

बात यह है कि लाट साहब से लेकर सिकत्तर साहब तक, सभी गाँधी-इर्विन समझौते को सफल बनाने में लगे हैं, तो हमारी कल्याणीया जी क्यों अपना जौहर दिखाने से बाज़ आएँ ? यही तो मौक़ा है, ये 'जवानी की रातें और उमङ्गों के दिन' क्या इस जहानेफ़ानी में सदा बने रहेंगे ? यही सोच कर श्रीमती जी ताबड़तोड़ दो हाथ खेल कर दिल का अरमान पूरा कर रही हैं। माशा अल्लाह, इनकी दूरन्देशी पर हिज़ होलीनेस दिलोजान से फ़िदा हो रहे हैं !

❀

और इनकी राय है कि आगामी गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में, ब्रिटिश व्यवसायियों के 'सेलफ़गार्ड' की तरह श्रीमती पुलिस को भी ताक़यामत खुल कर खेलने का 'चार्टर' मिल जाना चाहिए। साथ ही 'भविष्य' के अभिभावक श्री० सहगल जी से हिज़ होलीनेस का साग्रह अनुरोध है कि जाति-पाँति और तिलक-दहेज़ का ख़याल छोड़ कर, एक दिन शुभ मुहूर्त्त में श्रीमती जी के साथ अपने श्रीमान ('भविष्य') का गँठ-बन्धन करा दें। माशा अल्लाह, यह जोड़ी गङ्गा और मदार की जोड़ी से कम दिलचस्प न होगी।

❀

यह ठीक है कि ऐसा करने से यह आए दिन की 'मासिक चहल-पहल' ज़रा फीकी पड़ जाएगी। परन्तु दिल पर हाथ रख कर ज़रा यह भी तो सोचने की बात है कि आख़िर यह 'कोर्टशिप' कब तक चलता रहेगा ? यह ताक-झाँक, यह सतर्कता, यह यार की गलियों की हेरा-फेरी और बक़ौल हज़रत 'नूह' नारवी, यह 'प्रेम की पेंगें' कब तक जारी रहेंगी ?

❀

इसके सिवा जनाब आली, ऐसी सुशीला और गुणवती 'बहू' पाने का प्रलोभन भी तो कुछ कम नहीं। माशा अल्लाह आँगन की रौनक़ बढ़ जाय और छमछम की श्रुति-मधुर ध्वनि से सारा कोना-कोना गूँज उठे। इसलिए अपने राम को तो अगर ऐसा सुयोग प्राप्त हो तो, क़सम ख़ुदा की, शारदा-क़ानून तोड़ कर अपने छोटे लल्ला की तीन शादियाँ कर डालें।

❀

यमराज-सहोदर दादा सर माइकेल ओडायर को कोई कैसे भूल सकता है ? एक साथ ही टोकरी भर कालों को शयन-सदन भेज कर जो अटल कीर्ति और अलौकिक सुयश आपने प्राप्त किया था, वह ब्रिटेन-वंश में शायद ही किसी को प्राप्त हुआ हो ! मासूम और शीरख़्वार बच्चे तक भी आप की कृपा-वारि की वर्षा से वञ्चित नहीं हुए थे। इसीलिए आज भी आप अपने उस पुराने पुण्य-कार्य का स्मरण कर पुलकित हो उठते हैं और समय-समय पर उसी नाते बूढ़े भारत को याद कर लिया करते हैं। प्रेम की आग वास्तव में बहुत दिनों तक सुलगा करती है।

❀

आपकी राय है कि भारत के भावी शासन-विधान में ब्रिटेन के हितों की रक्षा की जाए और भारतीय शासन की बागडोर सदैव ब्रिटिश पार्लामेण्ट के हाथों में रहे। बस, यही सम्मति श्री० १,००८ हिज़ होलीनेस की भी है। जब 'भुँईफोड़' शासनकर्त्री श्रीमती पार्लामेण्ट मौजूद ही हैं तो कोई आवश्यकता नहीं कि यह कार्य किसी ग़ैर को सौंपा जाए।

❀

फिर ये काले-कलूटे भारतवासी कौन होते हैं, इस देश के ! आपको मालूम नहीं जनाब, जिस तरह अङ्गरेज़ इङ्गलिस्तान से यहाँ आए थे, उसी तरह ये काले भी मङ्गोलिया से यहाँ आए थे—अन्ततः चचा हण्टर की तो यही राय है। तो फिर आप ही 'ईमान और धरम' से बताइए कि इन्हें इस देश में रहने का क्या हक़ है और ये क्यों स्वराज्य या स्वतन्त्रता के लिए चिल्ल-पों मचा रहे हैं ?

❀

बस, यही वजह श्रीजगद्गुरु जी का यह फ़तवा है कि कालों की जान और माल का 'सोल प्रोप्राइटरशिप' दादा सर माईकेल ओडायर को दे दिया जाए, या वे कृपा करके जैसी कुछ सलाह दें, उसीके अनुसार कार्य किया जाए। क्योंकि उन्होंने भारत का केवल नमक ही नहीं खाया है, वरन् भारतवासियों का ख़ून भी बहवाया है। इसलिए इसके भाग्य का फ़ैसला करने का जैसा कुछ हक़ आपको हासिल है, वैसा किसी के बाप को भी हासिल नहीं।

❀

बनारसी 'आज' को सूचना मिली है कि सरकार ने बनारस ज़िले के परगनापतियों को 'प्रेम-प्रचार' का कार्य सौंपा है। आज्ञा मिली है कि दो महीने तक सब काम छोड़ कर ज़मींदारों और किसानों में समझौता करावें। बैठे-ठाले परगनापतियों के लिए यह 'दूती'-कार्य बुरा नहीं ! और आशा है कि वे इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि कवियों के कथनानुसार बरसात में प्रेम में 'फचफचाहट' भी ख़ूब आ जाती है।

❀

अच्छा आइए, ज़रा मुँह मीठा करने की बातें सोचें। मान लीजिए कि नरकटिया एक छोटा सा गाँव है। वहाँ आज प्रेम-प्रचार के उद्देश्य से परगनापति अर्थात् श्रीमान डिप्टी साहब आने वाले हैं। तहसीलदार साहब ने क़ानूनगो साहब के पास पहले ही ख़बर भेज दी है और क़ानूनगो साहब ने पटवारियों को हिदायत कर दी है। कहीं से दूध के मटके चले आ रहे हैं और कहीं से दही की हाँडियाँ; कोई असबाब लाने के लिए पकड़ा जा रहा है और कोई घोड़े को घास लाने के लिए !

❀

चश्मे बद्दूर, हमारे डिप्टी साहब श्रीजगद्गुरु की तरह कोई फ़त्तू-फ़क़ीर या निहङ्ग लाड़ले थोड़े ही हैं कि कुण्डी-सोंटा उठाया और चल पड़े। हाकिम-परगना ठहरे, दूती का काम करने जा रहे हैं तो क्या हुआ, डिपटियाई ठाट थोड़े ही छोड़ देंगे। फलतः दूध, दही, तरकारी, अचार तो चाहिए ही और इसे देंगे वही किसान साहब, क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के घर पैदा होती हैं और फिर प्रेम का मज़ा भी तो वही लूटेंगे।

❀

फलतः बनारस ज़िले के किसानों का सावन मज़े में कटेगा। घर बैठे डिप्टी साहब का दर्शन और परिणाम-स्वरूप अपने आश्रयदाता और भाग्य-विधाता श्रीमान ज़मींदार महोदय के साथ अटूट प्रेम-बन्धन की सम्भावना ! यह दोनों हाथों एक साथ ही लड्डू प्राप्त करने की कल्पना ने श्रीजगद्गुरु को ऐसा परेशान कर दिया है कि हज़रत किसान बनने के लिए कमर कस कर तैयार हो गए हैं।

❀

गत सप्ताह कलकत्ते के अबलाश्रम में ख़ासी चहल-पहल रही। आश्रमवासी सबलों ने एक दिन कई अबलाओं को ठोंक-पीट कर दुरुस्त कर डाला। बात यह है कि एक तो बरसात का मौसिम ही कुछ बलवर्द्धन के लिए मौज़ूँ होता है, दूसरे यह ख़याल पैदा हुआ कि कहीं अबलाओं के साथ-साथ रहते-रहते सबलता हवा खाने न चली जाए, इसीलिए महज़ अभ्यास बनाए रखने की ग़रज़ से कुछ अबलाएँ पीट-पाट दी गईं। ख़ैर, यह तो होना ही चाहिए, क्योंकि पौरुष-प्रदर्शन की खुजली मिटाने के लिए कुछ सामान तो चाहिए ही।

❀

यह तो हुए अबला-आश्रम में औरतों के पीटे जाने के दो प्रधान और समीचीन कारण। अब ज़रा दो गौण कारणों पर भी ध्यान दीजिए। कलकत्ते के अख़बारों का कहना है कि कई स्त्रियों को अधिकारियों ने पञ्जाबी ख़रीदारों के हाथ फ़रोख़्त करने का विचार किया था, परन्तु उन दईमारियों को बिकना पसन्द न था और एक दिन एक लड़की ने कोई भजन भी गा दिया। बस, जनाब दो और दो-चार कारण जब एकत्र हो गए तो मार-पीट को कौन माई का लाल रोक सकता है ?

❀

फिर तो वीरों की भुजाएँ फड़क उठीं और उन्होंने उठाया लट्ठ तथा चढ़ गए कोठे पर। अबलाएँ घसीट कर नीचे लाई गईं और फिर भरपेट पीटी गईं। यहाँ तक कि कइयों के शरीर फूट गए और कइयों की छाती (!!!) में भी चोट लगी। आजकल वे कारमाइकेल

कॉलेज अस्पताल में पड़ी हैं। लोग-बाग और अख़बार वाले टें-टें कर रहे हैं, परन्तु अबला-आश्रम के मन्त्री जी चुप! बेचारे कोई दादुर या झिल्ली थोड़े ही हैं जो बरसात में बोलें। ज़रा समय आने दीजिए, फिर तो ऐसा बोलेंगे कि 'बुलबुले हज़ार-दास्तान' भी दाँतों अँगुली दबा कर रह जाएगा।

❀

ख़ैर, श्रीजगद्गुरु को न तो अबला-आश्रम के उन अभागिनियों की चिन्ता है और न मन्त्री महाशय के मौनावलम्बन की। इन्हें तो चिन्ता में डाल दिया है, 'भारत-मित्र' ने, जो नाहक़ इस चहले में कूदने के लिए लँगोटा कस रहा है। हालाँकि उसके लिए शिलाङ्ग (आसाम) की मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी के पुजारी श्रीहनुमान जी ने, मन्दिर के अन्दर ही एक सात वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार कर के काफ़ी पवित्र मसाला तैयार कर दिया है। इसलिए श्रीजगद्गुरु की विनम्र प्रार्थना है कि पहले गोबर पानी मल कर उक्त मन्दिर के देवता जी को शुद्ध कीजिए, फिर भण्डा फोड़िएगा, क्योंकि घर में दिया जला कर तब मस्जिद की तरफ़ क़दम रखना फ़रमाना उचित है।

❀

मगर असल बात तो यह है कि इन अबला-आश्रमों का भण्डाफोड़ करने का जितना हक़ 'भारत-मित्र' को हासिल है, उतना न तो 'स्वतन्त्र' को हासिल हो सकता है और न 'विश्वमित्र' को। क्योंकि यह अबला-आश्रम, वह विधवाओं की सनातनधर्म-रक्षिणी महती सेना और उनका अपने कुल और धर्म को पवित्र करके अबला-आश्रमों में आना और मार खाना, बिक कर पञ्जाब जाना, या मङ्गलामुखी दल की वृद्धि करना अथवा किसी 'अल्लाहो अकबर' वाले के साथ होकर गोवंश-ध्वन्सकों की वृद्धि करना आदि जितने भी पुण्यपूत कार्य हैं, उनका सारा श्रेय श्रीमान चिरञ्जीव 'भारत-मित्र' को है! इसलिए फोड़ो भैया! अच्छी तरह से अबला-आश्रम का भण्डा फोड़ डालो। बल्कि अगर इस तरह न फूटे तो मूँड़ दे मारो! समझे?

❀

वल्लाह, वही कहावत हुई कि 'सूप हँसे तो हँसे चलनी भी हँसे, जिसके बहत्तर छेद!' वह भण्डा फोड़ेंगे जिनकी फूट कर टुकड़े-टुकड़े हो गई है और ऐसी, कि न गोंद से जुड़े और न गुड़-चूने से! अरे भाई साहब, पूना के उस सनातनधर्मी जी की भी कुछ ख़बर है, जिन्होंने उस दिन एक ख़रीदार को चार लड़कियाँ दिखाईं और उनके दाम एक हज़ार से लेकर पचीस हज़ार तक बताया! और क्या? जैसा माल, वैसा दाम! ठोक लीजिए, बजा लीजिए, चीज़ पसन्द आए तो दाम देकर ले जाइए!!

❀

ख़ैर साहब, ख़रीदार ने एक सब से कम दाम की लड़की पसन्द की और ८५०) रु० में उसे ख़रीद लिया। पुरोहित जी के सामने बिक्री का "कैशमेमो" बन गया। गौरी, गणेश और अग्नि आदि पञ्चदेवों की उस पर गवाही भी हो गई। इसके सिवा वयोवृद्ध अरुन्धती देवी भी सुदूर आकाश में बैठी-बैठी यह दृश्य देख रही थीं। परन्तु इतने पर भी ख़बर छपी है कि दूल्हा जी लड़की भगाने के इलज़ाम में गिरफ़्तार हैं, और उन्हीं पूर्व प्रशंसित गवाहों के सामने लड़की का इससे पहले एक बार और विवाह भी हो चुका है!!

❀

सर विक्टर सेसून बम्बई के एक बड़े पुतलीघर के मालिक हैं और बहुत दिनों से कपड़े बना-बना कर इस देश के नग्न-अधिवासियों का लज्जा-निवारण किया करते हैं। परन्तु हमें यह जान कर दुख हुआ कि आप नाराज़ होकर इस देश से चले जाने का विचार कर रहे हैं। क्योंकि आपको आशङ्का है कि 'नेटिव लोग' साहब लोग को इस देश में व्यवसाय वाणिज्य 'नहीं करने देगा'।

❀

इसलिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि साहब को मनाया जाय और सारे भारतवासी समस्वर से प्रार्थना करें कि रूठिए नहीं प्रभो, डटे रहिए इस बूढ़े भारत की छाती पर और कपड़े बना-बना कर इनकी नग्नता दूर करते रहिए, अन्यथा यह आजन्म' असभ्य ही रह जाएगा।' देखो तो, कमबख़्त सुन्दर मुलायम कपड़े छोड़ कर खुरखुरी खादी पहनने लगा। भई, बात तो यह है कि इसकी तक़दीर ही ख़राब है।

❀

सुनते हैं कलकत्ते की टेढ़ी टोपी और तिरछी माँग वाले बाबुओं की 'त्रिवेणी' (अर्थात् रामबागान, सोनागाछी और चितपुर रोड) पर शनीचर महाराज की दृष्टि पड़ गई है। कुछ लोग वहाँ के वेश्यालयों को ग़ैर-क़ानूनी क़रार देने का प्रस्ताव कौन्सिल में पेश करने वाले हैं। फलतः बेचारे बाबुओं के पितृलोक में इस साल भीषण क़हतसाली की सम्भावना है!

❀

अरे यार, ज़रा सोचने की बात है कि अगर वेश्यालय ग़ैर-क़ानूनी क़रार दे दिए गए तो बेचारे धनवानों की पैतृक सम्पत्ति में दीमक लग जाएँगे। क्योंकि वही तो एक पुण्यपूत स्थान हैं, जहाँ नवयुवक अपने पूर्वजों के पसीने की कमाई के पैसे सार्थक किया करते हैं। दिन भर के बाद रात को थोड़ी देर के लिए छूम् छनूनन् और "अकेली मति जइहो राधा जमुना तीर!" के मज़े मिल जाते थे। इसलिए अपने राम तो शरीर की सारी शक्ति लगा कर इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

❀

आशा ही नहीं, विश्वास है कि हमारा प्रिय सहयोगी 'भारत-मित्र' भी इस पवित्र कार्य में हमारी सहायता करेगा। क्योंकि यह पवित्र-वृत्ति सनातन काल से चली आती है। बेचारे ठाकुर जी भी मङ्गलामुखियों के मुख से 'भजन' सुन कर बहुत प्रसन्न होते हैं। देवराज इन्द्र का तो कहना ही क्या है। हज़रत पुराने 'अखाड़िया' हैं। आजकल—सावन में वहाँ कहीं मेनका का मलार होता होगा और कहीं उर्वशी का बारहमासा! तिलोत्तमा, जी 'रँगि दे गुलाबी रँग साड़ी रँगरेजवा' अलापती होंगी।

❀

बेचारे ब्रह्मा जी तो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए जवानी के दिनों को याद करके मन मसोस कर रह जाते होंगे। भगवान शङ्कर को अपनी पार्वती और गङ्गा से ही फ़ुर्सत नहीं! हाँ, गोलोक-धामवासी भगवान श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द पूरे रसिया हैं। माशा अल्लाह, अच्छी तबीयत पाई है। सङ्गीत से ख़ूब शौक है! उनके ऐशो-इशरत की झलक, इस धरा-धाम पर, बस थोड़ी सी नवाब वाजिदअली शाह में पाइएगा। सोलह हज़ार गोपियों के साथ कबड्डी खेला करते हैं!!

❀

ग़र्ज़ कि मङ्गलामुखियाँ केवल सनातन काल और वैदिक युग की ही नहीं, वरन् देवानुमोदित भी हैं। इसलिए उनके विरुद्ध कोई क़ानून बनाना मानो सनातन-धर्म की गर्दन पर छुरी चलाना है। इसके सिवा कलकत्ते के डॉक्टरों और वैद्यों को भी इस प्रस्ताव से बड़ी हानि होगी। 'धातुपुष्ट' की गोलियों द्वारा बूढ़ों को भी जवानी का मज़ा चखाने वाले बेचारे कमर थाम कर बैठ जावेंगे। फलतः अब आपको सन्देह न होना चाहिए कि 'भारत-मित्र' हमारा साथ न देगा।

❀

'भारत-मित्र' के मूँड़ फोड़ने के लिए एक और मसाला भी शीघ्र ही तैयार होने वाला है। क्योंकि अख़बारों में ख़बर छपी है कि पण्डित मदनमोहन मालवीय 'मुलतान' (जहाज़) पर चढ़ कर लण्डन जाने वाले हैं। फलतः दरभङ्गा-नरेश की आधी डुबाई हुई सनातन-धर्म की लुटिया के अबकी सम्पूर्ण रूप से डूब जाने की पूरी सम्भावना है। इसलिए द्विज होलीनेस का परामर्श है कि 'भारत-मित्र' हुगली में जाल डाल कर मछली पकड़ना आरम्भ कर दे, ताकि अभ्यास बना रहेगा तो समय पर काम आएगा।

❀

इसके सिवा इस 'लुटिया' के उद्धार का एक और उपाय अपने राम की खोपड़ी में चहलक़दमी कर रहा है। ज़रा ग़ौर से सुनिए। निज़ाम के जालना नामक क़स्बे में कोई श्री० देवीलाल जी मक्कड़ रहते हैं। और वे अपनी नव-विवाहिता पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं, परन्तु मक्कड़ जी का यह काम चूँकि सनातन-धर्म के विरुद्ध है, इसलिए घर वालों ने धमकी दी है कि अगर ऐसा करोगे तो हम लोग एक साथ ही ज़हर खा लेंगे या सिर फोड़ कर प्राण देंगे।

❀

बस, उचित है कि 'भारत-मित्र' सम्पादक की अध्यक्षता में सनातनियों का एक डेपुटेशन मालवीय जी की सेवा में पहुँचे और एक हाथ में लुड़िया तथा दूसरे में लोढ़ा लेकर उनके दरवाज़े पर बैठ जाय और कह दे कि अगर पश्चिम ओर मुख करोगे तो या तो ज़हर खा लेंगे या लोढ़े पर मूँड़ दे मारेंगे। आशा है, इस उपाय से सहज ही सफलता मिल जाएगी और बेचारा सनातन-धर्म अकाल मृत्यु से बच जाएगा।

❀

बड़ी भारी चिन्ता दूर हुई! भारत-सरकार के पूछने पर भारत के सिक्त्तर साहब ने बताया है कि जिन गौराङ्ग अफ़सरों की नियुक्ति सीधे विलायत से होती है, उनका वेतन नहीं घटाया जायगा। ठीक है, क्यों घटाया जाय। वेतन ही के लिए बेचारे उतनी दूर से आते हैं, या यहाँ उनकी कोई रिश्तेदारी है? इसके सिवा फिर ये देशी कर्मचारी किस मर्ज़ की दवा हैं? आख़िर देश तो इन्हीं का है, इसलिए वेतन किसी दूसरे का क्यों घटाया जाय?

❀

फिर ये चान्द्रायण करना और रोज़ा रखना भी जानते हैं, फ़ाक़ाकशी की इन्हें पुश्तैनी आदत है। अर्द्धाशन तो ये जन्म-जन्मान्तर से करते चले आ रहे हैं, इसलिए मुनासिब तो यह है कि जब तक देश के किसानों की दशा शोषण के उपयुक्त न हो जाय, तब तक किसी भी काले कर्मचारी को वेतन न दिया जाय। परन्तु हमारी सरकार चूँकि दयालुता और सहृदयता की सगी बहिन हैं, इसलिए इनका कुछ वेतन घटा कर ही सन्तोष कर लेना चाहती हैं!

❀

आख़िरश, लॉर्ड इरविन महोदय को भी बोलना ही पड़ा। आपकी आज्ञा है कि भारतवासियों को औपनिवेशिक स्वराज हरगिज़ न दिया जाय और न पार्लामेण्ट की छत्र-छाया इनके सिर से अलग हो! हाँ साहब, यह भी कोई बात है? क्या करेंगे ये कमबख़्त औपनिवेशिक स्वराज्य लेकर! और फिर पार्लामेण्ट का वह बृहद्विशाल छत्र ही क्या काम आएगा, जो इनकी रक्षा से वञ्चित रह गया?

❀

शीघ्रता कीजिए !
नहीं तो पछताना पड़ेगा !!
मूल्य लागत मात्र केवल ४) रु०
स्थायी ग्राहकों से केवल ३) रु०
व्यङ्ग-चित्रावली
यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)
स्मृति-कुञ्ज
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों को आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।)
मूर्खराज
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झञ्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)
अपराधी
सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डेमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!
सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)
व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Registered No. A—2085

Printed, Published and Edited by Bhuvneshwar Nath Misra, M.A., vice Tribeni Prasad, B.A., in Jail,
At The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.